

M A K H A T

विदिशा विकास योजना 2011



संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

Ishwari
D.M.

विदिशा

विकास योजना

2011

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973
के प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रस्तावना

पुरातत्त्वीय ऐतिहासिक दृष्टि से विदिशा प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जिले की पुरातत्त्वीय संपदा विदिशा के प्राचीन गौरव की साक्षी है। यह स्थान न केवल प्रागैतिहासिक काल में, अपितु ऐतिहासिक काल में भी महत्वपूर्ण रहा है। विदिशा नगर प्रारम्भ से ही बैस एवं बेतवा नदियों के मध्य बसा है। वर्तमान में विदिशा, मध्य रेल्वे के मुम्बई-दिल्ली रेलमार्ग पर भोपाल-बीना जंकशनों के मध्य एक महत्वपूर्ण उभरता हुआ व्यवसायिक, शैक्षणिक एवं औद्योगिक नगर है। प्रदेश के अन्य बड़े नगरों की तरह नियोजन संबंधी जटिल समस्यायें इस मझोले श्रेणी के नगर में नहीं हैं।

विदिशा विकास योजना 2011 म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-80-2001-बत्तीस दिनांक 21.01.03 के द्वारा अनुमोदित की जाकर सूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 31.01.03 से प्रभावशील है। विकास योजना में नगर के संतुलित एवं सुनियोजित भावी विकास की दृष्टि से भूमि के समुचित एवं उपयुक्त उपयोग, आवासीय भवनों के निर्माण हेतु अतिरिक्त आवासीय क्षेत्र, सुगम एवं मितव्यी आवागमन प्रणाली का विकास जिससे यातायात सुरक्षित रूप से हो सकें, नगरीय गतिविधियों से सामन्जस्य बनाते हुये वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोग हेतु भूमि का समुचित प्रावधान, संरक्षित स्मारकों एवं स्थापत्य वास्तुकला का परीक्षण एवं संवर्धन के साथ ही मूलभूत सेवा सुविधाओं का भी समुचित प्रावधान किया गया है।

इस विकास योजना के क्रियान्वयन से निसंदेह नगर का समानुपातिक नियोजित विकास होगा। उक्त प्रस्तावों के क्रियान्वयन में क्रियान्वयन संस्थाओं का योगदान अपेक्षित है।

(के.सी. गुप्ता)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

विदिशा विकास योजना

योजना दल

अपर संचालक

डॉ. आर.बी. शर्मा

संयुक्त संचालक

व्ही.पी. कुलश्रेष्ठ

बी.एन. त्रिपाठी

सहायक संचालक

स्व. यू.के. सक्सेना

परमजीत कलसी

कर्मचारीगण

ए.के. मुखर्जी

यू.एस. तिवारी

जे. चन्द्रवंशी

जमाल किदवई

ए.एच. राजकुमार

लीलम्मा सी.

संदीप कुमार

पयाम आजमी

नसीम इनाम

इन्दू त्रिपाठी

समय समय पर योजना दल से सम्बद्ध

उपसंचालक

एस.एस. सगू

जे.सी. निदारिया

कर्मचारीगण

विमल बगवैया

एम.एस. नेमा

जे.जी. आशापुरे

आर.के. मालवीय

विषय-सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	प्रस्तावना	i
	योजना दल	iii
	विषय सूची	v-vii
	मानचित्रों की सूची	viii
	सारणी सूची	ix-x

भाग-एक : समस्याओं का विश्लेषण

अध्याय-1	नगर परिचय	3-14
1.1	स्थिति	2
1.2	निवेश क्षेत्र	2
1.3	क्षेत्रीय महत्व	3
1.4	भौतिक स्वरूप	7
1.5	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	9
1.6	जलवायु	10
1.7	जनसंख्या परिवर्तन	10
1.8	नगर की आर्थिक रूपरेखा	11
1.9	नगर के मुख्य कार्यकलाप	13
अध्याय - 2	वर्तमान भूमि उपयोग एवं आवास	15-34
2.1	भूमि उपलब्धता	15
2.2	भूमि उपयोग वर्गीकरण	15
2.3	वर्तमान भूमि उपयोग एवं भूमि उपयोगिता	16
2.4	आवासीय घनत्व	17
2.5	वाणिज्यिक	21
2.6	औद्योगिक	24
2.7	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	26
2.8	सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं	32
2.9	आमोद-प्रमोद	32
2.10	यातायात एवं परिवहन	33
2.11	असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग	33

अध्याय - 3	वर्तमान परिभ्रमण संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना	35-45
3.1	क्षेत्रीय परिभ्रमण संरचना	35
3.2	नगर परिभ्रमण संरचना	37
3.3	परिवहन के साधन	39
3.4	यातायात समस्याएं	40
3.5	नगरीय अधोसंरचना	42
3.6	अन्य सेवा सुविधाएं	44

भाग-दो : नियोजन प्रस्ताव

अध्याय - 4	भावी आवश्यकताएं एवं प्रस्तावित भूमि उपयोग	49-63
4.1	नगर के भावी कार्यकलाप	49
4.2	योजना कालावधि	49
4.3	योजना उद्देश्य एवं लक्ष्य	50
4.4	योजना अवधारण	50
4.5	भावी जनसंख्या	51
4.6	अनुमानित आवास आवश्यकता	52
4.7	प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भूमि आवंटन	53
4.8	निवेश इकाईयां	54
4.9	प्रस्तावित भूमि उपयोग संरचना	55
4.10	असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग	62
4.11	ग्राम विकास	63
अध्याय - 5	प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना	65-74
5.1	प्रस्तावित क्षेत्रीय परिभ्रमण संरचना (रेल एवं मार्ग)	65
5.2	प्रस्तावित नगरीय परिभ्रमण संरचना	65
5.3	मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई	66
5.4	यातायात अवसान केन्द्र	69
5.5	यातायात प्रणाली में सुधार	70
5.6	नगरीय अधोसंरचना	71
5.7	अन्य सेवाएं	74

अध्याय - 6 विकास नियमन	75-102
6.1 प्रवृत्तशीलता	75
6.2 क्षेत्राधिकार	75
6.3 परिभाषाएं	77
6.4 उपयोग परिक्षेत्र	77
6.5 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन	78
6.6 फार्म हाऊस	81
6.7 वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका	82
6.8 यातायात नगर के मानक	86
6.9 औद्योगिक विकास मानक	87
6.10 सामाजिक अधोसंरचना हेतु मानक	88
6.11 अन्य उपयोग गतिविधियों के नियमन	91
6.12 यातायात एवं परिवहन	92
6.13 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति	94
6.14 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु विकास नियमन	97
6.15 संवेदनशील क्षेत्र हेतु नियमन	100
6.16 नगरीय विरासत वाले क्षेत्रों हेतु नियमन	100
6.17 विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया	101
6.18 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया (प्रस्तावित भू-उपयोग)	102
अध्याय - 7 विकास योजना का क्रियान्वयन	103-112
7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन	103
7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति	104
7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम	105
7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा-योजना	106
7.5 योजना एवं कार्यक्रम	108
7.6 प्रथम चरण कार्यक्रम	109
7.7 योजना पर्यवेक्षण तंत्र	110
7.8 पर्यवेक्षण समिति का गठन	111
7.9 योजना की व्याख्या	111
परिशिष्ट	113-129

मानचित्रों की सूची

मानचित्र क्र. शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
1.1 निवेश क्षेत्र	4-अ
1.2 बसाहट	4-अ
2.1 वर्तमान भूमि उपयोग	16-अ
3.1 वर्तमान परिभ्रमण संरचना	38-अ
4.1 विकास योजना	54-अ
4.2 निवेश इकाई	54-अ
5.1 प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना	68-अ
7.1 प्रथम चरण	110-अ

सारणी-सूची

सारणी क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1-सा-1	निवेश क्षेत्र	3
1-सा-2	जनसंख्या परिवर्तन	10
1-सा-3	व्यवसायिक संरचना	12
2-सा-1	भूमि संसाधन	15
2-सा-2	वर्तमान भूमि उपयोग-2000	16
2-सा-3	आवासीय घनत्वय (वार्ड अनुसार)	18
2-सा-4	गंदी बस्ती एवं झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र	20
2-सा-5	आवासों की कमी	21
2-सा-6	विशिष्ट वाणिज्यिक गतिविधियाँ	22
2-सा-7	दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	24
2-सा-8	पंजीकृत उद्योग एवं रोजगार	24
2-सा-9	एक करोड़ से अधिक पूँजी विनियोग के पंजीकृत उद्योग	25
2-सा-10	महाविद्यालय एवं तकनीकी संस्थाएँ	27
2-सा-11	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	28
2-सा-12	वर्तमान प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं	30
2-सा-13	वर्तमान कार्यालय	31
2-सा-14	असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग	33
3-सा-1	क्षेत्रीय यातायात (बस)	35
3-सा-2	रेलवे द्वारा निर्यातित माल	36
3-सा-3	विद्युत खपत	43
4-सा-1	अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता	52
4-सा-2	प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भूमि आवंटन-2021	53
4-सा-3	निवेश इकाईवार भूमि विभाजन	54
4-सा-4	निवेश इकाईवार भू-उपयोग वितरण (विकसित क्षेत्र)	54
4-सा-5	भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का विकास	62

5-सा-1	मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई	66
5-सा-2	वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई (नगर मार्ग)	68
6-सा-1	उपयोग परिक्षेत्र	78
6-सा-2	आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड	79
6-सा-3	वाणिज्यिक विकास हेतु मापदण्ड	82
6-सा-4	वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक	83
6-सा-5	अनौपचारिक वर्ग के लिए योजना प्रावधान	85
6-सा-6	यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक	86
6-सा-7	यातायात नगर में सुविधाओं के मापदण्ड	86
6-सा-8	औद्योगिक क्षेत्रों हेतु विकास मापदण्ड	87
6-सा-9	सेवा-सुविधाओं हेतु मापदण्ड	88
6-सा-10	सामुदायिक सेवा-सुविधाओं के मापदण्ड	89
6-सा-11	खुले स्थलों एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्रों के मापदण्ड	91
6-सा-12	निकास मार्गों की निम्नतम चौड़ाई	92
6-सा-13	सड़कों के किनारे कार विराम हेतु स्थल का आकार	93
6-सा-14	वाहन विराम मापदण्ड	94
6-सा-15	स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग	95
6-सा-16	वर्तमान आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र	97
6-सा-17	वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात	98
6-सा-18	सार्वजनिक तथा अर्द्धसार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड	99
7-सा-1	योजना क्रियान्वयन की लागत	104
7-सा-2	प्रथम चरण लागत	110

भाग-एक
समस्याओं का विश्लेषण

1.1 स्थिति

विदिशा नगर, राजधानी दिल्ली-मुंबई एवं चेन्नई-दिल्ली प्रमुख ब्राड गेज रेलवे लाइन पर प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 54 किलोमीटर की दूरी पर 23°-31° उत्तरी अक्षांश तथा 77°-50° पूर्वी देशांश पर समुद्र तल से लगभग 428 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित होकर बेतवा नदी (वैत्रवती) के पूर्वी तट पर बसा हुआ है। भोपाल-विदिशा-सागर को मिलाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-86 नगर के मध्य से गुजरता है। सड़क मार्ग से विदिशा-भोपाल के बीच की दूरी 78 किलोमीटर है। कर्क रेखा नगर से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण से होकर गुजरती है। विदिशा नगर, भोपाल राजस्व संभाग का जिला एवं तहसील मुख्यालय है तथा रेल मार्ग के साथ-साथ सड़क मार्ग द्वारा प्रदेश एवं देश के प्रमुख नगरों से सीधे जुड़ा हुआ है। विदिशा जिले के पूर्व में सागर, उत्तर में गुना, पश्चिम में राजगढ़ और दक्षिण में रायसेन एवं भोपाल जिले स्थित हैं।

1.2 निवेश क्षेत्र

नगर के भावी एवं सुनियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13(1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1302/33/75 दिनांक 19.5.75 द्वारा विदिशा निवेश क्षेत्र का गठन किया गया है, जिसमें विदिशा राजस्व ग्राम सहित 28 ग्राम सम्मिलित है। इस प्रकार विदिशा निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 101.84 वर्ग कि.मी. है।

विदिशा : निवेश क्षेत्र

1-सा-1

क्रमांक 1	ग्राम का नाम 2	क्षेत्रफल (हेक्टर) 3	जनसंख्या 1991
			4
1.	दाऊदपुरा	52.9	वीरान
2.	बरारखेड़ी	257.3	295
3.	धतुरियाखेड़ी	756.6	626
4.	मिर्जापुर	301.2	679
5.	करारखेड़ी	556.6	442
6.	डाबर	669	573
7.	तमोरिया	102.9	वीरान
8.	हसनाबाद	115.9	48
9.	खसल्ला	393.8	453
10.	धारुखेड़ी	312.1	267
11.	मदनखेड़ी	262.7	408


1	2	3	4
12.	भोरिया	270.5	554
13.	घुड़ियाखेड़ी	218.5	169
14.	तरावली	125.6	वीरान
15.	चिङ्गेरिया	282.8	736
16.	शेरपुर	356.8	वीरान
17.	सोठीया	619.4	698
18.	गेहूंखेड़ी	344.8	271
19.	पठारी	397.7	418
20.	मुरवारा	293.4	111
21.	सुआखेड़ा	220.1	272
22.	आमखेड़ा	130.3	92
23.	मदनखेड़ा	42.2	वीरान
24.	दौलतपुर	180.8	वीरान
25.	परसोरा हवेली	338.8	366
26.	गुरारिया हवेली	358.8	468
27.	टीलाखेड़ी	200.9	331
28.	विदिशा	2011.3	92922
कुल निवेश क्षेत्र		10184.2	1,01,199


स्रोत - भारत की जनगणना, 1991

टीप - उपरोक्त में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 1 (4) (ग) के प्रावधान्तर्गत आने वाला रेलवे प्रशासन के आधिपत्य एवं नियंत्रण का क्षेत्र भी सम्मिलित है।

1.2.1 नगर पालिका परिषद

विदिशा नगर पालिका का सर्वप्रथम गठन सन् 1904 में ग्वालियर राज्य नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत किया गया, जिसका क्षेत्रफल 3.22 वर्ग किलोमीटर था। तत्पश्चात् विदिशा नगर की बसाहट में वृद्धि होने के साथ-साथ नगर पालिका सीमा में वृद्धि की जाती रही है। मध्यप्रदेश शासन के स्थानीय शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-191/18/3/94 भोपाल, दिनांक 12 अगस्त, 1994, जो मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 417 दिनांक 12.8.1994 में प्रकाशित हुई है, के अनुसार वर्तमान नगर पालिका परिषद् विदिशा का कुल क्षेत्रफल 885 हेक्टर (8.85 वर्ग किलोमीटर) है जो 36 वार्डों में विभक्त है। उक्त में विदिशा राजस्वग्राम का भाग 664 हेक्टर, शेरपुर राजस्व ग्राम का भाग 196 हेक्टर तथा निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित दुर्जनपुरा बस्ती का लगभग 25 हेक्टर क्षेत्र सम्मिलित है। निवेश क्षेत्र की सीमा में स्थित उपरोक्त दोनों ग्रामों के शेष भाग विदिशा निवेश क्षेत्र शामिल हैं।





1.2.2 रेल्वे क्षेत्र

नगर में रेल्वे स्टेशन के दोनों तरफ रेल्वे प्रशासन के आधिपत्य की भूमि पर कुछ रेल्वे कर्मचारियों के आवास हैं जिनमें लगभग 250-300 जनसंख्या निवासरत है। यह जनसंख्या जल सेवा के अलावा अन्य समस्त सेवा-सुविधाओं हेतु नगर में उपलब्ध सेवा-सुविधाओं पर आश्रित है। म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 1(4) (ग) के प्रावधानानुसार रेल्वे प्रशासन की भूमि पर इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावशील नहीं है।

1.3 क्षेत्रीय महत्व

बेस तथा बेतवा नदियों के बीच बसा वैदिश, भेलसा या विदिशा नगर ऐतिहासिक काल से ही आर्थिक रूप से समृद्ध रहा है। कालिदास ने मेघदूत में भी विदिशा का वर्णन एक सम्पन्न नगर के रूप में किया है। पुरातन काल में विदिशा, उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम भारत को जोड़ने वाले दो व्यापारिक मार्गों का संगम था। इनमें से एक मार्ग प्रतिष्ठान (गोदावरी क्षेत्र में आधुनिक पैदेन) से माहिष्मती, उज्जैयिनी, वैदिश से कोसाम्बी को जाता था दूसरा मार्ग अरब सागर के तट पर भरकच्छ (भड़ौच) तथा सूर्यारक से उज्जैयिनी होकर मथुरा जाता था। इस मार्ग की एक शाखा विदिशा से वैत्रवटी घाटी होकर कोसाम्बी तथा पाटलीपुन्ड्र जाती थी। इन व्यापारिक मार्गों से काफी मात्रा में माल लाया जाता था, जिसके फलस्वरूप विदिशा समृद्ध नगरों में से एक हो गया था। सातवीं शताब्दी में बेतवा नदी के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित बेस नगर के नष्ट होने के कारण नगर की जनसंख्या बेतवा नदी के पूर्वी किनारे पर बस गई और इस प्रकार नए भेलसा नगर (विदिशा) का उद्भव हुआ।

विदिशा जिले के सिरोंज वन खण्ड में उच्च किस्म के सागौन के वन है तथा जिले के कई भागों में भवन निर्माण के उपयुक्त पत्थरों और धूने की खदाने हैं। विदिशा क्षेत्र की मुख्य फसलों में गेहूं, सोयाबीन, चना, तुअर, ज्वार आदि आते हैं। विदिशा नगर देहली-मुंबई और चेन्नई के मुख्य रेल्वे मार्ग पर स्थित होने के कारण जिले की कृषि उपज, वन एवं खनिज भंडार प्रदेश और देश के दूरस्थ भागों में भेजने के लिये उपयुक्त केन्द्र का कार्य करता है। जिले में सोयाबीन भी प्रचुर मात्रा में उत्पादित होता है और इस कारण से इस नगर में कृषि पर आधारित अनेक छोटे-बड़े उद्योग स्थापित हो गए हैं। विदिशा, शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। इस नगर में चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यालय और महाविद्यालय हैं।

पर्यटन की दृष्टि से भी विदिशा प्रक्षेत्र अपना एक विशेष स्थान रखता है। पुरातात्त्विक संपदा और प्राचीन मंदिर इस नगर के चारों ओर फैले हुए हैं। मुख्य पर्यटनस्थल निम्नानुसार हैं -

1. उदयगिरि

बेस और बेतवा नदियों के बीच, विदिशा निवेश क्षेत्र के बाहर उत्तर-पश्चिम में लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर यह स्थल पहाड़ी में तराशे गए प्राचीन मंदिरों और आसपास के बौद्ध कालीन अवशेषों के लिये प्रसिद्ध है। इस एकांतित एक कि.मी. लंबी पहाड़ी पर कुल मिलाकर 20 गुफाएं अथवा तराशे गए मंदिर हैं। जिसमें उदयगिरि में गुफा नं 1 के पीछे विशाल नरसिंह शिला स्थित है। गुफाओं से प्राप्त दो पुरालेखों से चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल (सन् 401 ई.) में उसके युद्ध मंत्री वीर सेन द्वारा इस स्थान पर एक गुफा के उत्खनन कराए जाने का उल्लेख मिलता है।

2. गरुड़ ध्वज या हेलियोडोरे स्तम्भ

बेतवा और बेस नदियों के संगम (त्रिवेणी) के निकट डियन के पुत्र हेलियाडोरेस ने, जो विदिशा के शुंग दरबार में तक्षशिला के युनानी राजा अंतियाल सिदास के राजदूत थे, भगवान् वासुदेव मंदिर के गरुड़ध्वज का निर्माण कराया था। स्थानीय रूप से इसे 'खाम-बाबा' कहा जाता है। यह स्थल विदिशा निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित है।

3. बेस नगर

विदिशा रेल्वे स्टेशन से लगभग 3 कि.मी. पश्चिम में प्राचीन नगर के विस्तृत अवशेष, टीलों के रूप में बिखरे पड़े हैं, यह स्थान बेतवा और बेस नदी के बीच उत्तर दिशा में स्थित है।

4. लोहांगी शिला

विदिशा रेल्वे स्टेशन के पास चपटे शीर्ष वाली यह पाषाण शिला है। इसके पार्श्व में एक छोटी मस्जिद तथा शीर्ष पर एक मकबरा और एक विशाल बौद्ध स्तंभ का शीर्ष है, जो कि पानी कण्डी कहलाता है।

5. बीजा मण्डल

यह एक भव्य पुरातत्त्वीय स्मारक है, इसके पास नागपंचमी के अवसर पर विशाल मेला लगता है तथा खुदाई में मूर्तियां भी पाई गई एवं बीजा मण्डल सनातनी कार्य के लिये प्रसिद्ध है।

6. ग्यारसपुर

विदिशा नगर से लगभग 38.4 कि.मी. उत्तर-पूर्व में स्थित तहसील मुख्यालय ग्यारसपुर में प्राचीन तथा मध्ययुग के भग्नावेष स्मारकों का समूह है। ग्यारसपुर के पश्चिम में अष्टखम्भा, दक्षिण पश्चिम में वज्रमठ, दक्षिण में मालादेवी मंदिर, उत्तर में कुछ बौद्ध स्तूपों तथा प्रतिमाओं के अवशेष तथा दो मंदिरों के खण्डहर विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त ग्यारसपुर हिण्डोला तोरण और शाल भंजिका की प्राचीन मूर्ति के लिये भी प्रसिद्ध है।

7. सांची

विदिशा नगर से लगभग 10 कि.मी. दक्षिण में सांची के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप विद्यमान है। यहां स्मारकों का दृश्य समीपस्थ पहाड़ियों से बड़ा मनोहारी दिखाई देता है। इन परिपूर्ण एवं परिरक्षित स्तूपों से लगभग 13 शताब्दियों तक के (ईस्वी सदी 300 ई.पू. से ई. सदी 1100 तक) बुद्ध कालीन कलाँ, वास्तुकलाँ की उत्पत्ति, प्रस्फुटन एवं विनाश के परिदृश्य का आभास होता है। यहां प्रत्येक वर्ष नवम्बर के अंतिम रविवार को चैत्यगिरी विहार के वर्षगांठ का उत्सव मनाया जाता है।

8. चरण तीर्थ

विदिशा से सिरोंज मार्ग पर बेतवा नदी के पुल के उत्तर की ओर नदी में एक छोटा टापू है, जिस पर दो मंदिर स्थित हैं, इन मंदिरों का निर्माण मराठों द्वारा कराया गया था। यहां बेतवा नदी के किनारे सुन्दर घाट है तथा घाट के एक चबूतरे पर संगमरमर के दो चरण अंकित हैं। यहां भगवान् श्री रामचन्द्र जी अथमेघ के समय पधारे थे उनके चरणों के स्पर्श के कारण इस स्थल को चरण तीर्थ कहा जाता है। यह स्थल एक छोटे पुल द्वारा नदी के किनारे से जुड़ा हुआ है एवं वर्ष भर धार्मिक यात्री यहां स्नान एवं दर्शन हेतु आते रहते हैं।

1.4 भौतिक स्वरूप

विदिशा जिला विध्याचल पर्वत माला से दूर, विध्याचल पठार पर स्थित है, पठार का ढलान उत्तर की ओर है। अतः मालवा और बुंदेलखण्ड की नदियां पर्वत स्कन्धों के बीच अपनी घाटियां बनाती हैं। विदिशा का अधिकांश भाग बेतवा नदी की घाटी में स्थित है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बेतवा घाटी का विस्तार, जिले के मध्य भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर है और इसकी चौड़ाई 50 से 65 कि.मी. तक है। जिसके पश्चिम में बेतवा घाटी तथा उसकी सहायक नदियों जैसे वाह, सागर तथा कैनध एवं पूर्व में नियान तथा केवटन की घाटियां हैं, जिनका विस्तार क्रमशः पश्चिम तथा पूर्व की श्रेणियों में पड़ियों के रूप में भी है। इसमें लटेरी को छोड़कर जिले का बहुत बड़ा क्षेत्र आ जाता है यह क्षेत्र या तो मैदानी है या उसमें टीलों और घाटियों की मन्द तरंगित श्रेणियां हैं। घाटियों में उसका आवरण उपजाऊ काली मिट्टी का है जो अधिकांशतः वेसाल्टी चट्टानों से क्षरित गाद निक्षेपों से बना है। अधिकांशतः इसमें कृषि की जाती है और यह मालवा का मुख्य कृषि उत्पादक प्रदेश कहलाता है परन्तु इन तथ्यों के बावजूद सतह के नीचे कठोर चट्टाने होने से विशेषतः ग्रीष्म काल में भूमि में कम आब्रता होने तथा वर्षा ऋतु में दूरप्रवाह होने के कारण यह क्षेत्र समृद्ध वनोत्पादन योग्य नहीं है। हल्की दुमट-मृदा के छोटे भूखंड तथा सरिता के किसानों की बलुआ मृदा की संकरी पटियों, जो सु-अप्रवाहित है, इसकी अपवाद है।

नदियों तथा सरिताओं में जलप्रवाह का स्वरूप मौसमी होता है, जो अधिकतर ऋतुओं के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है तथापि, ट्रेपशेल समूहों की मुख्य सरिताएं प्रायद्वीप के कठोर तथा पुराने शैल समूहों वाली पहाड़ियों पर बहने वाली सरिताओं की भाँति न तो अधिक गहरी तथा सीधे ढाल वाली है और न ही उत्तरी मैदानी नदियों की भाँति इन्हें उथले किनारे वाली है, जिससे उनकी घाटियों के सुदूर भागों तक बाढ़ का पानी फैल जाता है।

नगर के उत्तर-पश्चिम दिशा प्रवाहित होने वाली बेतवा नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है। नगर का ढलान मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिम एवं दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर है। अतः नगर का जलप्रवाह तथा वर्षा जल बेतवा नदी में विसर्जित होता है। नगर के उत्तर-पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी एवं दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र का कुछ भाग समतल भू-भाग पर स्थित है। अपितु प्राकृतिक जल निकास सामान्यतः बेतवा नदी अथवा दक्षिण-पश्चिम में स्थित पिरिया नाला के स्थानीय नाम से जानी जाने वाली इसकी शाखा में होता है।

1.4.1 शैले समूह, खनिज, एवं वनस्पति

विदिशा जिले में पाये जाने वाले मुख्य शैल समूह, खनिज एवं वनस्पति निम्नानुसार है -

(अ) शैल समूह

1. जलोढ़क - जलोढ़क बेतवा सागर, बेस आदि सरिताओं के तटवर्ती क्षेत्र के बड़े भाग में पाया जाता है। यह मुख्यतः पीला या धूसर, भूरी, बलुई मिट्टी से बना होता है इसमें कंकड़ों का अनुपात अधिक होता है।
2. लेट राइट - यह कतिपय स्थानों में कुछ ऊंची ट्रेपों या पहाड़ी के आच्छादन के रूप में पाया जाता है। किन्तु सामान्यतः दक्षिणटेप की कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को आच्छादित करने वाली लोहमय कोशकीय शैलों के रूप में पाया जाता है।

3. अन्तर ट्रेपीय, सहित दक्षिण ट्रेप (मालवा ट्रेप) - दक्षिण ट्रेप इस जिले के अतिविस्तृत शैल समूह है। गहरे लावा प्रवाह के कारण ग्रामीण क्षेत्र सीढ़ीदार या वेदिकायुक्त दिखाई देता है। मुख्य शैल वेसाल्ट का है, जिसके स्फोट-गर्त में जियोलाइट, ऐगेट, केल्साइट आदि भरे पड़े हैं।

(ब) खनिज

विदिशा जिले में मुख्यतः निम्न खनिज पाए जाते हैं :-

1. चूने का पत्थर - जिले में गंजबासौदा के पास अंतरट्रेपीय चूना-पत्थर का निक्षेप (भंडार) अनुमानतः 50,000 टन है। जो एक एकड़ क्षेत्र में फैला है तथा औसतन 8 मीटर मोटा है। चूने का पत्थर सूक्ष्म कणिक, हल्के काले या धूसरे रंग का है।
2. लेटराइट - जिले लेटराइट के विशाल खदान है। लेटराइट की कठोर किसी का कभी-कभी इमारती पत्थर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। मृदु शैलों का उपयोग बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण में किया जाता है।
3. विंध्य बलुआ पत्थर - भारी मोटाई वाले ऊपरी विंध्य बलुआ पत्थरों से सर्वोत्तम इमारती सामग्री प्राप्त होती है इन्हें खदानों से खोदकर निकाला जाता है।
4. वेसाल्ट - दक्षिणी ट्रेप-वेसाल्ट का उपयोग सामान्यतः इमारती पत्थर के रूप में मुख्यतः ग्रामों में झोपड़ियों के लिये नींव भरने के लिये किया जाता है।
5. मिट्टी - इसका मुख्य स्रोत दक्षिणी ट्रेप है।
6. मृत्तिका - सफेद मृत्तिका कुरवाई के पास पाई जाती है।
7. हरी मिट्टी - हरी मिट्टी बेतवा नदी के किनारे बहुतायत से पायी जाती है।
8. मुल्तानी मिट्टी - यह चंदेरी क्षेत्र में पायी जाती है।

(स) वनस्पति

वनों के अंतर्गत जिले के कुल क्षेत्र का लगभग 2/5 भाग आता है। ये वन मुख्यतः पहाड़ी श्रेणियों तथा खड़े ढलानों पर हैं जो ट्रेप शैल समूहों के विंध्य बलुआ पत्थरों पर हैं। जिले के वन मुख्यतः दक्षिण ऊण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाटी प्रकार के वन हैं। दक्षिणी ट्रेप में सपाट शिखरों वाली पहाड़ियों तथा तरंगित मैदान हैं इनकी मिट्टी काली कपासी है, जहां मुख्यतः सागौन के वृक्ष हैं। विंध्य की घाटियों में सामान्य प्रकार के मिश्रित वन हैं। जिले के बांस की केवल एक प्रजाति लटेरी लिनसिया तथा चामर कोन्डल खण्डों में दूधिया नदी के किनारे सकरी पट्टी में पाई जाती है। वनों से धाबड़ा और खेर से एक प्रकार का खाने वाला गौंद प्राप्त होता है तथा कुछ क्षेत्रों में महुआ के वृक्ष पाये जाते हैं।

1.4 भौतिक स्वरूप

विदिशा जिला विंध्याचल पर्वत माला से दूर, विंध्याचल पठार पर स्थित है, पठार का ढलान उत्तर की ओर है। अतः मालवा और बुंदेलखण्ड की नदियां पर्वत स्कन्धों के बीच अपनी घाटियां बनाती हैं। विदिशा का अधिकांश भाग बेतवा नदी की घाटी में स्थित है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बेतवा घाटी का विस्तार, जिले के मध्य भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर है और इसकी छौड़ाई 50 से 65 कि.मी. तक है। जिसके पश्चिम में बेतवा घाटी तथा उसकी सहायक नदियों जैसे वाह, सागर तथा कैनध एवं पूर्व में नियान तथा केवटन की घाटियां हैं, जिनका विस्तार क्रमशः पश्चिम तथा पूर्व की श्रेणियों में पट्टियों के रूप में भी है। इसमें लटेरी को छोड़कर जिले का बहुत बड़ा क्षेत्र आ जाता है यह क्षेत्र या तो मैदानी है या उसमें टीलों और घाटियों की मन्द तरंगित श्रेणियां हैं। घाटियों में उसका आवरण उपजाऊ काली मिट्टी का है जो अधिकांशतः वेसाल्टी चट्टानों से क्षरित गाद निक्षेपों से बना है। अधिकांशतः इसमें कृषि की जाती है और यह मालवा का मुख्य कृषि उत्पादक प्रदेश कहलाता है परन्तु इन तथ्यों के बावजूद सतह के नीचे कठोर चट्टाने होने से विशेषतः ग्रीष्म काल में भूमि में कम आद्रता होने तथा वर्षा ऋतु में दूरप्रवाह होने के कारण यह क्षेत्र समृद्ध वनोत्पादन योग्य नहीं है। हल्की दुमट-मृदा के छोटे भूखंड तथा सरिता के किसानों की बलुआ मृदा की संकरी पट्टियों, जो सु-अप्रवाहित हैं, इसकी अपवाद है।

नदियों तथा सरिताओं में जलप्रवाह का स्वरूप मौसमी होता है, जो अधिकतर ऋतुओं के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है तथापि, ट्रैपशेल समूहों की मुख्य सरिताएं प्रायद्वीप के कठोर तथा पुराने शैल समूहों वाली पहाड़ियों पर बहने वाली सरिताओं की भाँति न तो अधिक गहरी तथा सीधे ढाल वाली है और न ही उत्तरी मैदानी नदियों की भाँति इतने उथले किनारे वाली है, जिससे उनकी घाटियों के सुदूर भागों तक बाढ़ का पानी फैल जाता है।

नगर के उत्तर-पश्चिम दिशा प्रवाहित होने वाली बेतवा नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है। नगर का ढलान मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिम एवं दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर है। अतः नगर का जलप्रवाह तथा वर्षा जल बेतवा नदी में विसर्जित होता है। नगर के उत्तर-पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी एवं दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र का कुछ भाग समतल भू-भाग पर स्थित है। अपितु प्राकृतिक जल निकास सामान्यतः बेतवा नदी अथवा दक्षिण-पश्चिम में स्थित पिरिया नाला के स्थानीय नाम से जानी जाने वाली इसकी शाखा में होता है।

1.4.1 शैले समूह, खनिज, एवं वनस्पति

विदिशा जिले में पाये जाने वाले मुख्य शैल समूह, खनिज एवं वनस्पति निम्नानुसार है -

(अ) शैल समूह

1. जलोढ़क - जलोढ़क बेतवा सागर, बेस आदि सरिताओं के तटवर्ती क्षेत्र के बड़े भाग में पाया जाता है। यह मुख्यतः पीला या धूसर, भूरी, बलुई मिट्टी से बना होता है इसमें कंकड़ों का अनुपात अधिक होता है।
2. लेट राइट - यह कतिपय स्थानों में कुछ ऊंची ट्रेपों या पहाड़ी के आच्छादन के रूप में पाया जाता है। किन्तु सामान्यतः दक्षिणटेप की कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को आच्छादित करने वाली लोहमय कोशकीय शैलों के रूप में पाया जाता है।

1.5 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पुरातत्त्वीय तथा ऐतिहासिक दृष्टि से विदिशा जिला अपनी विशेष महत्ता रखता है। जिले में सर्वत्र फैली पुरातत्त्वीय सम्पदा इस क्षेत्र के प्राचीन गौरव की साक्षी है। यह स्थान न केवल प्रागैतिहासिक काल में, अपितु पूरवर्ती ऐतिहासिक काल में भी महत्वपूर्ण था जबकि यह अनुश्रुतियों का विषय बन गया था। विदिशा को भद्रवती के नाम से जाना जाता है।

ब्राह्मण, बौद्ध और जैन साहित्य में विदिशा का उल्लेख बेस्य नगर, वैश्य नगर, विश्व नगर, बेस नगर, विदिशा, वैदिशा आदि नामों से किया गया है। बेस नगर प्राचीन काल में वैसे और वैत्रवती (बेतवा) नदियों के बीच स्थित था। जीवक के यात्रा वर्णन में, जिसे अजातशत्रु के मगध दरबार की ओर से अवन्ति नरेश चन्द्रप्रब्लोत से संधि करने के लिये भेजा गया था, विदिशा, उज्जैन तथा माहिष्मति का उल्लेख मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि जीवक ने निश्चय ही अनेक व्यापारिक मार्गों में से किसी एक मार्ग से यात्रा की होगी, व्यापारिक मार्गों का केन्द्र होने के फलस्वरूप विदिशा शनैः शनैः प्राचीन भारत के समृद्ध नगरों में शामिल हो गया था। नगर में ऐतिहासिक नगरी में भैलसा की तोप भी प्रसिद्ध है।

संस्कृत साहित्य में पूर्वी मालवा, जिसमें विदिशा क्षेत्र भी शामिल था, बौद्ध तथा परवर्ती काल में सांस्कृतिक गरिमा के चरमोत्कर्षपर पहुंच गया था। इसका स्वर्ण युग निश्चय ही अशोक के शासन काल से गुप्त साम्राज्य तक रहा होगा।

18वीं शताब्दी में मालवा सूबेदार सवाई जयसिंह ने भैलसा, भोपाल नवाब को दे दिया, परन्तु तुकोजी तथा जीवाजी पवार बन्धुओं ने पन्द्रह दिन घेराबंदी कर 11 जनवरी 1737 को विदिशा पर अपना अधिकार कर लिया। सन् 1757 ई. में अहमदशाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण, में मराठे उलझे रहे तथा भोपाल नवाब की सेना ने विदिशा पर अधिकार कर लिया। मराठों ने सन् 1761 में पुनः इसे अपने आधिपत्य में ले लिया। इस प्रकार विदिशा भू-भाग का आधिपत्य अनेक बार मराठों तथा भोपाल रियासत के बीच आता-जाता रहा। अंततः 1775 में विदिशा, भूतपूर्व ग्वालियर रियासत के भाग के रूप में शामिल हो गया। नगर की पुरानी बस्ती के चारों ओर इतिहासकाल के किले की दीवार के भग्नावशेष आज भी यहां देखे जा सकते हैं।

15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ ग्वालियर, इन्दौर तथा मालवा की अन्य रियासतों के शासकों ने 22 अप्रैल, 1948 को प्रासंविदा पर हस्ताक्षर किए और 28 मई, 1948 को मध्य भारत संघ बना इस प्रकार सिरोज उप संभाग को छोड़कर वर्तमान विदिशा जिला, मध्य भारत का भाग बन गया।

1 नवम्बर, 1856 को राज्यों को पुनर्गठन के परिणामस्वरूप विदिशा जिले को नये मध्यप्रदेश के जिले के रूप में शामिल किया गया। इस अवसर पर सिरोज और लटेरी, जो राजस्थान से मध्यप्रदेश को अंतरित किए गए थे, उन्हें विदिशा जिले की तहसीलों के रूप में सम्मिलित किया गया।

1.6 जलवायु

विदिशा में मौसम विभाग की वैधशाला नहीं है अपितु उपलब्ध जानकारी अनुसार विदिशा का मौसम दक्षिण-पश्चिम मानसून काल को छोड़कर सामान्यतः शुष्क रहता है। वर्षा ऋतु सामान्यतः जून माह में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन से प्रारंभ होकर सितम्बर के अंत तक रहती है। जिले में सर्वाधिक वर्षा जुलाई माह में तथा औसत वार्षिक वर्षा 1230 मि.मी. दर्ज की गई है जिसका लगभग 92 प्रतिशत जून से सितम्बर माह की अवधि अंतर्गत है। ग्रीष्म ऋतु फरवरी के अंत से प्रारंभ होकर जून के मध्य तक रहती है तथा इस ऋतु में अधिकतम औसत तापमान 40 डिग्री सेन्टीग्रेड तथा न्यूनतम औसत तापमान 26 डिग्री सेन्टीग्रेड रहता है कभी-कभी ग्रीष्म काल में दिन का तापमान 48 डिग्री सेन्टीग्रेड से अधिक भी दर्ज किया गया है। शीत ऋतु माह अक्टूबर से फरवरी माह के मध्य तक रहती है तथा इस ऋतु में अधिकतम औसत तापमान 25 डिग्री सेन्टीग्रेड व न्यूनतम औसत तापमान 10 डिग्री सेन्टीग्रेड के लगभग रहता है। शीत ऋतु में कभी-कभी न्यूनतम तापमान 4-5 डिग्री सेन्टीग्रेड तक गिर जाता है।

दक्षिण -पश्चिम मानसून काल (मध्य जून से सितम्बर) में वायु मुख्यतः उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम के बीच की दिशाओं से बहती है। जनवरी से दोपहर बाद उत्तर-पश्चिम तथा पश्चिम की ओर से वायु का प्रवाह रहता है। ग्रीष्म ऋतु तक यह पश्चिमी हवाएं प्रातः और दोपहर के समय तेज गति से बहती है। इस प्रकार वर्षा भर में अधिकतम समय वायु प्रवाह की औसत दिशा उत्तर-पश्चिम एवं दक्षिण-पश्चिम के मध्य रहती है।

1.7 जनसंख्या परिवर्तन

विदिशा नगर, मध्यप्रदेश का एक प्रमुख एवं औद्योगिक, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक धरोहर का नगर है जो भोपाल, रायसेन, गंजबासौदा, सिरोंज आदि नगरीय केन्द्रों से जुड़ा हुआ है। नगर विकास योजना के सूजन के लिये जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन उसके विभिन्न पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए करना आवश्यक है।

विदिशा नगर की जनसंख्या वृद्धि की पूर्व प्रवृत्ति, वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक संरचना के अध्ययन से नगर की भावी जनसंख्या एवं भावी आवश्यकताओं का अनुमान करना संभव होगा। विदिशा नगर की जनसंख्या वर्ष 1901 में 7,481 थी जो विगत 90 वर्षों में बढ़कर 92,922 हो गई है। नगर की पिछले दस दशकों की जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन तथा उसका निकटवर्ती जिला मुख्यालय सीहोर और शाजापुर नगरों से तुलनात्मक विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

विदिशा : जनसंख्या परिवर्तन

1-सा-2

वर्ष	नगर की कुल जनसंख्या	दशक अंतर प्रतिशत		
		विदिशा	सीहोर	शाजापुर
1	2	3	4	5
1901	7481	-	-	-
1911	8427	+ 12.65	- 28.22	- 10.82
1921	8801	+ 4.44	+ 12.25	- 11.06
1931	1,0570	+ 20.10	+ 2.00	- 1.62

1941	14,472	+ 36.92	+ 21.44	+ 38.51
1951	19,184	+ 32.56	+ 24.05	+ 28.59
1961	27,718	+ 44.48	+ 36.15	+ 25.20
1971	43,212	+ 55.90	+ 26.84	+ 45.46
1981	65,521	+ 51.63	+ 44.43	+ 34.86
1991	92,922	+ 41.81	+ 37.05	+ 23.85

स्रोत - भारत की जनगणना

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्रारंभिक दशक में सामान्य वृद्धि (12.65%) के बाद 1911-1921 के दशक में इन्फ्लूएंजा जैसी महामारी के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर कम होकर 4.44% हो गई। सन् 1931 के बाद के दशकों में विदिशा नगर की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी जिसका कारण मृत्यु दर में कमी तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में नगर की ओर लोगों का आब्रजन है।

1.7.1 स्त्री-पुरुष अनुपात

विदिशा नगर में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है जबकि जनगणना 1901 के अभिलेख अनुसार 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 1005 थी जो 1961 में घटकर 833 रह गई। तदोपरान्त पुनः स्त्रियों के अनुपात में लगातार वृद्धि हुई है तथा 1971, 1981 एवं 1991 में यह अनुपात बढ़कर क्रमशः 837, 850 एवं 872 स्त्रियां प्रांत 1000 पुरुष हो गया है। यह वृद्धि दर नगर वासियों के शिक्षित होने तथा उनकी सामाजिक उन्नति का परिचायक है।

1.8 नगर की आर्थिक रूपरेखा

नगर का आर्थिक स्वरूप मुख्य रूप से कृषि एवं व्यापार वाणिज्यिक संबंधी गतिविधियों पर आधारित है। कृषि उत्पाद का प्रमुख केन्द्र होने के कारण यहां तत्संबंधी औद्योगिक विकास भी हुआ है। अपितु नगर में समग्र औद्योगिक विकास अपेक्षा के अनुरूप परिलक्षित नहीं होता है। प्रशासनिक एवं सेवा वर्ग छोड़कर नगर जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग, कृषि एवं व्यापार-वाणिज्यिक गतिविधियों से संलग्न है। कृषि उत्पाद में गेहूं, चना, सोयाबीन, तुअर आदि का थोक-व्यापार किया जाता है। जिनमें गेहूं उत्पाद में अग्रणी होने के कारण देश एवं प्रदेश के विभिन्न नगरों को निर्यात किया जाता है। कुल मिलाकर नगर का आर्थिक स्वरूप मध्यम श्रेणी का है।

1.8.1 व्यवसायिक संरचना (नगर)

किसी भी नगर की आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक स्थिति का अनुमान वहां के व्यापारिक ढांचे एवं सहभागिता दर से किया जा सकता है। जनगणना आंकड़ों के आधार पर विदिशा नगर में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे श्रमिकों/कार्यशील व्यक्तियों की संख्या (सहभागिता दर) वर्ष 1971 में 260 थी जो वर्ष 1981 एवं 1991 में बढ़कर क्रमशः 266 एवं 276 हो गई है। जो नगर में व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार के साधनों में वृद्धि परिलक्षित करता है। वर्ष 1991 में प्राथमिक क्षेत्र में 13.3 प्रतिशत श्रमिक/कार्यशील व्यक्ति कार्यरत पाए गए, जबकि द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः 21.4 प्रतिशत एवं 65.3 प्रतिशत रहा। जो नगर की आत्मनिर्भर आर्थिक दशा का परिचायक है। निम्न सारणी में विदिशा नगर की वर्ष 1991 की व्यवसायिक संरचना दर्शाई गई है।

विदिशा : व्यवसायिक संरचना

1-सा-3

वर्ग प्रकार	कार्यशील व्यक्ति/ श्रमिक	1000 श्रमिकों के पीछे श्रमिक विभाजन	प्रति 1000 जनसंख्या पर श्रमिक
अ प्राथमिक क्षेत्र			
1. कृषक	1716	67	18
2. कृषीय श्रमिक	687	27	7
3. खनन कार्य/पशुपालन	1000	39	11
योग	3403	133	36
ब द्वितीय क क्षेत्र			
4. निर्माण	1958	76	21
5. घरेलू उत्पादन	431	17	5
6. उत्पादन	3099	121	33
योग	5488	214	59
स तृतीयक क्षेत्र			
1. व्यापार एवं वाणिज्य	6082	237	66
2. यातायात संग्रहण, संचारण	2014	78	22
3. सेवाएं	8667	338	93
योग	16763	653	181
महायोग	25654	1000	276

स्रोत- भारत की जनगणना, 1991

1.82 व्यवसायिक संरचना (ग्रामीण)

विदिशा निवेश क्षेत्र में कुल 28 राजस्व ग्राम शामिल है। विदिशा नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर शेष ग्रामों की औसत व्यवसायिक संरचना का स्वरूप प्रमुख रूप से प्राथमिक क्षेत्र बाहुल्य है। जनगणना 1991 से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र की कुल जनसंख्या 8277 में से 3242 जनसंख्या श्रमिक/कार्यशील व्यक्तियों की है। इनमें लगभग 41.6 प्रतिशत खेतिहर श्रमिक तथा 42.3 प्रतिशत कृषक हैं। जबकि शेष 16.1 प्रतिशत कार्यशील श्रमिक अन्य क्षेत्रों की गतिविधियों से संलग्न हैं। इस प्रकार उक्त ग्रामीण क्षेत्र की सहभागिता पर 392 व्यक्ति प्रति हजार जनसंख्या आती है। जो नगरीय क्षेत्र की सहभागिता दर से काफी अधिक है।

1.83 थोक व्यापार एवं कृषि उपज

किसी भी नगर की आर्थिक उन्नति का प्रमुख आधार यहां के कृषि उत्पाद एवं उनका व्यापार है। कृषि उपज का थोक व्यापार विदिशा नगर महत्वपूर्ण व्यवसायिक गतिविधि है। दूरस्थ ग्रामों एवं क्षेत्रों से कृषक अपना उत्पाद विक्रय हेतु यहां स्थित कृषि उपज मंडी में लाते हैं। यहां के प्रमुख कृषि उत्पाद में गेहूं, चना, सोयाबीन, तुअर, ज्वार आदि है। कृषि उपज में यहां उन्नत किस्म के गेहूं की पैदावार सर्वाधिक होती है। वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में केवल स्थानीय कृषि उपज मंडी में क्रमशः 8.16 एवं 7.87 लाख किंवटल गेहूं की आवक हुई। यहां की कृषि उपज मंडी की स्थापना 1823 में की गई थी। वर्तमान मण्डी लोहांगी पहाड़ी के उत्तर पूर्व में लगभग 6.00 हेक्टर भूमि पर संचालित है। विदिशा कृषि उपज मंडी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1990-91 में 5.99 लाख किंवटल कृषि उपजमंडी में विक्रय हेतु लाई गई थी। जबकि वर्ष 1999-2000 में 13.82 लाख किंवटल की आवक हुई। इस प्रकार उक्त अवधि में मंडी में विक्रय हेतु लाई गई कृषि उपज में लगभग 131 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो नगर के व्यापार-व्यवसाय में वृद्धि एवं आर्थिक उन्नति इंगित करता है।

1.84 नगर पालिका की विर्तीय स्थिति

किसी भी नगर की आर्थिक क्षमता का अनुमान उस नगर में कार्यरत स्थानीय संस्थाओं के आय-व्यय पत्रक के अध्ययन से किया जा सकता है। नगरपालिका विदिशा से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 1990-91 में रु. 116.47 लाख वार्षिक आय के विरुद्ध रु. 111.69 लाख व्यय किये गये। जबकि 1998-99 में आय रु. 375.13 लाख के विरुद्ध व्यय रु. 312.51 लाख किये गये जो लगभग समान है। इस प्रकार उक्त अवधि में नगरपालिका की आय में लगभग 222 प्रतिशत तथा व्यय से लगभग 180 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो नगर की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त उन्नयन का परिचायक है।

1.9 नगर के मुख्य कार्यकलाप

विदिशा नगर अपनी पुरातन ऐतिहासिक धरोहर और बेतवा नदी के कछार का मुख्य नगर होने के कारण सांस्कृतिक, कृषि उपज, व्यवसाय का मुख्य केन्द्र है। वर्तमान में यह नगर एक प्रशासनिक केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है। नगर के मुख्य कार्यकलाप निम्नानुसार है -

1. कृषि आधारित उद्योग - विदिशा जिले में सोयाबीन अधिक मात्रा में उत्पादित होने के कारण यहां एक बड़े तेल उद्योग की स्थापना हुई है। इसके साथ ही नगर में कृषि संबंधी औजार बनाने के कई छोटे उद्योग स्थापित हैं।
2. प्रशासकीय केन्द्र - विदिशा नगर जिले का प्रशासकीय मुख्यालय है एवं इस कारण से प्रशासकीय केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है।
3. शैक्षणिक केन्द्र - शिक्षा की दृष्टि से विदिशा नगर महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यहां सामान्य शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा सप्राट अशोक टेक्निकल संस्थान भी है जो नगर की प्रमुख गतिविधि है।
4. सांस्कृतिक केन्द्र - पवित्र वेत्रवती (बेतवा) के किनारे स्थित होने के कारण यहां वर्ष भर धर्मावलम्बी स्नान आदि के लिये आते रहते हैं। प्रत्येक मकर संक्रांति के अवसर पर बेतवा के निकट एक बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें आयोजित होने वाली रामलीला स्थानीय व बाहर से आने वाले यात्रियों के लिये मुख्य आकर्षण होता है।
5. पर्यटक केन्द्र - नगर के चारों ओर पर्यटन स्थल होने के कारण यह नगर आने वाले पर्यटकों के लिये धुरी के रूप में कार्यरत है।

वर्तमान भूमि उपयोग एवं आवास

किसी नगर का आकार, उसके भौतिक स्वरूप और भौतिक विकास पर निर्भर करता है। वर्तमान विदिशा नगर के भौतिक विकास में बेतवा नदी और देहली-मुम्बई रेल मार्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नगर के दक्षिण-पूर्व में रेल मार्ग और पश्चिम में बेतवा नदी के भौतिक अवरोध होने के कारण विदिशा नगर 70 के दशक तक इन दोनों अवरोधों के बीच ही विकसित हुआ। सन् 1964-65 एवं 1973-74 में, प्राकृतिक विपदा के रूप में आई भीषण बाढ़ से नगर के ग्रसित होने के बाद, नगर का विकास देहली-मुम्बई रेल मार्ग के पूर्व की ओर प्रशासकीय और शैक्षणिक क्षेत्रों के चारों ओर होना आरंभ हुआ। इस प्रकार वर्तमान में नगर का लगभग 30 प्रतिशत भाग रेल्वे लाईन के दक्षिण-पूर्व में तथा शेष 70 प्रतिशत नगर, रेल्वे लाईन एवं बेतवा नदी के मध्य पुरानी बसाहट के चारों ओर अवस्थित है। नगर की पुरानी बसाहट इतिहास काल के किले के अंदर बसी है जिसके भग्नावशेष आज भी यहां देखे जा सकते हैं।

2.1 भूमि उपलब्धता

विदिशा निवेश क्षेत्र में 28 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। जिनका कुल क्षेत्रफल 10184.2 हेक्टेयर है। उक्त में नगर पालिका विदिशा का 860.00 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है। निवेश क्षेत्र 9629.2 हेक्टेयर भूमि भावी विकास हेतु उपलब्ध है जो कुल निवेश क्षेत्र का 94.65 प्रतिशत है। निवेश क्षेत्र के अंतर्गत भूमि का वर्गीकरण निम्न सारणी में दिया गया है।

विदिशा : भूमि संसाधन

2-सा-1

क्रमांक	भूमि उपयोग	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	विकसित क्षेत्र	528.3	5.19
	(अ) नगर पालिका सीमा के अंदर	498.3	
	(ब) नगर पालिका सीमा के बाहर	30.0	
2.	अनुपयुक्त भूमि	16.7	0.16
	(जलाशय/नाले आदि)		
3.	कृषि/उपयोगी भूमि	9639.2	94.65
	योग (निवेश क्षेत्र)	10184.2	100.00

स्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण पर आधारित

2.2 भूमि उपयोग वर्गीकरण -

नगर के भिन्न-भिन्न कार्यों के अनुरूप, भूमि उपयोग का निर्धारण भिन्न-भिन्न उपयोग अंतर्गत होता है। भूमि

उपयोग का आपसी सह-संबंध एवं उपयोगिता का अध्ययन असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों के विश्लेषण के लिये आवश्यक है। नगर की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों हेतु भूमि उपलब्धता का अध्ययन एवं भावी विकास हेतु भूमि का आंकलन करने के लिये भूमि उपयोग को निम्न वर्गों में विभक्त किया गया है -

(1) आवासीय (2) वाणिज्यिक, (3) औद्योगिक, (4) सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक, (5) सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाएं, (6) आमोद-प्रमोद, (7) यातायात एवं परिवहन, (8) रिक्त भूमि, (9) जल स्रोत, (10) कृषि भूमि।

उपरोक्त भूमि उपयोग वर्गीकरण का उपयोग, नगर के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र तैयार कर वैधानिक प्रकाशन में भी किया गया है।

2.3 वर्तमान भूमि उपयोग एवं भूमि उपयोगिता

किसी भी नगर के भावी स्वरूप का अनुमान करने एवं नगर की भावी विकास योजना तैयार करने के लिये उसके वर्तमान भूमि उपयोग का अध्ययन आवश्यक है। अतः विदिशा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 की विभिन्न उपधाराओं की वैधानिक प्रक्रिया पालन करते हुए प्रकाशन एवं तदनुसार धारा 15 (4) के अंतर्गत 6.6.1975 को सम्यक रूप से अंगीकृत किये गये हैं।


नगर विकास एक सतत प्रक्रिया है अतः वर्ष 1975 में स्थरीकृत वर्तमान भूमि उपयोग को वर्ष 2000 की स्थिति के अनुरूप अद्यतित किया गया है। इस प्रकार नगर का वर्तमान भूमि उपयोग वर्गीकरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है -

विदिशा : वर्तमान भूमि उपयोग 2000

2-सा-2

(क्षेत्र हेक्टर में)

क्र. भूमि उपयोग वर्गीकरण	नगर पालिका क्षेत्र	बाह्य वृद्धि क्षेत्र	योग (3+4)	प्रतिशत क्षेत्रफल (3+4)	विकसित क्षेत्र		भूमि उपयोग दर	
					7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आवासीय		265.5	20.5	285	32	285	53.9	219
2. वाणिज्यिक		30.7	1.0	31.7	3.6	31.7	6.1	0.24
3. औद्योगिक		33.0	1.0	34.0	3.8	34.0	6.5	0.26
4. सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक		60.2	0.8	61.0	6.9	61.0	11.5	0.47
5. सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं		5.6	1.7	7.3	0.8	7.3	1.4	0.06
6. आमोद प्रमोद		15.0	-	15.0	1.7	15.3	2.9	0.11
7. यातायात एवं परिवहन		89.3	5.0	94.3	10.6	94.3	18.1	0.73
8. रिक्त भूमि		44.0	-	44.0	4.9	-	-	-
9. कृषि भूमि		301.0	-	301.0	33.8	-	-	-
10. जल स्रोत		16.7	-	16.7	1.9	-	-	-
योग		860.0		890.0	100.0	528.3	100.0	4.02



टीप : (1) भूमि उपयोग दर हेक्टर प्रति हजार जनसंख्या में दी गई है।

(2) ग्राम मिर्जापुर एवं सागर मार्ग पर हुए विकास को बाह्य वृद्धि क्षेत्र में शामिल किया गया है।

(3) विदिशा नगर की वर्ष 2000 की जनसंख्या 1.30 लाख अनुमानित है।

स्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण पर आधारित।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि विदिशा नगर में आवासीय क्षेत्र सर्वाधिक 53.9 प्रतिशत है, जो सामान्य नगरों की तुलना में थोड़ा अधिक है। उक्त के बाद द्वितीय स्थान यातायात एवं परिवहन का है, जिसमें सामान्य 17.8 प्रतिशत भूमि आती है। सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक का तृतीय स्थान 11.5 प्रतिशत तथा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक वर्ग में काफी कम भूमि क्रमशः 6.5 प्रतिशत एवं 6.0 प्रतिशत है जो नगर के स्वरूप एवं आवश्यकता के मान से काफी कम होकर इन क्षेत्रों में नगर के पिछड़ेपन का परिचायक है। कुल मिलाकर नगर के वर्तमान भूमि उपयोग में असंतुलन है जिसे विकास योजना प्रस्ताव तैयार करते समय ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

नगर की बसाहट नगरपालिका सीमा के अंदर फैली हुई है, अपितु कुछ नवीन विकास सागर एवं अहमदपुर मार्ग पर नगर पालिका सीमा के बाहर भी हुआ है जिसे बाह्य वृद्धि क्षेत्र के रूप में माना गया है। ग्राम मिर्जापुर को भी नगर के बाह्य वृद्धि क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। इसमें मुख्यतः आवासीय वर्ग के अंतर्गत ही विकास हुआ है। इस प्रकार नगर का कुल विकसित क्षेत्र 528.3 हेक्टर है जो 246 व्यक्ति प्रति हेक्टर की सकल घनता हुआ है। इबकि वर्तमान भूमि उपयोगिता दर 4.06 हेक्टर प्रति 1000 जनसंख्या आती है। यह दर सामान्य नगरों दर्शाता है। जबकि वर्तमान भूमि उपयोगिता दर 4.06 हेक्टर प्रति 1000 जनसंख्या आती है। यह दर सामान्य नगरों की तुलना में अत्यंत कम है। इसका प्रमुख कारण नगर में उच्च एवं मध्यम घनत्व वाले क्षेत्रों की बहुलता तथा अन्य गतिविधियों यथा व्यापार-वाणिज्य, औद्योगिक, आमोद-प्रमोद इत्यादि में कमी है।

2.4 आवासीय घनत्व

किसी भी नगर के विभिन्न भू-उपयोगों में, आवासीय उपयोग के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र समाहित होता है। विदिशा नगर भी इसका अपवाद नहीं है। यह उपयोग नगर की संरचना, स्वरूप, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। नगर में विद्यमान आवासीय व्यवस्था के गुणात्मक एवं संख्यात्मक अध्ययन एवं जनसंख्या के आधार पर, आवास गृहों की कमी, मकानों की दशा, आवासीय घनत्व, आवासीय क्षेत्र का वर्गीकरण आदि का अध्ययन किया जा सकता है।

विदिशा नगर की आवासीय संरचना के अध्ययन अनुसार नगर पालिका क्षेत्र सघन बसा हुआ है। जिसका औसत आवासीय घनत्व 499 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है जो सामान्य नगरों की तुलना में काफी अधिक है। आवासीय उपयोग अंतर्गत 2.14 हेक्टेयर प्रति जनसंख्या की भू उपयोग दर आती है। यहां अधिवासी दर अधिक होकर भवन घने अवस्थित है। नगर की पुरानी बस्ती, किले के अंदर की आवासीय घनता अधिक तथा मुम्बई-दिल्ली रेल मार्ग के पूर्व की ओर बसे क्षेत्र की घनता कम पाई गई। नगर पालिका सीमा के बाहर हुए बाह्य वृद्धि क्षेत्र की आवासीय घनता 122 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। रेल्वे स्टेशन से तिलक चौक मार्ग पर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में आवासीय-सह-वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित हैं। वर्तमान में नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक आवासीय घनत्व 2431 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर संत तुलसीदास राई में तथा सबसे कम घनत्व लाल बहादुर शास्त्री वाई में 168 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। नगर के विभिन्न वाड़ों/क्षेत्रों में आवासीय घनत्व निम्न सारणी में दर्शाया गया है -

विदिशा : आवासीय घनत्व (वार्ड अनुसार)

2-सा-3

क्र. वार्ड का नाम	वार्ड का क्षेत्रफल (हेक्टर)	आवासीय क्षेत्र (हेक्टर)	जनसंख्या 2000	आवासीय घनत्व व्यक्ति/हेक्टर	
1	2	3	4	5	6
1. वैत्रवती वार्ड	128.0	16.17	3480	215	
2. बीजा मण्डल वार्ड	6.5	5.41	2950	545	
3. महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड	6.6	2.91	3110	1069	
4. बालाजी वार्ड	8.0	3.88	3380	871	
5. महाकवि कालीदास वार्ड	8.0	4.97	3525	709	
6. महावीर स्वामी वार्ड	5.0	3.06	2905	949	
7. नाना साहब पेशवा वार्ड	90.0	16.40	3875	236	
8. रसखान वार्ड	4.8	1.70	3080	1812	
9. छत्रपति शिवाजी वार्ड	5.0	3.85	3575	929	
10. संत तुलसीदास वार्ड	3.2	1.23	2990	2431	
11. श्रद्धानंद वार्ड	6.1	2.78	3300	1187	
12. मुंशी प्रेमचन्द वार्ड	35.4	5.65	3545	627	
13. चाणक्य वार्ड	9.6	2.41	3390	1407	
14. गांधी वार्ड	8.6	5.25	3410	649	
15. गुरुनानक वार्ड	12.1	6.53	3680	564	
16. दुर्गा वार्ड	5.6	4.45	3390	762	
17. इंदिरा गांधी वार्ड	57.0	7.16	3710	518	
18. रानी दुर्गावती वार्ड	61.0	4.67	3580	767	
19. महाराणा प्रताप वार्ड	14.2	7.03	3710	528	
20. कस्तूरबा वार्ड	8.6	3.89	3580	920	
21. सरोजनी नायडू वार्ड	15.2	7.74	3730	482	
22. संत विनोबा वार्ड	4.0	3.12	2880	929	
23. स्वामी विवेकानंद वार्ड	6.0	3.60	3670	1019	
24. रामकृष्ण परमहंस वार्ड	15.0	3.76	3545	943	
25. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड	5.0	2.67	2790	1045	
26. डॉ. अम्बेडकर वार्ड	10.1	4.56	3745	821	

1	2	3	4	5	6
27.	स्वामी दयानंद वार्ड	8.6	1.66	3340	2013
28.	जवाहरलाल नेहरू वार्ड	42.3	5.36	3740	698
29.	चंद्रगुप्त वार्ड	49.4	17.51	4215	241
30.	शहीद भगत सिंह वार्ड	10.2	7.78	3855	496
31.	चंद्रशेखर आजाद वार्ड	10.1	14.56	4270	293
32.	सम्राट अशोक वार्ड	99.0	9.00	3620	402
33.	टैगौर वार्ड	26.3	16.21	3890	240
34.	लालबहादुर शास्त्री वार्ड	23.5	26.13	4380	168
35.	राजीव नगर वार्ड	36.0	8.85	3865	437
36.	डॉ. राधाकृष्णन वार्ड	41.0	13.39	3800	284
नगरपालिका क्षेत्र (अ)		885.0	255.30	127500	499
बाह्य वृद्धि क्षेत्र (ब)		30.0	20.50	2500	122
महायोग (अ + ब)		915.0	275.80	130000	471

टीप : (1) वार्ड क्र. 1 के कुल क्षेत्रफल में निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित नगर पालिका क्षेत्र का 25 हेक्टर क्षेत्र शामिल है।

(2) आवासीय क्षेत्र की गणना में निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित नगरपालिका क्षेत्र का आवासीय क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।

स्रोत : नगरपालिका परिषद, विदिशा

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि नगर 14 वार्ड उच्च घनत्व, 13 रार्ड मध्यम घनत्व तथा शेष 9 वार्ड निम्न घनत्व के साथ बसे हुए हैं। इस प्रकार नगर की 35.03 जनसंख्या उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में निवास करती है जिसका मुख्य कारण पुराने विदिशा नगर क्षेत्र की सघन बसाहट है जबकि मध्यम एवं निम्न श्रेणी में क्रमशः 35.82 प्रतिशत एवं 29.15 प्रतिशत जनसंख्या निवासरत है। विकास योजना प्रस्तावों के सृजन करते समय नगर के सघन क्षेत्रों की आवासीय घनता को कम करने हेतु प्रस्ताव किया जाना आवश्यक होगा। वर्गवार आवासीय घनता का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ग	आवासीय धनता (जनसंख्या प्रति हेक्टर)	जनसंख्या	प्रतिशत
उच्च घनत्व	851 तथा अधिक	45535	35.03
मध्य घनत्व	451 से 850	46570	35.82
निम्न घनत्व	450 तथा कम	37895	29.15

2.41 अधिवासी दर

जनगणना 1991 के अनुसार विदिशा नगर की औसत अधिवासी दर 6.66 व्यक्ति प्रति आवास है जबकि औसत परिवार आकार 5.40 व्यक्ति आता है। उक्त आंकड़े नगर में आवासों की कमी के साथ-साथ परिवार के बड़े आकार होना प्रदर्शित करते हैं।

2.42 गंदी बस्तियां एवं झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र

जिन आवासीय क्षेत्रों में अधिक सघनता, कच्चे, टूटे-फूटे मकान, अस्वास्थ्यप्रद पर्यावरण तथा मूलभूत सेवा-सुविधाओं का अभाव है, उन क्षेत्रों को गंदी बस्ती क्षेत्र कहा जाता है। नगर की बसी हुई कुछ कुछ बस्तियों में मानव निवास हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का अभाव है इन बस्तियों में उपयुक्त पर्यावरण का अभाव होने के साथ ही मकानों की दशा दयनीय है। इन बस्तियों में बांस, बल्ली और चटाई आदि से निर्मित मकान, झुग्गी-झोपड़ी की श्रेणी में आते हैं। विदिशा नगर में गंदी बस्ती व झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों का विस्तृत विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है -

विदिशा : गंदी बस्ती एवं झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र

2-सा-4

क्रमांक	गंदी बस्ती का नाम	क्षेत्रफल	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	बकसरिया	09.00	4800
2.	वाटर वर्क्स टंकी के पीछे का क्षेत्र	02.00	1280
3.	डण्डापुरा में संजय कालोनी के सामने का क्षेत्र एवं काछी मंदिर के पास तथा पेड़ी स्कूल के पीछे खाई बस्ती	15.00	2306
4.	रंगियापुरा	01.10	976
5.	खटिया पटेल, फूल सिंह, पराग सिंह, काछी के बगीचे से होकर रामलीला मार्ग पर गणेश मंदिर तक	15.00	855
6.	जतरापुरा	16.00	1872
7.	मोहनगिरि	16.00	3540
8.	लोहांगीपुरा	22.00	3280
9.	विदिशा इंजी. वर्क्स से श्रीराम नगर चौराहा तक	01.00	726
10.	खारीफाटक के बाहर पुलिया से सागर मार्ग पुलिया तक	04.00	4436
11.	वार्ड नं. 24-25 काछी मोहल्ला	06.00	2352
योग		107.00	26423

स्रोत : नगरपालिका परिषद विदिशा

उपरोक्त सारणी के आधार 107 हेक्टेयर क्षेत्र, जो कुल विकसित क्षेत्र का 20.5 प्रतिशत है, में 26423 जनसंख्या निवास करती है, जो नगर की आबादी का 28.44 प्रतिशत है तथा सकल घनत्व 247 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। इन बस्तियों और झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों का पर्यावरण सुधार अथवा आवश्यकतानुसार पुनर्व्यवस्थापन किया जाना नितान्त आवश्यक है।

2.4.3 आवासीय इकाईयों की कमी

विदिशा नगर में जनसंख्या परिवर्तन का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि विगत तीन दशकों 1961-71, 1971-81 एवं 1981-91 में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्रमशः 55.90, 51.63 एवं 41.81 रहा, जो निकटवर्ती नगरों में भोपाल के बाद सर्वाधिक था। इस प्रकार नगर में जनसंख्या की तो वृद्धि हुई पर उसके अनुपात में आवासीय भवनों का निर्माण नहीं हो पाया है। वर्ष 1991 की जनगणना अनुसार विदिशा नगरीय क्षेत्र के कुल 13946 मकानों में 16899 परिवार निर्वासित है तथा प्रत्येक मकान में औसतन 6.66 व्यक्ति निवास करते हैं जो कि सामान्य से अधिक है। प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता के मान से वर्ष 1991 में 2953 आवासों की कमी नगर में पायी गई। इसके अतिरिक्त झुग्गी-झोपड़ी और गंदी बस्ती क्षेत्र के भवनों के 80 प्रतिशत एवं वर्तमान मकानों के 2 प्रतिशत का पुनर्निर्माण की कमी के रूप में शामिल करते हुए 5423 आवासों की कमी अनुमानित की गई है। जिसका विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

विदिशा : आवासों की कमी

2-सा-5

क्रमांक	विवरण	आवास इकाई	पुनर्निर्माण का प्रतिशत	आवास इकाईयों की कमी
1.	सन् 1991 तक शेषपूर्ति	-	-	2953
2.	आवास हेतु अनुपयुक्त आवास (गंदी बस्ती एवं झुग्गी-झोपड़ी)	2737	80 प्रतिशत	2190
3.	निकृष्ट आवासों का जीर्णोद्धार	13946	2 प्रतिशत	280
	योग			5423

स्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा आंकित।

2.5 वाणिज्यिक

विदिशा नगर यातायात की दृष्टि से आस पास के सभी बड़े नगरों से रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है तथा मुम्बई-देहली और चेन्नई-देहली मुख्य रेलमार्ग पर होने के कारण नगर की व्यापारिक गतिविधियों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। नगर में वाणिज्यिक गतिविधियां लगभग सभी मुख्य मार्गों पर स्थित हैं वाणिज्यिक गतिविधियों के प्रमुख केन्द्र बड़ा बाजार, सावरकर मार्ग, बाल विहार एवं माधवगंज आदि हैं। भूमि उपयोग वर्गीकरण के अनुसार वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत 31.7 हेक्टर भूमि है। जो कुल विकसित क्षेत्र का 6.0 प्रतिशत है। नगर के बाजार समूहों की सूची निम्न सारणी में दर्शायी गई है :-

क्रमांक	व्यापार का प्रकार	स्थान
1	2	3
1	वस्त्र व्यापार	माधवगंज, बड़ा बाजार एवं निकासा विदिशा
2	रेडीमेड वस्त्र तथा होजरी	माधवगंज, बड़ा बाजार एवं निकासा विदिशा
3	वर्तन	सावरकर पथ, कोतवाली के पास बड़ा बाजार
4	कबाड़ी बाजार	बाल विहार, नीमताल
5	सब्जी एवं फल बाजार	नवीन सब्जी मंडी, पुरानी सब्जी मंडी, सावरकर बाल विहार
6	स्टेशनरी	निकास मार्ग, माधवगंज
7	किराना, सूखे मेवे, खाद्यान्न	बांसकुली, बजरिया
8	घास	बांसकुली, बजरिया
9	सराफा	बड़ा बाजार, तिलक चौक
10	कोयला	वाचनालय मार्ग
11	भवन निर्माण सामग्री	बांसकुली
12	लोहा मंडी	बड़ा बाजार, माधवगंज
13	अनाज	कृषि उपज मंडी, लुहांगी बाल विहार

स्त्रोत : नगर पालिका परिषद, विदिशा

2.5.1 थोक एवं फुटकर बाजार

- (क) फल एवं सब्जी मण्डी - वर्तमान में फल एवं सब्जी बाजार सावरकर कालोनी, जय स्तम्भ, बस स्टेण्ड, सुभाष चौक तथा मार्गों के किनारे संचालित है जो सुगम यातायात में अवरोध उत्पन्न करती है अतः इसे अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक होगा।
- (ख) भवन निर्माण सामग्री एवं लोहा बाजार - ये बाजार बांसकुली, बड़ा बाजार, माधवगंज एवं नगर में यत्र-तत्र व्यस्तम क्षेत्रों में संचालित है। जिसके कारण माल लदान-उतार एवं लाने-ले जाने में सुगम यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है अतः इसे अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है।
- (ग) पशुवध गृह एवं मांस-मछली बाजार - वर्तमान में यह गतिविधि जय स्तम्भ के निकट सघन आबादी क्षेत्र में स्थित है। जो आस-पास की गतिविधियों से असंगतता रखने के साथ-साथ इस क्षेत्र के पर्यावरण को भी कुप्रभावित करती है। अतः इसे अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना नितांत आवश्यक है।

- (घ) यातायात नगर एवं अग्रेषण अभिकरण - नगर में वर्तमान में यातायात नगर नहीं है जिसके कारण तत्संबंधी समस्त गतिविधियां विभिन्न मार्गों के किनारे तथा अग्रेषण अभिकरणों के निकट, प्रमुख रूप से विद्युत मण्डल कार्यालय के निकट, माधोगंज, लोहिया उद्यान इत्यादि क्षेत्रों में संचालित होती है तथा ट्रक मार्गों के किनारे अवसान रहते हैं, जो यातायात में भारी व्यवधान करते हैं। अतः विकास योजना में यातायात नगर हेतु प्रावधान किया जाकर समस्त अग्रेषण अभिकरणों को स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है।
- (ङ) कृषि उपज मण्डी - नगर की वर्तमान कृषि उपज मण्डी लोहांगी पहाड़ी के उत्तर-पूर्व में लगभग 6.00 हेक्टर भूमि पर संचालित है। यहां अनाज का थोक व्यापार होता है तथा ट्रकों एवं अन्य माल वाहक वाहनों के आवागमन की बहुलता रहती है। यह क्षेत्र आबादी क्षेत्र से घिरा हुआ है तथा भावी विकास हेतु यहां भूमि उपलब्ध नहीं है। माल वाहक वाहनों एवं ट्रकों के सतत आवागमन के कारण सुगम यातायात प्रभावित होता है। यहां वाहनों के विराम एवं अवसान हेतु भी स्थानाभाव है अतः वर्तमान कृषि उपज मण्डी को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है।
- (च) गोदाम एवं काष्ठ भंडार - विद्युत मण्डल कार्यालय माधोगंज एवं लोहिया उद्यान के निकट स्थित वर्तमान अग्रेषण अभिकरणों के पास स्थित मालगोदामों को अग्रेषण अभिकरणों के साथ-साथ स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है ताकि इन गतिविधियों के इन स्थलों पर संचालन होने से वर्तमान यातायात समस्याओं का समाधान हो सके। अपितु कृषि उपजमण्डी एवं मेला मैदान के निकट स्थित म.प्र. वेयर हाउसिंग निगम एवं भारतीय खाद्य निगम के गोदाम उनके वर्तमान स्थल पर यथावत रखे जा सकते हैं। स्वर्णकार कालोनी में स्थित काष्ठ भंडार को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है जबकि अहमदपुर मार्ग पर स्थित बन विभाग का काष्ठ डिपो स्थल, जो लगभग 2.00 हेक्टर भूमि पर स्थित है, उपयुक्त है।
- (छ) दुग्ध डेयरियां - नगर में यत्र-तत्र स्थित एवं सभावित दुग्ध डेयरियां नागरिक जीवन के लिये पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करने के साथ-साथ यातायात संबंधी विभिन्न समस्याएं भी उत्पन्न करती हैं। अतः इन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। नगर में प्रमुख रूप से स्वर्णकार कालोनी जैन मंदिर के पास दुग्ध डेयरियां संचालित हैं।

2.5.2 दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान

वर्ष 1990 में नगर में 1333 दुकानें एवं 315 वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कार्यरत थे जो बढ़कर वर्ष 1994 में 1825 दुकानें एवं 481 प्रतिष्ठान हो गये। वर्ष 1995 में दुकानों और प्रतिष्ठानों की संख्या में कमी हुई, परन्तु इसके बाद के वर्षों में दुकानों एवं प्रतिष्ठानों की संख्या में पुनः वृद्धि आरंभ हुई। वर्ष 1999 में दुकानों की संख्या 2207 एवं प्रतिष्ठानों की संख्या 390 हो गई। वर्ष 1990 में कुल वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की संख्या 1825 थी, जो 1999 में बढ़कर 2790 हो गई। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 52.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो नगर की व्यापार वाणिज्यिक गतिविधियों में उन्नयन का परिचायक है। नगर में केवल दो छविगृह हैं। निम्न सारणी में उक्त की वर्षवार स्थापना संख्या दर्शाई गई है।

विदिशा : दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान

2-सा-7

क्र.	वर्ष	दुकानें	वाणिज्यिक	होटल/	छविगृह/चौड़ियों	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	1990	1333	315	172	5	1825
2	1991	1378	349	179	2	1908
3	1992	1568	422	198	2	2190
4	1993	1707	475	208	2	2392
5	1994	1825	481	215	2	2523
6	1995	1748	352	172	4	2276
7	1996	1839	360	173	4	2376
8	1997	1979	368	173	4	2524
9	1998	2152	390	183	4	2790
10	1999	2207	390	190	3	2790

स्त्रोत - श्रम कार्यालय विदिशा

2.6 औद्योगिक

विदिशा जिला कृषि प्रधान होने के कारण यहां कृषि आधारित उद्योगों की बाहुल्यता है। नगर में औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत कुल 34.0 हेक्टर भूमि है जो कुल विकसित क्षेत्र का 6.5 प्रतिशत है। सागर मार्ग पर उद्योग विभाग द्वारा 10.05 हेक्टर क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त नगर में विभिन्न स्थानों पर 140 पंजीकृत लघु उद्योग कार्यरत हैं। इन इकाईयों के प्रकार, संख्या और रोजगार क्षमता की जानकारी निम्न सारणी में दर्शायी गयी है -

विदिशा : पंजीकृत उद्योग एवं रोजगार

2-सा-8

क्रमांक	औद्योगिक इकाईयों का प्रकार	इकाईयों की संख्या	रोजगारित संख्या
1	2	3	4
1.	तेल मिल	3	10
2.	दाल मिल	4	42
3.	कृषि औजार	35	152
4.	रसायन उद्योग	10	49
5.	स्टील फर्नीचर	5	26
6.	बेकरी	2	6
7.	कागज निर्माण	1	40
8.	कंटेनर उद्योग	1	12

1	2	3	4
9.	बेट्री	1	6
10.	प्लास्टिक (वॉटल, थैली)	4	14
11.	लेथ मशीन वर्कशॉप	11	40
12.	रेडीमेड वस्त्र	38	92
13.	दुग्ध संयंत्र	1	28
14.	कोल ब्रिकेट	1	4
15.	लुब्रिकेटिंग आईल	4	42
16.	प्रिंटिंग प्रेस	12	36
17.	आईस केंडी/आईस फेकट्री	4	14
18.	जूते	2	20
19.	पेन्टस	1	7
योग		140	640

स्रोत - जिला उद्योग केन्द्र, विदिशा

2.6.1 पंजीकृत कारखाने

नगर में एक करोड़ रुपए से अधिक पूंजी वेष्ठन के तीन बड़े उद्योग कार्यरत हैं। इन उद्योगों में से दो, विदिशा निवेश सीमा में तथा एक निवेश क्षेत्र सीमा से बाहर उदयगिरी मार्ग पर स्थित हैं। परन्तु यह उद्योग अपनी नगरी आवश्यकताओं के लिये विदिशा नगर पर ही आश्रित हैं। इन उद्योगों का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है-

विदिशा : एक करोड़ से अधिक पूंजी विनियोग के पंजीकृत उद्योग

2-सा-9

क्र.	उद्योग का नाम	स्थल	पूंजी विनियोग (लाख रुपए में)	उत्पादन क्षमता	रोजगार क्षमता
1	2	3	4	5	6
1.	मेसर्स एस.एम. डायकेम (वायटल सोया आयल)	सांची मार्ग	1168.3	2.27 मी. टन	301
2.	मै. शिवशक्ति पेपर मिल	जतरापुरा	238.0	7200 मी. टन	134
3.	मै. एम.पी. बोर्ड एवं पेपल मिल	उदयगिरी मार्ग	141.0	6000 मी. टन	135
			1547.3	570	

स्रोत - जिला उद्योग केन्द्र, विदिशा

उपरोक्त पंजीकृत उद्योगों के अलावा नगर में विभिन्न लघु एवं गृह उद्योग यथा आरा मशीनें, कर्मशालाएं,

इत्यादि कार्यरत है। नगर में रैदास मार्ग पर चर्म शोधन केन्द्र था, जो अब चिरोड़िया ग्राम में स्थानांतरित हो गया। इसी के निकट शासकीय नसरों का छात्रावास भवन भी निर्मित हुआ है।

2.7 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

नगर में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत 61.0 हेक्टेयर भूमि है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 11.5 प्रतिशत आता है। सार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत मुख्यतः शैक्षणिक, स्वास्थ्य, कार्यालय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि गतिविधियां आती हैं।

2.7.1 शैक्षणिक

सन् 1886 तक केवल एक हिन्दी और संस्कृत शाला, नगर के बालाजी मंदिर में संचालित थी। सन् 1887 में शासन द्वारा एक पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई तथा सन् 1890-91 में यह शाला उच्चतर माध्यमिक शाला के रूप में परिवर्तित कर दी गई। सन् 1935 में सेठ शितवराय लखमीचंद ट्रस्ट द्वारा नगर में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सन् 1958 में महाविद्यालय की स्थापना की गई। सन् 1956 में जीवाजी राव शिक्षा समिति द्वारा विविध शिल्प शाला एवं 1960 में यांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई। विदेश जिले की गतिविधियां मुख्यतः कृषि प्रधान होने के कारण नगर में कृषि और पशु चिकित्सा संबंधी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की आवश्यकता है।

अ. महाविद्यालय

उच्च शिक्षा के लिए नगर में 6 महाविद्यालय हैं, जिनमें विज्ञान/कला/वाणिज्य और विधि संकायों की शिक्षा प्रदान की जाती है। इन महाविद्यालयों में से शासकीय कन्या महाविद्यालय वर्तमान में सावरकर बाल विहार के पास संचालित है, जिसे स्थान की कमी और उपयुक्त स्थल न होने के कारण स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। उक्त के अलावा आवासयी भवनों में तथा अनुपयुक्त स्थल पर संचालित महाविद्यालयों को भी अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।

ब. सम्राट अशोक प्रौद्योगिकी संस्थान

सन् 1956 में महाराजा जीवाजी राव शिक्षा समिति द्वारा नगर में सम्राट अशोक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई। जिसमें पत्रोपाधि एवं यांत्रिकी उपाधि पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। तथा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल तथा कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के अध्यापन की व्यवस्था की गई है। संस्था के पास सभी उपकरणों सहित स्वयं का भवन है तथा खेल मैदान, पुस्तकालय और छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। इस संस्थान में प्रदेश और देश के विभिन्न भागों से विद्यार्थी अध्ययन हेतु प्रवेश लेते हैं।

स. विद्यालय/शालाएं

नगर में राज्य शासन द्वारा संचालित 20 प्राथमिक शालाएं, 11 माध्यमिक शालाएं, 1 हाई स्कूल तथा 4 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। इन विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसके अतिरिक्त 26 प्राथमिक शालाएं, 36 माध्यमिक विद्यालय, 17 हाई स्कूल एवं 9 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी नगर में निजी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। निजी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में स्थान और स्वच्छ पर्यावरण का अभाव है। उक्त के अलावा विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में पूर्व प्राथमिक शालाएं भी संचालित हैं।

द. संगीत तथा संस्कृत विद्यालय

नगर में एक संगीत विद्यालय संचालित था जिसकी स्थापना सन् 1954 में की गई थी। सन् 1962-63 से यह विद्यालय इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय से संबद्ध था। यहां शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी जाती थी। वर्तमान में यह विद्यालय बंद है। उक्त के अलावा नगर में सन् 1953 में एक शासकीय संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई। इस संस्था में संस्कृत, साहित्य, व्याकरण, दर्शन, काव्य, वेद पिंगल, ज्योतिष, हिन्दी, सामान्य विज्ञान और अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान की जाती है। यह शाला संस्कृत विश्व विद्यालय वाराणसी और संस्कृत विश्व विद्यालय/परिषद, भारतीय विद्यालय भवन मुम्बई से संबद्ध है। नगर स्थित महाविद्यालय एवं शालाओं का विवरण निम्न सारणी में दर्शित है।

विदिशा : महाविद्यालय एवं तकनीकी संस्थाएं

2-स-10

क्र. संस्था का नाम	वर्तमान स्थल	लगभग क्षेत्रफल (हे.)	खेल मैदान	विस्तार की संभावना	भवन स्वामित्व	भवन की दशा	स्थल संबंधी उपयुक्तता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. सम्राट अशोक प्रौद्योगिकी संस्थान	टीलाखेड़ी मार्ग	35.0	हां	हां	निजी	पक्का	उपयुक्त	
2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	सागर मार्ग	0.7	नहीं	नहीं	शास.	पक्का	उपयुक्त	
3. जैन महाविद्यालय	जेल मार्ग	2.8	हां	हां	निजी	पक्का	उपयुक्त	
4. शा. कन्या महाविद्यालय	नगर पालिका के पास	0.7	हां	नहीं	नगर पालिका	पक्का	अनुपयुक्त	
5. बी.एम. डिग्री महाविद्यालय	बिजली घर के सामने	0.5	नहीं	नहीं	निजी	अर्धपक्का	अनुपयुक्त	
6. इन्द्रा कॉम्प्लेक्स डिग्री महाविद्यालय	नीमताल के पास	0.2	नहीं	नहीं	निजी	पक्का	अनुपयुक्त	
7. रामकृष्ण मेमो महाविद्यालय	सागर मार्ग	0.05	हां	नहीं	निजी	पक्का	उपयुक्त	
8. सेंट मेरी डिग्री महाविद्यालय	सागर मार्ग	2.0	नहीं	नहीं	निजी	पक्का	उपयुक्त	
9. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सागर मार्ग	0.7	नहीं	हां	शास.	पक्का	उपयुक्त	

टीप - क्रं.-2 एवं क्रं.-9 एक ही परिसर में संचालित है।

स्रोत - नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा सर्वेक्षण आधारित

विदिशा : उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

2-स-11

क्र.	संस्था का नाम	वर्तमान	लगभग	खेल	विस्तार	भवन	भवन	स्थल
		स्थल	क्षेत्रफल	मैदान	की संभावना	स्वामित्व	की दशा	संबंधी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	शा. बालक उ.मा. विद्यालय	सांची मार्ग	3.00	हां	हां	शासकीय	पक्का	उपयुक्त
2.	शा. महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उ.मा.वि.	बड़ा बाजार	0.50	हां	नहीं	शासकीय	पक्का	उपयुक्त
3.	शा.उ.मा. विद्यालय	बरईपुरा	1.20	हां	हां	शासकीय	पक्का	उपयुक्त
4.	शा. संस्कृत उ.मा.	किले अंदर	0.10	हां	नहीं	शासकीय	पक्का	उपयुक्त
5.	जैन उ.मा. विद्यालय	जैन कालेज परिसर	1.50	हां	हां	निजी	पक्का	उपयुक्त
6.	सेंट मेरी कान्वेन्ट उ.मा. विद्यालय	सागर मार्ग	2.00	हां	हां	निजी	पक्का	उपयुक्त
7.	सुपाशर्व उ.मा. विद्यालय	पीतल मिल चौराहा	0.40	हां	नहीं	निजी	पक्का	उपयुक्त
8.	सरस्वती विद्या मंदिर उ.मा. विद्यालय	तलैया	0.25	हां	नहीं	निजी	पक्का	उपयुक्त
9.	जनता उ.मा. विद्यालय	पूरनपुरा	0.10	हां	नहीं	निजी	पक्का	उपयुक्त
10.	वात्सल्य उ.मा. विद्यालय	हरीपुरा	2.00	हां	हां	निजी	पक्का	उपयुक्त
11.	न्यू जैन उ.मा. विद्यालय	शेरपुरा	0.10	नहीं	नहीं	निजी	पक्का	उपयुक्त
12.	साकेत गरिमा उ.मा. विद्यालय	सागर मार्ग	0.20	हां	हां	निजी	पक्का	उपयुक्त
13.	विदिशा एकेडेमी उ.मा. विद्यालय	किले अंदर	0.10	नहीं	नहीं	निजी	पक्का	उपयुक्त
14.	शा.कन्या हाईस्कूल	शेरपुरा	0.10	हां	नहीं	शासकीय	पक्का	उपयुक्त
15.	ट्रिनिटी कान्वेंट हाई स्कूल	पीतल मिल	0.80	हां	हां	निजी	पक्का	उपयुक्त

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	सन राइजर मॉडल हाईस्कूल	हरीपुरा	0.30	हां	हां	निजी	पक्का	उपयुक्त
17.	मानस शिशु मंदिर हाई स्कूल	डंडापुरा	0.15	हां	नहीं	निजी	पक्का	उपयुक्त
18.	संध्या बाल विद्या मंदिर हाईस्कूल	पशु	0.10	नहीं	नहीं	निजी	पक्का	उपयुक्त
19.	रामकृष्ण मेमो. हाईस्कूल	अहमदपुर मार्ग	0.06	हां	हां	निजी	पक्का	उपयुक्त
20.	शुभम मेमोरियल हाईस्कूल	गल्ला मंडी के पास	0.03	नहीं	नहीं	निजी	पक्का	अनुपयुक्त
21.	यूनिक केरियर हाईस्कूल	गल्ला मंडी के पास	0.03	नहीं	नहीं	निजी	पक्का	अनुपयुक्त
22.	लवकुश हाईस्कूल	लोहांगी के पास	0.02	नहीं	नहीं	निजी	पक्का	अनुपयुक्त
23.	एस.पी. पब्लिक हाईस्कूल	गल्ला मंडी के पास	0.02	नहीं	नहीं	निजी	पक्का	अनुपयुक्त
24.	ब्रिलिएंट हाईस्कूल	कृष्णा कालोनी	0.05	नहीं	नहीं	निजी	पक्का	उपयुक्त
25.	जगदंबा हाईस्कूल	टीलाखेड़ी	0.03	नहीं	नहीं	निजी	पक्का	उपयुक्त
26.	लिटिल रोजेज हाई स्कूल	अहमदपुरा मार्ग	0.01	नहीं	नहीं	निजी	पक्का	उपयुक्त
27.	वर्षाना हाईस्कूल	सागर मार्ग	0.02	नहीं	नहीं	निजी	पक्का	उपयुक्त
28.	ज्ञान ज्योति हाईस्कूल	सागर पुलिया	0.02	नहीं	नहीं	निजी	पक्का	उपयुक्त
29.	आल माइटी हाईस्कूल	दुर्गा नगर	0.02	नहीं	नहीं	निजी	पक्का	उपयुक्त
30.	नेशनल हाईस्कूल	अस्पताल मार्ग	0.03	नहीं	नहीं	निजी	पक्का	उपयुक्त
31.	राजमल बड़जात्या हाईस्कूल	अस्पताल के सामने	0.40	हां	हां	निजी	पक्का	अनुपयुक्त

स्रोत - जिला शिक्षा अधिकारी, विदिशा

2.7.2 स्वास्थ्य

नगर में 163 चिकित्सा बिस्तर वाला एक शासकीय जिला चिकित्सालय है जिसमें सामान्य रोगों के अलावा तपेदिक जैसे संक्रामक रोगों की चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था है। उक्त के अलावा नगर में 7 प्रसूतिगृह/उपचार केन्द्र हैं जिनमें 265 चिकित्सा बिस्तर उपलब्ध हैं। इस प्रकार नगर में कुल 428 चिकित्सा बिस्तर उपलब्ध हैं जो नगर क्षेत्र की जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। उक्त के अलावा स्वास्थ्य केन्द्र होम्योपैथिक एवं शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं एलोपैथिक उपचार केन्द्र हेतु कई निजी चिकित्सक हैं।

नगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी भी विदिशा नगर में उपलब्ध चिकित्सा सेवा पर आश्रित हैं। विशिष्ट एवं संक्रामक रोगों की चिकित्सा हेतु यहां अलग से कोई चिकित्सालय नहीं है अतः रोगियों को इस हेतु भोपाल नगर पर आश्रित रहना पड़ता है। यहां विशिष्ट रोगों की चिकित्सा व्यवस्था हेतु अलग से चिकित्सालय की आवश्यकता है। नगर स्थित प्रमुख चिकित्सालय/उपचार केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है -

विदिशा : वर्तमान प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाएं

2-सा-12

क्रमांक	चिकित्सालय/उपचार केन्द्र का नाम	वर्तमान स्थल	उपलब्ध चिकित्सा बिस्तर
1	2	3	4
1	शासकीय जिला चिकित्सालय	ओहर ब्रिज के पास	163
2	सा. अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर	मोहन गिरि	50
3	जीवंत अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर	यांत्रिकी महाविद्यालय के सामने	50
4	दातार नर्सिंग होम	अस्पताल मार्ग	40
5	चिरंजीवी अस्पताल	युवराज क्लब के पास	35
6	डॉ. इन्दु जैन अस्पताल	अस्पताल मार्ग	50
7	डॉ. श्रीमती एस.कौर. सिंहा नर्सिंग होम	करि मोहल्ला	10
8	डॉ. विनय पाण्डेय नर्सिंग होम	शेरपुरा	20
योग			428

नगर में प्रभात दाल मिल के निकट लगभग 1.50 हेक्टर भूमि पर पशु चिकित्सालय स्थित है जो नगर/क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करता है अपितु इसके आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ उन्नयन एवं विकास की आवश्यकता है।

2.7.3 कार्यालय

जिला मुख्यालय होने के कारण नगर में जिला स्तर के सभी शासकीय एवं अर्ध शासकीय कार्यालय एवं संस्थाएं कार्यरत हैं। नगर में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला एवं जनपद पंचायत के कार्यालय एक ही परिसर

में शासकीय भवनों में स्थित है। जबकि अन्य विभागों के कार्यालय नगर के विभिन्न क्षेत्रों में यत्र-तत्र स्थित है। जिनमें से अधिकतर शासकीय भवनों के अभाव में किराये के निजी भवनों में संचालित है। कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्थान का अभाव है तथा परिसर को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला मार्ग ओवरब्रिज निर्माण के बाद अत्यंत संकीर्ण हो गया है। ओवरब्रिज के दूसरी ओर स्थित जिला न्यायालय भवन को जाने वाला मार्ग भी सुविधायुक्त नहीं है। इस संपूर्ण परिसर में वाहनों के विराम करने हेतु उचित स्थान उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त कारणों से जन सामान्य को बहुधा यातायात अव्यवस्था से कठिनाई उत्पन्न होती है। वर्तमान प्रशासकीय परिसर में राज्य शासन के कुल 20 कार्यालय तथा राजीव नगर में राज्य शासन के कुल 17 कार्यालय कार्यरत हैं। राजीव नगर क्षेत्र कार्यालयों हेतु समस्याग्रस्त है। अतः इन दोनों क्षेत्रों के कार्यालयों को असंगत भूमि उपयोग में शामिल किया जाकर अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।

नगर में कुल 84 कार्यालय स्थित हैं जिनमें 7141 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें नगर स्थित 10 बैंक भी शामिल हैं। नगर में जिला जेल परेड मैदान के निकट स्थित है। समन्वय एवं स्वच्छ पर्यावरण की दृष्टि से सभी जिला स्तरीय कार्यालयों को एक ही स्थान पर संगठित करने हेतु नवीन शासकीय कार्यालय परिसर की आवश्यकता है। निम्न सारणी में नगर स्थित कार्यालय एवं कर्मचारियों का विवरण दिया गया है -

विदिशा : वर्तमान कार्यालय

2-सा-13

क्रमांक	प्रकार	संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4
1	केन्द्र शासन	2	227
2	राज्य शासन	60	5373
3	स्वायत्त संस्थाएं	4	368
4	केन्द्रीय (अर्द्ध शासकीय)	12	285
5	राज्य (अर्द्ध शासकीय)	6	888
योग		84	7141

स्रोत : जिला रोजगार कार्यालय विदिशा

2.7.4 सामाजिक एवं सांस्कृतिक

सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत करने के साथ-साथ जनमानस में आपसी भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है। नगर में मुख्यतः दो मेलों का आयोजन होता है। प्रथम दशहरा के अवसर पर दशहरा मेला मैदान में तथा द्वितीय मकर संक्रांति पर्व पर मेला मैदान के निकट बेतवा नदी के तट पर लगता है। यह मेला विशाल स्वरूप का होता है इसमें विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। पवित्र बेतवा नदी के तट पर अवस्थित होने से पूरे वर्ष भर धर्मावलम्बियों का नदी स्थान हेतु यहां आगमन होता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु यहां दो मुख्य सभा भवन हैं जो नगर की वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। उक्त के अलावा यहां आठ क्लब भी हैं जिनमें आंतरिक एवं बाह्य खेलों

की व्यवस्था के साथ-साथ यदाकदा अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। उक्त के अलावा नगर में दो वाचनालय भी हैं।

2.8 सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं

इस उपयोग के अंतर्गत नगर में लगभग 7.3 हेक्टर भूमि है कुल विकसित क्षेत्र का 1.4 प्रतिशत है। इसके अंतर्गत विद्युत उपकेन्द्र शमशान, कब्रिस्तान, जलप्रदाय, जल-मल निकास, अग्निशमन केन्द्र इत्यादि आते हैं।

2.9 आमोद प्रमोद

वर्तमान में नगर में इस वर्ग के अंतर्गत 15.0 हेक्टर भूमि है जो कुल विकसित क्षेत्र का 2.9 प्रतिशत आता है। नगर के आकार को देखते हुए यह कम है।

नगर में 2 बड़े एवं 4 छोटे उद्यान हैं। बड़े उद्यानों में से एक जयप्रकाश मंच के पीछे तथा दूसरा कन्या महाविद्यालय से लगकर सावरकर बाल विहार है। वर्तमान बस स्टेण्ड के निकट एक गुलाब वाटिका नाम का उद्यान भी है। छोटे आकार के उद्यानों में लोटिया उद्यान प्रमुख है। मेला मैदान के उत्तर में शासकीय बेतवा उद्यानिकी भी स्थित है। नगर में खेल मैदान केवल महाविद्यालय परिसरों और पुलिस लाइन में ही है। ये स्थल नगर के सभी क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अपितु नगर में यत्र-तत्र उपलब्ध खुली भूमि का उपयोग खेल-मैदान के रूप में प्रयुक्त होता देखा जा सकता है। नगर में स्टेडियम का भी अभाव है। सर्किट हाऊस के पास एक पुरातत्त्वीय संग्रहालय है। नगर में मुख्य रूप से केवल एक मेला मैदान है। नदी तट पर बसे होने पर भी यहां विकसित पिकनिक स्थल नहीं है। अपितु नगरवासी नदी तट पर पिकनिक का आनंद लेते हैं। कुल मिलाकर नगर में लगभग समस्त आमोद-प्रमोद गतिविधियों का अभाव है। जिनके विकास का प्रस्ताव विकास योजना में किया जाना आवश्यक है।

पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन

विदिशा निवेश क्षेत्र में कई रमणीय स्थल हैं जिनमें मुख्यतः लोहांगी पहाड़ी, बेतवा के पूर्वी किनारे के घाट, चरण तीर्थ, रेल्वे ब्रिज के पास नदी के बंधान से लगा क्षेत्र, छोटी बेतवा (बेतवा नदी की शाखा) और विदिशा रायसेन मार्ग के बीच का क्षेत्र आदि ये सभी क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त हैं। बेतवा नदी के बीच स्थित चरण तीर्थ का क्षेत्र वृक्षारोपण के लायक तो नहीं है परन्तु पुरातन धरोहर होने के कारण इस क्षेत्र का संरक्षण आवश्यक है। विदिशा नगर के मध्य में स्थित लोहांगी पहाड़ी यद्यपि भूस्खलन से प्रभावित हो सकती है। परन्तु पुरातन स्थल एवं भू-दृश्यीकरण की प्रबल संभावनाएं होने के कारण इस पहाड़ी तथा इसके चारों ओर के क्षेत्र को, जहां वर्तमान में गंदी बस्तियाँ और झुग्गी-झोपड़ी बसी हैं, इन्हें अन्यंत्र स्थानांतरित कराकर यहां भू-दृश्यीकरण की योजना लिया जाना आवश्यक है। इससे जहाँ एक ओर भूस्खलन की दशा में होने वाली जन-धन की हानि से बचा जा सकेगा, वहीं इस पहाड़ी को संरक्षित किया जा सकेगा।

नगर में केवल दो तालाब नीमताल एवं हाजीब अली तालाब स्थित हैं। नीमताल का पर्याप्त संरक्षण एवं संवर्धन का आमोद प्रमोद हेतु विकास किये जाने की स्थल पर उपलब्धता एवं पूर्ण संभावना है जबकि हाजीब अली तालाब आवासीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। अतः इस तालाब के संरक्षण एवं विकास की भी अत्यंत आवश्यकता है।

2.10 यातायात एवं परिवहन

इस उपयोग के अंतर्गत नगर में कुल 94.3 हेक्टर भूमि आती है जो कुल विकसित क्षेत्र का 17.8 प्रतिशत है। इसके अंतर्गत विभिन्न मार्ग, वाहन विराम स्थल, बस डिपो, बस स्टैण्ड, वाहन अवसान केन्द्र इत्यादि आते हैं। वर्तमान बस स्थानक अत्यंत सघन क्षेत्र में स्थित है अतः इसे अन्यंत्र स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।

2.11 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

नगर के कुछ भू उपयोगों/गतिविधियों को उनके वर्तमान स्थल पर स्थान की कमी, आसपास की गतिविधियों में असामंजस्यता रखने, पर्यावरण तथा यातायात संबंधी समस्याओं के कारण असंगत भूमि उपयोग के रूप में चयन किया जाकर अन्यंत्र स्थानांतरण हेतु चयन किया गया है। इसी तरह कुछ भू-उपयोग/गतिविधियों को उनके वर्तमान स्थल पर उनके भावी विकास एवं वृद्धि के लिये स्थान की कमी एवं पूर्ण दक्षता के साथ संचालित न रहने के कारण अकार्यक्षम भूमि उपयोग के अंतर्गत चयन किया गया है। निम्न सारणी में असंगत एवं अकार्यक्षम भूउपयोगों/गतिविधियों का विवरण दिया गया है -

विदिशा : असंगत व अकार्यक्षम भूमि उपयोग

2-सा-14

क्रमांक	गतिविधि का प्रकार	वर्तमान स्थिति	समस्या
1	2	3	4
(क) असंगत भूमि उपयोग			
1	पशुवध गृह एवं मांस बाजार	जय स्तम्भ के पास	पर्यावरणीय समस्या
2	दुग्ध डेयरियां	स्वर्णकार कालोनी, जैन मंदिर के पास तथा नगर में यत्र तत्र	पर्यावरणीय समस्या
3	भवन निर्माण सामग्री एवं लोहा बाजार	नगर में यत्र तत्र	यातायात समस्या
4	गोदाम	विद्युत मण्डल कार्यालय के पास माधोगंज, लोहिया उद्यान	यातायात अवरोध तथा ट्रक एवं वाहन विराम समस्या
5	कबाड़ी बाजार	नगर में यत्र तत्र	यातायात समस्या
6	अग्रेषण अभिकरण	-तदैव-	-तदैव-
7	आरा मशीनें	सावरकर मार्ग, गुरु नानक कालोनी, राजेन्द्र गिरी मार्ग	पर्यावरणीय तथा यातायात समस्या
8	फल/सब्जी मंडी	स्वर्णकार कालोनी, जय स्तम्भ सावरकर कालोनी, जय स्तम्भ बस स्टैण्ड, सुभाष चौक	यातायात समस्या

1	2	3	4
9	कृषि उपज मण्डी	मंडी क्षेत्र	यातायात समस्या स्थानाभाव, वाहन विराम समस्या
10	काष्ठ भंडार	स्वर्णकार कालोनी	व्यस्त वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थित एवं यातायात समस्या
11	दाल मिल	कृषि उपज मण्डी के निकट	पर्यावरणीय एवं यातायात समस्या
12	यूनियन पेस्टीसाइड्स	-तदैव-	पर्यावरणीय समस्या
13	लोहांगी पहाड़ी के	लोहांगी पहाड़ी के	भूखलन की संभावना
14	चारों ओर की बसाहट	चारों ओर	आसपास की गतिविधियों से असंगतता तथा स्थानाभाव
15	शा. कन्या महाविद्यालय	नगर पालिका के पास	अनुपयुक्त एवं स्थानाभाव
16	बी.एम. डिग्री महाविद्यालय इन्द्रा काम्पलेक्स डिग्री महाविद्यालय	बिजली घर के सामने नीम ताल के पास	अनुपयुक्त एवं स्थानाभाव
17	राजकमल बड़जात्या हाईस्कूल	अस्पताल के सामने	हाइटेंशन लाइन के नीचे, अनुपयुक्त स्थल
18	शासकीय कार्यालय	राजीव नगर	यातायात एवं वाहन विराम समस्या
19	शासकीय कार्यालय	वर्तमान प्रशासकीय क्षेत्र	-तदैव-
20	नीम तालाब एवं हाजीब अली तालाब के चारों और स्थित बसाहट	नीम तालाब एवं हाजीब अली तालाब	जल प्रदूषण
(ख) अकार्यक्षम भूमि उपयोग			
1	प्रभात दाल मिल	लोहांगी पहाड़ी के निकट	पर्यावरणीय एवं यातायात समस्या

वर्तमान परिभ्रमण संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना

किसी भी नगर की परिभ्रमण संरचना तथा सुविधाओं की उपलब्धता नगर की आर्थिक एवं सामाजिक सम्पन्नता प्रगट करती है। नगर के बढ़ते आकार एवं स्वरूप के कारण समन्वित यातायात एवं परिवहन की सक्षम प्रणाली की आवश्यकता के साथ-साथ नगरीय जनसंख्या की मूलभूत सेवा-सुविधाओं की पूर्ति सक्षम नगरीय अधोसंरचना तंत्र भी प्रथम आवश्यकता के अंतर्गत आता है इस प्रकार दोनों एक-दूसरे के, नगर के सुसंगत विकास के लिए, पूरक कहे जा सकते हैं। नगर की परिभ्रमण संरचना, यातायात का स्वरूप यातायात मात्रा, मार्ग क्षमता, समय-गति-दूरी इत्यादि को निर्धारित करती हैं वहीं नगरीय अधोसंरचना के विभिन्न कारक नगरीय जीवन के स्तर का निर्धारण करते हैं। विदिशा नगर की वर्तमान परिभ्रमण संरचना तथा अधोसंरचना विकास का अध्ययन एवं निष्कर्ष निम्नानुसार है -

3.1 क्षेत्रीय परिभ्रमण संरचना

विदिशा नगर, मध्य रेलवे के दिल्ली-मुम्बई एवं चेन्नई-दिल्ली प्रमुख रेलवे लाइन पर स्थित होने के साथ-साथ, यह नगर सागर-भोपाल राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक-86 पर स्थित है। इस प्रकार यह नगर दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, कोटा, गुना, भोपाल आदि प्रदेश एवं देश के प्रमुख नगरों से रेल मार्ग से तथा प्रदेश के विभिन्न नगरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। नगर में वायुसेवा उपलब्ध नहीं है। निकटस्थ विमानतल भोपाल में है।

3.1.1 क्षेत्रीय यातायात-सड़क मार्ग (यात्री)

विदिशा नगर, भोपाल, गंजबासौदा, सिरोंज, सागर, रायसेन आदि नगरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-86 भोपाल-सागर नगर से होकर गुजरती है। जिला मुख्यालय, औद्योगिक तथा व्यापार-वाणिज्य का केन्द्र होने के कारण आसपास के क्षेत्रों से यात्रियों का आवागमन होता है। म.प्र. राज्य परिवहन निगम से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में विभिन्न मार्गों से नगर में प्रवेश एवं बहिर्गमन करने वाली बसों की संख्या 126 है जिनमें सर्वाधिक बसें विदिशा-भोराल मार्ग पर संचालित हैं। इन क्षेत्रीय मार्गों पर कुछ निजी टेक्सियां भी संचालित हैं। अन्य ग्रामीण क्षेत्रीय मार्गों यथा विदिशा-अहमदपुर, विदिशा-सुमेर, विदिशा-शमशाबाद, विदिशा-टीलाखेड़ी एवं विदिशा-डाबर पर मुख्यतः निजी बसें अथवा अन्य वाहन संचालित हैं जिनकी संख्या कम है।

विदिशा : क्षेत्रीय यातायात (बस)

3-सा-1

क्रमांक	मार्ग खण्ड	आगमन	बहिर्गमन	योग
1	2	3	4	5
1	विदिशा-शमशाबाद	15	15	30
2	विदिशा-भोपाल	29	29	58
3	विदिशा-सागर	15	15	30
4	विदिशा-रायसेन	4	4	8
	योग	63	63	126

स्रोत : म.प्र. राज्य परिवहन निगम, विदिशा

3.12 क्षेत्रीय यातायात-सङ्क मार्ग (माल)

क्षेत्रीय माल यातायात का परिमाण नगर की सुदृढ़ आर्थिक दशा का परिचायक है। यह क्षेत्र मुख्यतः कृषि उपज की दृष्टि से काफी सम्पन्न है। जिसके कारण माल यातायात की यहां बहुलता रहती है। कृषि उपज मंडी विदिशा से प्राप्त जानकारी अनुसार मौसम में लगभग औसतन 70000 किंवटल गेहूं नगर बाहर भेजा जाता है जिनमें अधिकतर मात्रा ट्रकों द्वारा भेजी जाती है। नगर स्थित तीन बड़े उद्योगों के कारण भी काफी मात्रा में माल ट्रकों द्वारा यहां आता-जाता है, इनके उत्पाद का नगर बाहर निर्यात भी होता है। अतः यहां सङ्क माल यातायात का अपना विशेष स्थान है। नगर में गुजरने वाले किन्तु, बिना अवसान किये ट्रक यातायात की भी यहां पर्याप्त मात्रा है। अधिकतम यातायात राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक-86 पर रहता है। इस मार्ग के विदिशा नगर के आबादी क्षेत्र से गुजरने वाले भाग का स्थानीय नाम चन्द्रशेखर आजाद मार्ग है जो कि सागर मार्ग संगम से वर्तमान बस स्टेण्ड एवं जिला चिकित्सालय के निकट ओवर ब्रिज तक अत्यंत संकीर्ण एवं नगर यातायात के दृष्टिकोण से अत्यंत व्यस्त रहता है जिसके कारण क्षेत्रीय यातायात को गुजरने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। अतः क्षेत्रीय यातायात हेतु एक बाईं-पास मार्ग का प्रस्ताव विकास योजना में किया जाना आवश्यक है।

3.13 क्षेत्रीय यातायात रेल (यात्री एवं माल)

रेल मार्ग द्वारा भी यहां यात्री एवं माल का भारी मात्रा में आगमन एवं बहिर्गमन होता है। क्षेत्रीय परिभ्रमण की दृष्टि से विदिशा, मध्य रेलवे का महत्वपूर्ण स्टेशन है। यह मुम्बई-दिल्ली और चेन्नई-दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है। यहां से दिल्ली-मुम्बई, हैदराबाद, चेन्नई, कोटा, गुना, कटनी, भोपाल, इटारसी आदि नगरों से यात्री गाड़ियां आती-जाती हैं। अप्रैल-1998 से मार्च 1999 तक विदिशा रेलवे स्टेशन से विभिन्न स्थानों के लिये 7,79,632 यात्री टिकटों और 23983 मासिक सीजन टिकटों का विक्रय किया गया। इस प्रकार विदिशा रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन औसतन लगभग 2202 यात्री विभिन्न नगरों की रेल यात्रा करते हैं। विदिशा नगर से रेल मार्ग द्वारा गेहूं, चना, सोयाबीन, खाद्य तेल इत्यादि प्रमुख रूप से नगर बाहर निर्यात किया जाता है जबकि परचून का सामान एवं अन्य दैनंदिन उपयोग की वस्तुएं आयात की जाती हैं। रेलवे स्टेशन से औसतन 74 सवारी एवं मालगाड़ियां नित्य गुजरती हैं। माल के लदान हेतु रेलवे प्लेटफार्म के दक्षिण में अलग से रेलवे लाईन है जहाँ पर ट्रकों से माल सीधा रेलवे वेगनों में लदान की सुविधा उपलब्ध है। रेल द्वारा गत पांच वर्षों में नगर से विभिन्न स्थानों को भेजे जाने वाले जिन्सों की जानकारी निम्न सारणी में दर्शायी गयी है।

विदिशा : रेलवे द्वारा निर्यातित माल

3-सा-2

क्रमांक	वर्ष	रेलवे वैगनों की संख्या	जिन्स की मात्रा (टन में)	आय (रु. करोड़ में)
1	2	3	4	5
1	1994-95	3377	88054	3.94
2	1995-96	3521	85652	4.03
3	1996-97	3445	78067	4.07
4	1997-98	3551	89589	5.19
5	1998-99	3990	94295	6.25
6	1999-2000	4012	99840	7.13

स्रोत - रेलवे मण्डल, भोपाल

3.2 नगर परिभ्रमण संरचना

विदिशा एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है। नगर में अभी भी प्राचीन काल की मार्ग संरचना कार्यरत है। पुरातन किले के अंदर स्थित बस्ती को रेल्वे स्टेशन से जोड़ने वाले मार्ग के दोनों ओर शनैः शनैः बस्तीयां बसती गयी और यह मार्ग अब विदिशा नगर की गतिविधियों को संचालित करने वाला मुख्य मार्ग बन गया। विदिशा नगर के कुछ मार्गों को छोड़कर अधिकतर मार्ग या तो इस मार्ग से प्रारंभ होते हैं या इस मार्ग में विलंब हो जाते हैं। इस मार्ग के उत्तर में स्थित लोहांगी पहाड़ी के चारों ओर पहाड़ी के आकार अनुसार वृत्ताकार मार्ग बन गये हैं। नगर का प्रमुख यातायात निम्न मार्गों पर रहता है -

1. रेलवे स्टेशन से वैत्रवती मार्ग के संगम तक (वीर सावरकर मार्ग)
2. तिलक चौक से वैत्रवती मार्ग पर मेला ग्राउण्ड क्षेत्र तक (वैत्रवती मार्ग)
3. तिलक चौक से बस स्टेण्ड (तिलक मार्ग, स्वामी श्रद्धानंद मार्ग)
4. रेलवे स्टेशन से जिला चिकित्सालय होकर ओवर ब्रिज तक (स्वामी दयानंद मार्ग)
5. ओवर ब्रिज से कलेक्ट्रेट होकर सागर मार्ग संगम तक (चन्द्रशेखर आजाद मार्ग)
6. जय प्रकाश मंच से खारी फाटक होकर सागर मार्ग संगम तक (नेताजी सुभाषचन्द्र मार्ग)
7. खारी फाटक से कृषि उपज मंडी तक (गाड़ी अड्डा मार्ग)
8. कृषि उपज मंडी से मेला ग्राउण्ड क्षेत्र तक (श्रीराम मंदिर मार्ग)

नगर में भारी वाहनों को आवागमन सांची-विदिशा, सिरोंज-विदिशा एवं ग्यारसपुर-विदिशा मार्गों से कृषि उपज मंडी बस स्टेण्ड माधवगंज और रेल्वे माल गोदाम तक होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 86 नगर बसाहट से होकर गुजरता है। जबकि रेल्वे लाइन नगर को लगभग दो भागों में विभक्त करती है। नगर की मुख्य बसाहट, वाणिज्यिक क्षेत्र, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, कृषि उपज मंडी, चिकित्सालय इत्यादि रेलवे लाइन के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अवस्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग-86 का पीतल मिल चौराहा एवं वर्तमान बस का स्टेण्ड का क्षेत्र वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण मार्ग संकीर्णता से ग्रसित होकर सुगम यातायात में बाधक है। वर्तमान ओवर ब्रिज की चौड़ाई एवं दोनों ओर भी वर्तमान यातायात की आवश्यकता एवं अपेक्षा के अनुरुप नहीं है। वाणिज्यिक गतिविधियों के प्रमुख केन्द्र एवं मार्गाधिकार में भी गतिविधियों के संचालित होने से यातायात समस्या बनी रहती है। इस प्रकार नगर का संपूर्ण मध्यवर्ती क्षेत्र यातायात समस्याग्रस्त है। संकीर्ण मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां हैं। नगर में समस्त प्रकार के वाहनों के लिये अन्य नगरों की ही तरह के ही मार्ग संयुक्त रूप से प्रयुक्त होता है। अतः यहाँ का मार्ग यातायात मिश्रित वर्ग के अंतर्गत आता है। नगर के अंदर के लगभग सभी मार्ग संकीर्ण हैं। अतिक्रमण तथा मार्गाधिकार में फुटपाथ दुकानें चलित दुकानें, वाहन विराम, माल लदान-उतारने की गतिविधियों के संचालित होने के कारण मार्गों की संकीर्णता में वृद्धि होकर यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है। प्रकाश मंच के समक्ष यह समस्या कुछ अधिक ही रहती है। कृषि उपज मंडी, आरा मशीनें, दाल मिलें, गोदामों, बस स्टेण्ड इत्यादि के निकट स्थित मार्गों पर यह समस्या सुगम यातायात को काफी प्रभावित करती है। समस्त ग्रामीण क्षेत्रीय मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 86 पर 'टी' अथवा 'वाई' मार्ग संगम बनाते हुए मिलते हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग-86 के यातायात में वृद्धि करते हैं।

नगर की प्राचीन बसाहट किले के अंदर स्थित है यहां की सड़कें अत्यंत संकीर्ण होकर सुगम यातायात के लिये अनुकूल नहीं है।

3.21 यातायात उदित केन्द्र

नगर के निम्न मुख्य क्रियाकलाप क्षेत्रों में अधिकांशतः यातायात उदित होता रहता है -


- (1) कृषि उपज मंडी (माल)
- (2) रेल्वे स्टेशन (माल एवं यात्री)
- (3) बस स्टेण्ड क्षेत्र (माल एवं यात्री)
- (4) जिला कार्यालय परिक्षेत्र (यात्री)
- (5) राजीव नगर (यात्री)
- (6) प्रमुख शैक्षणिक संस्थाएं (यात्री)
- (7) छविगृह (यात्री)
- (8) सब्जी मण्डी क्षेत्र (माल एवं यात्री)
- (9) प्रमुख बाजार केन्द्र (माल एवं यात्री)
- (10) पीतल मिल चौराहा (माल एवं यात्री)
- (11) अग्रेषण अभिकरण क्षेत्र (माल)
- (12) सावरकर बाल विहार क्षेत्र (माल)

उपरोक्त के अतिरिक्त विशेष अवसरों पर मेला मैदान, पुलिस परेड मैदान, बेतवा नदी तट मेला स्थल इत्यादि में भी यातायात उदित होता है। माल वाहन यातायात मुख्यतः भोपाल, सागर एवं शमशाबाद मार्गों से नगर में प्रवेश करता है।

3.2.2 यातायात अवसान केन्द्र


नगर के मुख्य यातायात अवसान केन्द्र, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, कृषि उपज मंडी, अग्रेषण अभिकरण क्षेत्र गोदामों के आसपास, वर्तमान प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र इत्यादि हैं।

(अ) बस स्थानक




विदिशा

3.1 वर्तमान परिभ्रमण
संरचना



- | | |
|--------------|--|
| राज्य मार्ग | [Symbol: Two parallel lines] |
| मुख्य मार्ग | [Symbol: Two parallel lines with a diagonal line through them] |
| बस स्टेप्ल | [Symbol: A circle with a horizontal line through it] |
| रेलवे स्टेशन | [Symbol: A train icon] |



वर्तमान बस स्थानक राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-86 पर इन्द्रा काम्पलेक्स के निकट लगभग 1.5 हेक्टर भूमि पर संचालित है। यह विदिशा रेल्वे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वाणिज्यिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं से घिरे हुए क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग का खण्ड अत्यंत संकीर्ण एवं सुगम यातायात के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। वर्तमान सब स्टेंड अपितु नगर की वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करता है किन्तु यातायात की मात्रा में अपेक्षित वृद्धि तथा भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने में यह सक्षम नहीं है। वर्तमान स्थल पर स्थान के अभाव के कारण इसका विकास भी संभव नहीं है। अतः वर्तमान बस स्थानक को अकार्यक्षम भूमि उपयोग में शामिल किया गया है तथा इसको भविष्य में अत्यंत स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है।

(ब) बस डिपो

म.प्र. राज्य परिवहन का वर्तमान डिपो नगर के पश्चिम में सुमेर मार्ग (वर्तमान बाईपास मार्ग) पर लगभग 3.00 हेक्टर भूमि पर स्थित है जिसका स्थल नगर के भावी विकास के दृष्टिकोण से उपयुक्त है।

(स) रेल्वे स्टेशन एवं माल गोदाम

वर्तमान रेल्वे स्टेशन एवं माल गोदाम लगभग नगर के मध्य में स्थित है। रेल्वे स्टेशन वर्तमान में रेल्वे लाइन के उत्तरी दिशा में स्थित है, जहां नगर की प्रमुख बसाहट स्थित है। वर्तमान रेल्वे स्टेशन एवं माल गोदाम वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करते हैं किन्तु रेल्वे लाइन के दक्षिण-पूर्व दिशा में नगर के भावी विकास होने पर रेल्वे स्टेशन, माल गोदाम, माल लदान क्षेत्र तथा यात्री यातायात हेतु विकास एवं वृद्धि किया जाना आवश्यक होगा।

(द) ट्रक स्थानक एवं यातायात नगर

नगर में यातायात नगर अथवा निश्चित ट्रक स्थानक नहीं है। समस्त माल वाहक यातायात द्वारा कृषि उपज मण्डी, नगर में यत्र-तत्र, अग्रेषण अभिकरणों के निकट यथा विद्युत मंडल कार्यालय के पास, माधोगंज, लोहिया उद्यान के निकट सब्जी मण्डी, मध्य वर्ती क्षेत्र, पीतल मिल चौराहा इत्यादि के पास मार्गों के किनारे माल लदान एवं उतारने का कार्य किया जाता है। जिसमें नगर का सुगम यातायात प्रवाह प्रभावित होता है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए एवं भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्याप्त सुविधाओं के साथ उपयुक्त क्षेत्रफल की भूमि पर यातायात नगर के प्रस्ताव विकास योजना में दिया जाना आवश्यक है जिसमें नगर के समस्त अग्रेषण अभिकरण भी स्थापित हो सकेंगे।

3.3 परिवहन के साधन

विदिशा नगर में भी अन्य नगरों की ही तरह तीव्रगति एवं मंदगति वाहनों के लिये अलग-अलग मार्ग व्यवस्था नहीं है अतः मिश्रित यातायात मार्गों की वास्तविक यातायात वाहन क्षमता को प्रभावित करता है। नगर में यात्री यातायात हेतु कार, जीप, स्कूटर, मोटर साइकिल, आटो रिक्शा, साइकिल आदि का उपयोग किया जाता है। जबकि माल ढुलाई हेतु हाथ ठेला, बैल गाड़ी, आटो रिक्शा एवं मिनी ट्रक बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं। नगर के समीपस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के कृषकों द्वारा अधिकांशतः ट्रेक्टर-द्राली को ही आवागमन के साधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। यातायात हेतु पृथक-पृथक लेन न होने के कारण प्रमुख मार्गों के साथ-साथ संकीर्ण मार्गों पर मिश्रित यातायात गंभीर समस्या उत्पन्न करता है जिसे उचित मार्ग संरचना तथा जनमानस में यातायात संबंधी ज्ञान वृद्धि द्वारा सुधारा जा सकता है।

3.4 यातायात समस्याएं

नगर जनसंख्या, व्यापार-वाणिज्यिक, शैक्षणिक, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि होने के कारण यातायात तथा परिवहन गतिविधियां बढ़ी हैं। नगर में उपलब्ध परिभ्रमण तंत्र पर वहन क्षमता से अधिक दबाव के कारण अनेक यातायात संबंधी समस्यायें उत्पन्न हुई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है -

3.4.1 यातायात संकुलता

नगर का मध्यमवर्ती क्षेत्र तथा किले के अंदर की पुरानी बस्ती क्षेत्र में मार्गों पर सबसे अधिक संकुलता है। वाणिज्यिक मार्गों पर वाहन विराम की कोई निर्धारित व्यवस्था नहीं है। फुटपाथ एवं चल खेरची दुकानों ने मार्गाधिकार क्षेत्र को और कम कर दिया है। यहां तक कि बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन तथा पीतल मिल चौराहे पर भी मार्ग संकुलता की स्थिति निर्मित हो गई है। नगर में वाहन विराम हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन तथा उचित यातायात प्रबंधन की आवश्यकता है। नगर में प्रमुख मार्ग अपनी पूरी लम्बाई में एक-समान चौड़ाई में नहीं है। ये कहीं कम चौड़े हैं जिसके कारण जहां एक ओर सुगम यातायात में व्यवधान होता है वहीं दूसरी ओर दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बनी रहती हैं।

3.4.2 अगम्य क्षेत्र

नगर के पुराने आवासीय एवं आवासीय-सह-वाणिज्यिक क्षेत्रों में संकीर्ण मार्गों वाले अगम्य क्षेत्रों में आपातकाल में भी अग्निशमन तथा चिकित्सा वाहन पहुंच संभव नहीं होती है। ऐसे क्षेत्रों के मार्गों एवं गलियों की चौड़ाई उपलब्धता के आधार पर बढ़ाए जाने के प्रस्ताव विकास योजना में दिया जाना आवश्यक है। ऐसे क्षेत्रों में स्थायी अतिक्रमण ने भी इस समस्या को बढ़ाया है। नगर के ऐसे मुख्य अगम्य क्षेत्र एवं मार्ग निम्नानुसार है -

1. रैदास पथ
2. चाणक्य मार्ग
3. बालाजी मंदिर मार्ग
4. रसखान मार्ग
5. किले अंदर की संकीर्ण गलियां
6. मध्यवर्ती क्षेत्र का संकीर्ण गलियां

3.4.3 दुर्घटना स्थल

नगर में कतिपय मार्गों पर असुविधाजनक मार्ग संगम एवं मार्गों की संकीर्णता तथा यातायात की अधिकता के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। नगर में यातायात के परिमाण में वृद्धि होने के साथ-साथ दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। स्थानीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार नगर में वर्ष 1990 में 41 दुर्घटनाएं हुई थीं जिनकी संख्या वर्ष 2000 में बढ़कर 285 हो गई, इनमें घातक दुर्घटनाओं की संख्या क्रमशः

7 एवं 42 थी। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल दुर्घटनाओं में लगभग 595 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो नगर के यातायात तंत्र एवं प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता प्रतिपादित करता है। यातायात दुर्घटनाओं में सामान्यतः ट्रक, बस, ट्रैक्टर, जीप, कार, स्कूटर जैसे तीव्रगति वाहन संलग्नित पाए गए। अतः मार्ग दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु मार्ग संगम चौराहों एवं तिराहों का नियोजित विकास किया जाना एवं मार्गों की चौड़ाई बढ़ाया जाना आवश्यक है।

3.4.4 असुविधाजनक मार्ग संगम

नगर के लगभग सभी मार्ग संगम अव्यवस्थित है। विशेषकर ओव्हर ब्रिज के दोनों संगम त्रुटिपूर्ण बनवाट के कारण दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। अतः समस्त मार्ग संगमों का उपलब्धता एवं यातायात के परिमाण के अनुसार व्यवस्थित एवं नियोजित किया जाना आवश्यक है। निम्न मार्ग संगमों को विशेष रूप से विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

- (1) स्वामी श्रद्धानंद मार्ग - चाणक्य मार्ग संगम
- (2) महारानी लक्ष्मी बाई मार्ग - स्वामी श्रद्धानंद मार्ग संगम
- (3) दत्त मंदिर मार्ग - बेस दरवाजा मार्ग संगम
- (4) गणेश गंज मार्ग - राजेन्द्र गिरि मार्ग संगम
- (5) पीतल मिल चौराहा
- (6) नेताजी सुभाष मार्ग - गाड़ी अड्डा मार्ग संगम
- (7) ओव्हर ब्रिज के दोनों मार्ग संगम
- (8) हरीपुरा मार्ग - स्वामी दयानन्द मार्ग संगम

3.4.5 वाहन विराम स्थल

किसी भी नगर के यातायात उदित एवं अवसान केन्द्र में आसपास वाहन विराम स्थलों का होना अत्यन्त आवश्यक है ताकि वाहनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न न हो। परन्तु यह पाया गया है कि नगर के वाणिज्यिक केन्द्रों के आसपास सामान्यतः नियत वाहन स्थलों का अत्यन्त अभाव है। जिसके कारण सभी प्रकार के वाहन मार्गों के किनारे विरामित किये जिससे मार्गों की वास्तविक यातायात क्षमता प्रभावित होती है। अतः नगर में विभिन्न गतिविधि केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों इत्यादि के निकट वाहन विराम स्थल के प्रस्ताव किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

3.4.6 रेल्वे ओवर ब्रिज, समतल पारण एवं पुल

राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 46 पर जिला चिकित्सालय के निकट नगर में एक ओवर ब्रिज है। जिसकी चौड़ाई अपेक्षा के अनुरूप है किन्तु इसको दोनों मार्ग संगम त्रुटिपूर्ण है। उक्त के अलावा हरीपुर मार्ग - स्वामी दयानन्द मार्ग

संगम पर सोठिया रेल्वे समतल पारण है। इसी प्रकार गाड़ी अड्डा मार्ग - डावर मार्ग (मण्डी मार्ग) पर भी खारी रेल्वे समतल पारण है जो लगभग नगर मध्य से गुजरने वाली रेल्वे लाइन की बाधा को दूर करते हुए रेल्वे लाइन के दोनों ओर के क्षेत्रों को जोड़ते हैं। उक्तके अलावा शमशाबाद एवं भोपाल क्षेत्रीय मार्गों पर बेतवा नदी के ऊपर पुल हैं।

3.4.7 विमानतल

नगर में विमानतल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह सेवा राजधानी भोपाल से उपलब्ध है। जो विदिशा से 54 कि.मी. दूर स्थित है।

3.5 नगरीय अधोसंचना

3.5.1 जलप्रदाय

विदिशा नगर में जलप्रदाय के प्रमुख स्रोत बेतवा एवं बेस नदी है। नगर में जलप्रदाय का मुख्य दायित्व नगर पालिका परिषद विदिशा का है। नदी तट पर अवस्थित होने के बावजूद भी नगर में जल आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। नगर की अधिकांश कालोनियों में ट्यूब बेल द्वारा जल आपूर्ति की जाती है। नगरपालिका द्वारा 2 एम.जी.डी. प्रतिदिन की दर से जल प्रदाय किया जाता है। यह आपूर्ति बेस नदी, बेतवा नदी, 180 नलकूपों तथा कुओं द्वारा की जा रही है। किन्तु यह आपूर्ति नगर की वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाती है। अतः यहां जल संकट बना रहता है। दुर्गानगर में ओवर हेड टैंक का निर्माण कर इस क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में जल प्रदाय किया जा रहा है। नगर पालिका विदिशा से प्राप्त जानकारी अनुसार नगर में फिल्टर प्लांट-3, ओवर हेड टैंक-3, संप वेल-1, इंटेक बेल-1, एनीकेट-2 तथा हेंडपंप-180 उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा नगर में जल आपूर्ति की जाती है। नगर के उत्तर-पश्चिम में मेला मैदान के निकट लगभग 4 हेक्टर भूमि पर जल शोधन संयंत्र कार्यरत है। नगर की पुरानी बस्ती में जल आपूर्ति हेतु किले के अंदर भी जल प्रदाय उप केन्द्र है। नगर में वर्तमान जल आपूर्ति की कमी तथा भविष्य की आवश्यकता कर नवीन जलप्रदाय योजना तैयार कर शीघ्र क्रियान्वयन आवश्यक है।

3.5.2 जल-मल निकास

नगर में जल मल निकास की कोई आदर्श व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। पूर्व में लगभग 25 हजार जनसंख्या के लिये जल-मल निकास की योजना के अंतर्गत भूमिगत नालियां बनाई गई थी परन्तु जनसंख्या के दबाव के कारण यह प्रणाली सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है एवं ओवर-फ्लो से नालों और नालियों में मल प्रवाह होता है। नगर के अधिकांश क्षेत्रों में सेप्टिक टेकों की व्यवस्था भवन स्वामियों द्वारा की गई है, जिससे भूमिगत जल प्रदूषित होता है। सुमेर मार्ग पर मेला मैदान के निकट लगभग 6.00 हेक्टर भूमि पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का जल-मल शुद्धीकरण संयंत्र कार्यरत है। इसी भूमि पर पेयजल व्यवस्था का पंप हाऊस भी स्थित है। शुद्धीकरण उपरान्त जल का उपयोग निकट स्थित शा. बेतवा उद्यान एवं कृषि उपयोग में लाया जाता है तथा जल का कुछ प्रतिशत बेतवा नदी में भी प्रवाहित किया जाता है।

नगर की नवीन आवासीय इकाईयों में फलश शौचालय उपलब्ध है किन्तु पुरानी बस्ती क्षेत्रों में देशी पञ्चति के शौचालय हैं। यहां मल परिवहन का मुख्य साधन हाथगाड़ी एवं मोटर गाड़ी ही हैं। साधनों के अभाव में जल-

मल, नगर की सकरी नालियों एवं नाले में प्रवाहित होने के फलस्वरूप नगर का पर्यावरण प्रदूषित होता है। अतः नगर में भूमिगत नाली प्रणाली लागू किया जाना आवश्यक है।

3.5.3 जल निकास

नगर में जल निकास हेतु भूमिगत नालियों की व्यवस्था नहीं है। नगर में जल निकास की नालियां खुली हुई हैं और जिनका रख-रखाव उचित ढंग से नहीं किया जाता। नगर का भू-भाग समतल होने के कारण वर्षा ऋतु में जल निकास संतोषप्रद नहीं रहता है। नगर के गंदे जल का अधिकांश भाग नालियों से प्रवाहित होकर बेतवा नदी में मिलता था। पूर्व में बासौदा मार्ग के पश्चिम में एक बड़े गड्ढे में जल एकत्र होता थात बाद में बेतवा में मिलता था। वर्तमान में उक्त स्थल को नगर के ठोस अवशिष्ट से भरने में प्रयुक्त किये जाने के कारण नगर का पूरा प्रदूषित जल सीधा बेतवा नदी में मिलकर नदी जल प्रदूषित करता है। बेतवा नदी को प्रदूषण से बचाने हेतु तथा वर्षाजल के उचित निकास हेतु उपयुक्त व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

3.5.4 ठोस अवशिष्ट प्रबंधन

नगर में ठोस अवशिष्ट को व्यवस्थित रूप से तत्काल विसर्जित करने के लिये कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं है। नगर पालिका द्वारा इसे मुख्यतः गंजबासौदा मार्ग पर पश्चिम में, एक बड़े गड्ढे में विसर्जित किया जाता है। इसमें पर्यावरण बेतवा जल व भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है। इस हेतु तत्काल निराकरण की व्यवस्था हेतु ट्रैचिंग ग्राउण्ड की व्यवस्था की जाना आवश्यक है तथा दीर्घकालीन व्यवस्था के रूप में आधुनिक प्रणाली प्रबंधन की योजना क्रियान्वित करना होगी। अतः वर्तमान व्यवस्था उपयुक्त नहीं है।

3.5.5 विद्युत व्यवस्था

नगर में विद्युत व्यवस्था चम्बल ग्रिड सिस्टम द्वारा म.प्र. राज्य विद्युत मंडल द्वारा की जाती है। निम्न सारणी में 1993-94 से 1998-99 के मध्य विद्युत खपत का विवरण दर्शाया गया है।

विदिशा : विद्युत खपत

(खपत लाख यूनिट में) 3-सा-3

वर्ष	घरेलू एवं वाणिज्यिक उपयोग		औद्योगिक उपयोग		योग	
	कुल कनेक्शन	कुल खपत	कुल कनेक्शन	कुल खपत	कनेक्शन	खपत
1	2	3	4	5	6	7
1993-94	10281	7.32	317	1.52	10598	8.84
1994-95	10687	7.53	316	0.85	11003	8.38
1995-96	11097	8.62	304	1.64	11401	9.26
1996-97	11994	9.13	311	1.62	12305	10.75
1997-98	12306	9.64	324	2.00	12630	11.64
1998-99	12612	10.05	328	2.09	12940	12.14

स्रोत - म.प्र. विद्युत मण्डल, विदिशा

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि उक्त अवधि में नगर में विद्युत कनेक्शनों एवं विद्युत खपत में क्रमशः 22 प्रतिशत एवं 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई हो जो अधिक नहीं है। नगर में विद्युत प्रदाय निम्न चार उप विद्युत केन्द्रों, द्वारा किया जाता है।

पावर हाउस उप विद्युत केन्द्र	2X5 एम.व्ही.ए.
	1X3.5 एम.व्ही.ए.
अहमदपुर मार्ग उप विद्युत केन्द्र	1X5 एम.व्ही.ए.
रामलीला मैदान उप विद्युत केन्द्र	1X3.5 एम.व्ही.ए.

नगर में वर्तमान विद्युत प्रदाय व्यवस्था संतोषजनक है किन्तु भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अतिरिक्त उप-विद्युत केन्द्रों की स्थापना करना होगी।

3.6 अन्य सेवा-सुविधाएं

(अ) डाक-तार एवं दूरभाष केन्द्र

नगर में एक मुख्य डाक-तार घर, चार उप-डाक घर तथा एक स्वचलित दूरभाष केन्द्र है। वर्तमान दूरभाष केन्द्र की कुल क्षमता 7000 कनेक्शन की है जबकि नगर में वर्तमान 6500 दूरभाष कनेक्शन है।

(ब) आरक्षी केन्द्र

वर्तमान में नगर में दो आरक्षी केन्द्र हैं, जो नगर आकार एवं जनसंख्या के मान से कम हैं।

(स) अग्निशमन केन्द्र

वर्तमान अग्निशमन सेवा नगर पालिका परिषद में उपलब्ध है। नगर में अलग से, आधुनिक उपकरण युक्त अग्निशमन केन्द्र की आवश्यकता है।

(द) कब्रिस्तान एवं शमशान

नगर में बेतवा नदी तट पर शमशाबाद मार्ग पर लगभग 4 हेक्टर भूमि पर शमशान है। मेला मैदान के निकट एक बच्चों का कब्रिस्तान (कम्प्या मशान) तथा इसके दूसरी ओर लगभग 3 हेक्टर भूमि पर सामान्य कब्रिस्तान है। उक्त के अलावा मण्डी से मैला मैदान को जाने वाले मार्ग पर बोहरों का कब्रिस्तान है, जो आबादी क्षेत्र के बीच में स्थित है।

(इ) धोबी घाट

नगर में धोबी घाट हेतु कोई स्थल नियत नहीं है। अतः बेतवा नदी एवं इसकी शाखाओं के तट को इस उपयोग में लाया जाता है जो जल प्रदूषित करता है। विकास योजना में इस हेतु उपयुक्त प्रस्ताव दिया जाना आवश्यक है।

(फ) डेयरी एवं पशु पालन

नगर जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही साथ पशुपालन की गति भी बढ़ रही है। किन्तु इससे पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। नगर का स्वरूप मुख्यतः ग्रामीण होने के कारण ये गतिविधियां पूरे नगर में यत्र-तत्र फैली हुई हैं। अतः नगर में संगठित रूप से डेयरी फार्म एवं पशु चिकित्सालय स्थापित करना आवश्यक है।

(उ) निवेश क्षेत्र में स्थित ग्रामों में उपलब्ध सेवा व सुविधाएं

विदिशा निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की जनसंख्या चिकित्सा सेवा हेतु विदिशा नगर पर निर्भर है। निवेश क्षेत्र के किसी भी ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। निवेश क्षेत्र में ग्रामों हेतु पक्के पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है। केवल 3 ग्राम मुख्य मार्ग पर होने के कारण पक्के मार्ग से जुड़े हैं शेष सभी ग्राम पक्की सड़क से 1 से 8 कि.मी. दूरी पर स्थित हैं। कच्चे मार्ग होने के कारण वर्षा ऋतु में ग्रामीण जनसंख्या को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। निवेश क्षेत्र स्थित 22 आबाद ग्रामों में से केवल 15 ग्रामों में प्राथमिक शालाएं हैं। निवेश क्षेत्र के ग्राम माध्यमिक और महाविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु विदिशा नगर पर निर्भर है। डाक सेवा केवल एक ग्राम चिङ्गेरिया में उपलब्ध है। प्रायः सभी ग्रामों में हैंडपंप और विद्युत की सुविधा उपलब्ध है। निवेश क्षेत्र के ग्रामों में पक्के पहुंच मार्गों का निर्माण आवश्यक है।

भाग-दो
नियोजन प्रस्ताव

भावी आवश्यकताएं एवं प्रस्तावित भूमि उपयोग

नगर की वर्तमान समस्याओं अधोसंरचना एवं अन्य सेवा-सुविधाओं की अपर्याप्तता तथा वर्तमान भूमि उपयोग संरचना में असंतुलनता के साथ-साथ नगर के वर्तमान एवं भावी प्रमुख कार्यकलापों के संदर्भ में निम्न भावी आवश्यकताओं का आंकलन कर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये गये हैं :-

1. योजना के लिये भावी जनसंख्या का अनुमान तथा विभिन्न उपयोगों हेतु भूमि की आवश्यकता का आंकलन।
2. आर्थिक गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक अधोसंरचना का आंकलन।
3. सार्वजनिक सेवा-सुविधाओं का पूर्वानुमान।
4. क्षेत्रीय एवं नगरीय कार्यकलापों के दक्षतापूर्ण निष्पादन हेतु उपयुक्त परिवहन संरचना।

4.1 नगर के भावी कार्यकलाप

नगर के विकास में प्रमुख कार्यकलापों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नगर के भावी विकास एवं नियोजन की पृष्ठभूमि में ये प्रभावी भूमिका निभाते हैं। नगर के वर्तमान कार्यकलाप एवं क्षेत्रीय महत्व आदि परिपेक्ष्य में नगर को निम्न भावी कार्यकलापों के अनुरूप विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

1. क्षेत्रीय वाणिज्यिक एवं व्यापारिक केन्द्र।
2. कृषि व वनोपज का संग्रहण एवं वितरण केन्द्र।
3. क्षेत्रीय शैक्षणिक एवं चिकित्सा सुविधा केन्द्र।
4. प्रदेश स्तरीय तकनीकी शैक्षणिक केन्द्र।
5. जिला स्तरीय प्रशासकीय केन्द्र।
6. पर्यटक केन्द्र।

4.2 योजना कालावधि

नगर विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है लेकिन नगर विकास की नीतियां एवं दिशा निर्धारण हेतु योजना की कालावधि निर्धारित की जाना आवश्यक है ताकि निश्चित समय सीमा के आधार पर जनसंख्या एवं उसकी आवश्यकता का आंकलन किया जा सके।

इस विकास योजना की कालावधि 2011 तक निर्धारित की गई है। विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव जैसे - मार्ग, जल प्रदाय आदि योजना की कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा

सकते क्योंकि यह प्रस्ताव विकास योजना कालावधि के बाद के विकास के लिए भी आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी रहेंगे। उक्त का आशय है कि विदिशा नगर विकास योजना के प्रस्ताव कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना के पुनर्विलोकन, मूल्यांकन एवं उपान्तरण होने तक अथवा विकास योजना प्रस्तावों के संतुष्ट होने तक प्रभावशाली रहेंगे।

4.3 योजना उद्देश्य तथा लक्ष्य

विदिशा नगर के लिये संतुलित एवं सुनियोजित भावी विकास को उचित दिशा प्रदान करना ही विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नगर की संपूर्ण आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आवश्यकतानुसार निर्धारण कर इनका युक्तियुक्त वितरण इस प्रकार सुनिश्चित किया गया है, कि नगरवासियों को स्वास्थ्यकर एवं भौतिक परिस्थितियों के अनुकूल अच्छा पर्यावरण उपलब्ध हो सके।

विदिशा विकास योजना बनाते समय निम्न मुख्य उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है :-

1. भूमि का समुचित एवं उपयुक्त सक्षम उपयोग।
2. भवनों के निर्माण हेतु समुचित तथा उपयुक्त आवासीय क्षेत्र।
3. ऐसी परिभ्रमण प्रणाली का विकास, जिसमें यात्री एवं माल यातायात सुरक्षित एवं द्वुतगति से हो सके।
4. नगरीय गतिविधियों से सामंजस्य बनाते हुए वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोग हेतु समुचित भूमि का प्रावधान।
5. मूलभूत सेवा-सुविधाओं का समुचित प्रावधान।
6. संरक्षित स्मारकों एवं स्थापत्य वास्तुकला का परिरक्षण एवं संवर्धन।
7. वृत्त खण्ड स्तर से नगर तक की सेवा-सुविधाओं की श्रेणीबद्ध व्यवस्था।
8. आवासीय क्षेत्रों तथा कार्य केन्द्रों के मध्य सुरक्षित तथा सुविधाजनक मार्ग संरचना।
9. उचित स्थानों पर विशेष कर मध्यवर्ती क्षेत्र में पर्याप्त वाहन विराम स्थानों हेतु प्रावधान।
10. गंदी बस्तियों एवं जलाशयों का पर्यावरण सुधार।
11. नगर के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक तथा आवासीय दबाव को कम करने हेतु प्रस्ताव।
12. नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकास के प्रस्ताव।

4.4 योजना अवधारणा

नगर की वर्तमान संरचना रेल्वे लाईन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-86 से प्रभावित है। नगर की मुख्य

बसाहट बेतवा नदी एवं रेल्वे लाइन के मध्य स्थित है अपितु रेल्वे लाइन के दक्षिण-पूर्व में भी नवीन नगरीय विकास होता जा रहा है। नगर की बसाहट पुरानी पञ्चति की होने के कारण नगर में खुले स्थानों का सर्वथा अभाव है। नगरीय आवादी का विकास इन तरह से नियोजित किया गया है कि मुख्य कार्य केन्द्र एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का परस्पर समन्वय विकल्पों सहित बना रहे। नगर के अन्य कार्यकलापों को नये क्षेत्रों में स्थापित करना प्रस्तावित किया गया है ताकि नगर की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार की जा सके। असंगत भूमि उपयोगों को स्थानांतरित किया गया है तथा यातायात नगर जैसे महत्वपूर्ण नवीन प्रस्ताव किये गए हैं।

नगर बसाहट से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-86 के संकीर्ण होने के कारण क्षेत्रीय यातायात के लिए उत्पन्न होने वाली यातायात समस्याओं के निराकरण हेतु नगर के बाहर से उक्त यातायात को ले जाने हेतु नवीन बायपास मार्ग एवं वृत्तीय मार्ग का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान बस स्टेंड क्षेत्र की सघनता एवं संकीर्णता को दृष्टिगत रखते हुए नवीन बस स्टेंड का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार की समस्या के निदान हेतु कृषि उपज मंडी के स्थानांतरण का भी प्रस्ताव है। शमशाबाद एवं सुमेर जैसे ग्रामीण क्षेत्रीय मार्गों को भी मुख्य मार्गों के माध्यम से प्रस्तावित वृत्तीय मार्ग से रेल्वे ओवर ब्रिज के प्रस्ताव के साथ जोड़ा गया है।

नगर के भावी विकास को रेल्वे लाइन के दक्षिण पूर्व दिशा में प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से समुचित प्रस्ताव किये गये हैं।

विभिन्न क्षेत्रीय मार्ग शृंखलाओं को विकसित किए जाने की भी आवश्यकता है जिससे क्षेत्रीय तथा अंतर्राज्यीय यातायात को नगर के मध्य से गुजरने से रोका जा सके। नगर बसाहट को समस्त क्षेत्रीय मार्गों से जोड़ते हुए बाईपास मार्ग से जोड़ा गया है।

4.5 भावी जनसंख्या

विकास योजना कालावधि तक के लिए विभिन्न आवश्यकताओं का आंकलन करने के लिये भावी जनसंख्या का अनुमान लगाना अत्यन्त आवश्यक है अपितु नगर की भावी जनसंख्या का अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि जिन कारणों से जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है, उन कारकों का ठीक तरह से पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है। नगरीयकरण के संबंध में प्रवर्जन की प्रवृत्ति, पूर्व दशकों में जनसंख्या वृद्धि तथा शासकीय नीति आदि ऐसे परिवर्तनशील एवं अनापेक्षित कारक होते हैं, जो नगर जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करते हैं। अतः विदिशा नगर की भावी जनसंख्या के आंकलन हेतु पूर्व दशकों की वृद्धि दर को आधार मानते हुए अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है जिसके आधार पर नगर की वर्ष 2001 एवं 2011 की जनसंख्या क्रमशः 1.35 लाख एवं 2.00 लाख अनुमानित की गई है।

4.5.1 अनुमानित व्यवसायिक संरचना

जनगणना 1991 के अनुसार नगर में 25654 कार्यशील व्यक्तियों में 13.3 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र, 21.4 प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र तथा 65.3 प्रतिशत तृतीयक क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत पाए गए। नगर के भावी अनुमानित कार्यकलाप एवं नगर स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए अनुमानित है कि वर्ष 2011 में सहभागिता दर 300 होगी तथा श्रमिकों की कुल अनुमानित संख्या 60000 का लगभग 12 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में, 24 प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र

में तथा 64 प्रतिशत तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत होंगे।

4.6 अनुमानित आवास आवश्यकता

आवासीय इकाईयों की भावी आवश्यकता का अनुमान भावी जनसंख्या, परिवार आकार तथा वर्तमान एवं भावी आर्थिक सामाजिक परिस्थिति आदि पर आधारित होती है। जनगणना 1991 के अनुसार विदिशा नगर में 13946 आवासों में 16899 परिवार निवास करते हैं। जिसके अनुसार औसत परिवार आकार 5.40 व्यक्ति आता है। अतः वर्ष 2001 में औसत परिवार आकार 5.25 तथा वर्ष 2011 में औसत परिवार आकार 5.00 मानते हुए आवास आवश्यकता का अनुमान किया गया है।

वर्ष 2011 में नगर की अनुमानित जनसंख्या 2.00 लाख के मान से तथा परिवार आकार 5.0 व्यक्ति के आधार पर 26723 आवासीय इकाईयों की आवश्यकता होगी। उक्त आवश्यकता का अनुमान लगाते समय, प्रतिवर्ष एक प्रतिशत मकान जो आवासीय दृष्टि से अनुपयोगी होंगे, उनके प्रतिस्थापना का प्रावधान भी किया गया है। अनुमानित परिवार एवं आवासीय आवश्यकता का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

विदिशा : अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता

4-सा-1

क्रमांक	विवरण	वर्ष		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
1	जनसंख्या (लाखों में)	0.93	1.35	2.00
2	अतिरिक्त जनसंख्या (लाखों में)	-	0.42	0.65
3	औसत परिवार आकार	5.40	5.25	5.00
4	अतिरिक्त परिवार	-	8000	13000
5	वर्ष 2001 में 85 प्रतिशत एवं 2011 में 90 प्रतिशत दर से परिवारों हेतु आवास इकाईयों की आवश्यकता	-	6800	11700
6	1991 की कमी सहित आवास इकाईयों की आवश्यकता	(+)5423	12233	23933
7	प्रति वर्ष 1 प्रतिशत की दर से आवासों का पुर्णनिर्माण	-	1395	2790
	योग	(+)5423	13628	26723

(+) आवासों की कमी

4.6.1 विभिन्न वर्गों हेतु आवासीय इकाईयों की आवश्यकता

उपरोक्त भावी आवासीय इकाईयों की आवश्यकताओं का अनुमान नगर के सभी आर्थिक वर्गों हेतु किया

गया है। अतः समाज के विभिन्न आर्थिक वर्ग जैसे उच्च वर्ग, मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आवास गृहों की आवश्यकता को अनुमानित किया जाना आवश्यक है, जो नगर की वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित है। अतः नगर के भावी आर्थिक, सामाजिक संरचना के आधार पर 7 प्रतिशत उच्च आय वर्ग 23 प्रतिशत मध्यम आय वर्ग, 30 प्रतिशत निम्न आय वर्ग तथा म.प्र. शासन द्वारा घोषित आवास नीति के प्रावधान अनुसार 40 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अनुपात में कुल आवासीय आवश्यकता का विभाजन किया गया है।

4.7 प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भूमि-आवंटन

नगर के भावी स्वरूप, भावी जनसंख्या तथा उनकी आवासीय, वाणिज्यिक, अधोसंरचना, सेवा-सुविधाएं, आमोद-प्रमोद इत्यादि की आवश्यकताओं का आंकलन कर विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत भूमि की आवश्यकता का निर्धारण किया गया है।

वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण के अनुसार नगर में 4.02 हेक्टर प्रति हजार जनसंख्या के मान से भूमि नगर उपयोग अंतर्गत है। विकास योजना में वर्ष 2011 की अनुमानित जनसंख्या 2.00 लाख हेतु 7.00 हेक्टर प्रति हजार जनसंख्या की दर से भूमि नगरीय उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है। इसके आधार पर नगर का सकल घनत्व 143 व्यक्ति प्रति हेक्टर आता है जो नगर के विरल विकास के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए उचित माना गया है। प्रस्तावित भू-उपयोग का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

विदिशा : प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भूमि आवंटन-2011

4-सा-2

क्र.	भूमि उपयोग	वर्तमान 2000			प्रस्तावित 2011		
		क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्रतिशत	भू-उपयोग दर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्रतिशत	भू-आवंटन दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	285	53.94	2.19	718	50.77	3.59
2	वाणिज्यिक	31.7	6.1	0.24	117	8.27	0.59
3	औद्योगिक	34.0	6.44	0.26	73	5.16	0.36
4	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	61.0	11.55	0.47	123	8.69	0.62
5	सार्व. उपयोगिता	7.3	1.39	0.06	24	1.69	0.12
6	आमोद-प्रमोद	15	2.84	0.11	109	7.70	0.54
7	यातायात एवं परिवहन	94.3	17.84	0.73	250	17.68	1.25
योग		528.3	100.0	4.06	1414	100.0	7.07

4.8 निवेश इकाईयां

विकास योजना का स्वरूप स्वसक्षम एवं आत्मनिर्भर निवेश इकाईयों के रूप में रखा गया है। निवेश इकाई की सीमा निर्धारित करते समय जनसंख्या, क्षेत्रफल, वर्तमान सुविधायें, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित सीमाओं को ध्यान रखा गया है। प्रस्तावित निवेश इकाई को प्रमुख कार्य केन्द्र, वाणिज्यिक केन्द्र, यातायात एवं सेवा केन्द्रों से जोड़ा गया है। संपूर्ण निवेश क्षेत्र को दो निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया है।

नगर से गुजरने वाली रेल्वे लाइन को निवेश क्षेत्र सीमा माना गया है। इस रेल मार्ग का निवेश क्षेत्र सीमा तक का उत्तर-पश्चिमी भाग निवेश इकाई क्रमांक-1 तथा दक्षिण पूर्वी भाग निवेश इकाई क्रमांक-2 अंतर्गत लिया गया है। निवेश इकाई वार निवेश क्षेत्र का विभाजन निम्न सारणी में दर्शित है :

विदिशा : निवेश इकाईवार भूमि विभाजन

4-सा-3

(क्षेत्र हेक्टर में)

निवेश इकाई क्रमांक	विकसित क्षेत्र			कृषि एवं अन्य भूमि	निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल	अनुमानित जनसंख्या (लाख में)
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7
1	338	265	603	1477	2080	1.20
2	190	621	811	7293	8104	0.80
योग	528	886	1414	8770	10184	2.00


4.8.1 निवेश इकाईवार भूमि उपयोग वितरण

संपूर्ण निवेश क्षेत्र को दो निवेश इकाईयों में विभक्त कर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए गए हैं जिसमें प्रत्येक निवेश इकाई की वर्तमान परिस्थिति, अन्य निवेश इकाई से सह संबंध तथा वहां के वर्तमान भूमि उपयोग आदि को ध्यान में रखा गया है। निवेश इकाईवार वर्तमान एवं प्रस्तावित भूमि उपयोग का संयुक्त वर्गीकरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है -

विदिशा : निवेश इकाई वार भू-उपयोग वितरण (विकसित क्षेत्र)

4-सा-4

निवेश इकाई क्रमांक	आवासीय	वाणिज्यिक	औद्योगिक	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	सार्वजनिक उपयोगिता	आमोद प्रमोद	यातायात एवं परिवहन	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	327	51	15	33	22	45	110	603
2	391	66	58	90	2	64	140	811
योग	718	117	73	123	24	109	250	1414



VIDISHA विदिशा

DEVELOPMENT PLAN विकास होजना

वर्तमान प्रस्तावित

EXISTING PROPOSED

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

GENERAL

MANDI

TRANSPORT NAGAR

INDUSTRIAL

PUBLIC & SEMI PUBLIC

PUBLIC UTILITIES & FACILITIES

TRANSPORTATION

ROAD

BUS-STAND

PICKUP STATION

RAILWAY LINE

RAILWAY STATION

RECREATIONAL

PARK/PLAY GROUND

MELA GARDEN

STADIUM

PLANTATION

वाणिज्यिक

सामान्य

मण्डी

ग्रातारात नगर

औदोगिक

सार्वजनिक एवं
अर्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक सेवाएं
एवं सुविधाएं

ग्रातारात

मार्ग

बस स्थानक

उप बस स्थानक

रेल्वे लाईन


रेल्वे स्टेशन

आमोद प्रमोद


उद्यान खेल मैदान


मेला गाहाड

स्टेडियम



RECREATIONAL		ग्रातारात
PARK/PLAY GROUND	[Green Box]	मार्ग
MELA GARDEN	[Green Box]	बस स्थानक
STADIUM	[Green Box]	उप बस स्थानक
PLANTATION	[Green Box]	रेल्वे लाईन
		रेल्वे स्टेशन






निवेश होठ



विदेशा

4.2 निवेशा इकाई



निवेशा इकाई सीमा




निवेशा क्षेत्र सीमा



निवेशा पालिका सीमा





नगर के वर्तमान एवं भावी स्वरूप के आधार पर अनुमान है कि निवेश इकाई क्रमांक-1 में 1.20 लाख तथा निवेश इकाई क्रमांक-2 में 0.80 लाख जनसंख्या निवास करेगी। इस प्रकार निवेश इकाई क्रमांक-1 की औसत आवासीय घनता 411 व्यक्ति प्रति हेक्टर तथा निवेश इकाई क्रमांक-2 की औसत आवासीय घनता 217 व्यक्ति प्रति हेक्टर होगी। जबकि नगर की वर्तमान औसत आवासीय घनता 471 व्यक्ति प्रति हेक्टर है।

4.9 प्रस्तावित भूमि उपयोग संरचना

विकास योजना प्रस्तावों को अधिदर्शित करने में देश के अन्य नगरों की ही तरह मिश्रित भूमि उपयोग संस्कृति को विदिशा नगर हेतु भी यथा अपनाया गया है ताकि नगर में वर्तमान भूमि उपयोग को कम से कम परिवर्तित करना पड़े, अपितु असंगत भूमि उपयोगों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित भूमि उपयोग, विकास योजना के उद्देश्यों व अवधारणा को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। प्रस्तावित भूमि उपयोग के मुख्य बिन्दु, कार्य केन्द्रों की अंतर्सम्बद्धता, वर्तमान विकसित क्षेत्र का प्रस्तावित विकास के साथ समन्वय तथा कार्य केन्द्रों का विकेन्द्रीकरण है।

4.9.1 आवासीय

विकास योजना में नए आवासीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करते समय यह प्रयत्न किया गया है कि क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा-सुविधाओं का प्रावधान, कार्य केन्द्रों से उचित निकटता, प्रदूषण मुक्त वातावरण तथा सामाजिक गतिविधियों में उचित सामंजस्यता प्राप्त हो सके। वर्तमान एवं अनुमानित जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए कुल 718 हेक्टर आवासीय क्षेत्र विकास योजना में विकास हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिसके 285 हेक्टर वर्तमान आवासीय क्षेत्र सम्मिलित है। आवासीय वर्ग के अंतर्गत प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र, कुल विकास हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का 53.94 प्रतिशत आता है तथा वर्तमान भूमि उपयोग दर 2.19 है। प्रति 1000 जनसंख्या के विरुद्ध 3.50 है। प्रति 1000 जनसंख्या की प्रस्तावित भूमि उपयोग दर दर्शाता है। उक्त के आधार पर नगर का औसत आवासीय घनत्व 278 व्यक्ति प्रति हेक्टर आता है। आवासीय भू-उपयोग हेतु वर्तमान दर से अधिक भू-आवंटन का कारण कुछ सघन एवं संकीर्ण क्षेत्रों की घनता कम करना तथा कुछ गंदी बस्तियों की पुर्नस्थापना है। अध्याय-2 में वर्णित गंदी बस्ती एवं झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों की पुर्नस्थापना अथवा पर्यावरण सुधार एवं उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। इसका निर्धारण स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय निकाय के परामर्श से सक्षम अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

पर्यावरण सुधार अंतर्गत क्षेत्र का अभिन्यासीकरण कर मूल भूत सेवा-सुविधाओं एवं अधोसंरचना का प्रावधान यथा, पक्के मार्ग, पेयजल की समुचित व्यवस्था, सुलभ काम्पलेक्स, विद्युत, जल-मल निकास की मानक स्तर की व्यवस्था इत्यादि किया जाना प्रस्तावित है जबकि पुर्नस्थापना की दशा में रिक्त हुई भूमिका उपयोग स्थल स्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप वाहन विराम स्थल, उद्यान अथवा खेल मैदान के रूप में प्रयुक्त हो सकेगा। इसका निर्धारण भी सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानीय निकास एवं जिला प्रशासन के परामर्श से किया जा सकेगा। लोहांगी पहाड़ी के चारों ओर स्थित वर्तमान बसाहट को पहाड़ी के सोन्दर्य एवं पहाड़ी के हिस्सों के प्राकृतिक रूप से दृष्टिगत रखते हुए तत्काल स्थानान्तरित करना प्रस्तावित है। यह बसाहट निवेश इकाई क्र.-1 में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में स्थानान्तरित की जावेगी।

ग्राम मिर्जापुर का विकास द्रुतगति से हो रहा है। अतः विकास योजना में इसे नगर के भाग के रूप में शामिल करते हुए इसके भावी विकास हेतु लगभग 9.00 हेक्टर भूमि विकास योजना में आवासीय उपयोग अंतर्गत उपदर्शित की गई है।

(क) शासकीय एवं अर्धशासकीय आवास

जिला मुख्यालय होने के कारण यहां केन्द्र एवं राज्य शासन के विभिन्न कार्यक्रम स्थापित हैं किन्तु इनमें कार्यरत कर्मचारियों के लिए समुचित आवास गृहों का निर्माण नहीं किया है। अपितु यहां लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ शासकीय आवास गृहों का निर्माण जिला कार्यालय के आसपास कराया है जो कि काफी सीमित है। अतः वर्तमान एवं भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु सुमेर मार्ग पर वर्तमान बस डिपो के उत्तर पश्चिम की लगभग 20 हेक्टर भूमि शासकीय एवं अर्धशासकीय आवासों हेतु प्रस्तावित की गई है।

(ख) औद्योगिक

उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों श्रमिकों हेतु सागर मार्ग पर वर्तमान एवं प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के निकट लगभग 25 हेक्टर भूमि औद्योगिक आवास निर्माण हेतु प्रस्तावित की गई है।

(ग) अल्प घनत्वीय आवासीय क्षेत्र

प्रस्तावित वृत्तीय मार्ग के पूर्वी भाग में मार्ग से 100 मीटर गहराई तक अल्प घनत्वीय आवासीय क्षेत्र विकास का प्रस्ताव विकास योजना में किया गया है। इस हेतु लगभग 12.00 हेक्टर भूमि प्रस्तावित है। यह आवासीय उपयोग अंतर्गत प्रस्तावित कुल 600 हेक्टर भूमि शामिल है।

4.9.2 वाणिज्यिक

इस उपयोग अंतर्गत कुल 117 हेक्टर भूमि विकास योजना में प्रस्तावित की गई है जो कुल विकसित क्षेत्र का 8.27 प्रतिशत है। उक्त में वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र 31.7 हेक्टर भी सम्मिलित है। वाणिज्यिक वर्ग के अंतर्गत निम्नानुसार प्रमुख प्रस्ताव है :-

(1) कृषि उपज मंडी

वर्तमान कृषि उपज मण्डी निवेश इकाई क्रमांक-1 में लोहांगी पहाड़ी के निकट 6.00 हेक्टर भूमि पर सघन आवासीय क्षेत्र में संचालित है। इसे निवेश इकाई क्रमांक-2 में सागर मार्ग पर स्थानांतरित करना प्रस्तावित है। विकास योजना में इस हेतु लगभग 15 हेक्टर भूमि उपदर्शित की गई है। यह स्थल प्रस्तावित वृत्तीय मार्ग के निकट स्थित होने से नगर का आंतरिक यातायात यहां की गतिविधियों से प्रभावित नहीं होगा। इस परिसर में ट्रकों के अवसान एवं अनाज गोदाम इत्यादि भी स्थापित हो सकेंगे। नवीन कृषि उपज मण्डी समस्त सेवा सुविधाओं से युक्त करते हुए विकास करना प्रस्तावित है।

वर्तमान कृषि उपज मण्डी के स्थानांतरित होने पर रिक्त हुई भूमि का विकास नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में किया जाना प्रस्तावित है।

(2) यातायात नगर एवं अग्रेषण अभिकरण

वर्तमान में नगर में यातायात नगर नहीं है। अतः निवेश इकाई क्रमांक-1 में भोपाल मार्ग पर लगभग 10.72 हेक्टर तथा निवेश इकाई क्रमांक-2 में सागर मार्ग पर लगभग 10.55 हेक्टर भूमि यातायात नगर हेतु विकास योजना में प्रस्तावित की गई है। यातायात नगर परिसर में संबंधित गतिविधियां यथा कार्यशाला, शीतगृह अग्रेषण अभिकरण स्थापित हो सकेंगे। विद्युत मण्डल कार्यालय के पास, माधोगंज, लोहिया उद्यान इत्यादि के निकट स्थित अग्रेषण अभिकरण एवं माल गोदाम इन यातायात नगर स्थलों में स्थानांतरित करना प्रस्तावित है।

(3) पशु वध गृह एवं मांस-मछली बाजार

वर्तमान में पशुवध गृह एवं मांस बाजार जय स्तंभ के निकट संचालित है जो इस क्षेत्र के लिए पर्यावरण समस्या जनक तथा आस-पास की गतिविधियों से असंगतता रखता है। अतः वर्तमान पशु वध गृह-सह-मांस बाजार को महा कवि कालीदास मार्ग चौराहे के निकट निवेश इकाई क्रमांक-1 में आवंटित स्थल पर स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के अलावा मांस एवं मछली बाजार निवेश इकाई क्र. 1 में वर्तमान मंडी के स्थानांतरित होने से रिक्त हुई भूमि पर प्रस्तावित नगर स्तरीय बाजार केन्द्र में स्थानांतरित एवं स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। निवेश इकाई क्रमांक-2 में प्रस्तावित निवेश इकाई स्तरीय बाजार केन्द्र में भी मांस-मछली बाजार स्थापित किया जा सकेगा।

(4) भवन निर्माण सामग्री एवं लोहा बाजार

वर्तमान में नगर में भवन निर्माण सामग्री एवं लोहा बाजार बांसकुली, बड़ा बाजार, माधवगंज एवं नगर में यत्र-तत्र संचालित है जो सुगम यातायात में बाधक है, अतः इसे सागर मार्ग पर प्रस्तावित यातायात नगर के पूर्व में प्रस्तावित वृत्तीय मार्ग के पश्चिम में प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थानांतरित करना प्रस्तावित है। यह क्षेत्र निवेश इकाई क्रमांक-2 में आता है। इस हेतु विकास योजना में 2.00 हेक्टर भूमि प्रस्तावित की गई है। वर्तमान भवन निर्माण सामग्री एवं लोहा बाजार के स्थानांतरित होने से रिक्त हुई भूमि का उपयोग सामान्य वाणिज्यिक अंतर्गत रहेगा।

(5) सब्जी एवं फल मण्डी

नगर में विभिन्न स्थलों यथा सावरकर कॉलोनी, जय स्तंभ, बस स्टेंड, सुभाष चौक तथा मार्गों पर संचालित फल एवं सब्जी मण्डी को कृषि उपज मण्डी के स्थानांतरण उपरांत यहां स्थापित करना प्रस्तावित है। इस हेतु 1.5 हेक्टर भूमि प्रस्तावित की जाती है।

(6) काष्ठ भंडार

स्वर्णकार कॉलोनी में स्थित काष्ठ बाजार को निवेश इकाई क्रमांक-2 में प्रस्तावित यातायात नगर में संलग्न प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थानांतरित करना प्रस्तावित है। इस हेतु दो हेक्टर भूमि प्रस्तावित है।

(7) दुग्ध डेयरियां

नगर स्थित दुग्ध डेयरियों को निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित ग्राम बरखेड़ी जेतू में स्थानांतरित करना प्रस्तावित है। इस हेतु लगभग 20 हेक्टर भूमि प्रस्तावित है। इसी प्रक्षेत्र में पशु चिकित्सालय भी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) नगर/निवेश इकाई स्तर बाजार केन्द्र

वर्तमान वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र बड़ा बाजार, सावरकर मार्ग, बाल विहार, माधवगंज इत्यादि है। जो नगर केन्द्र के रूप में यथावत कार्यरत रहेगा। यह बाजार निवेश इकाई-1 की आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा अपितु वर्तमान कृषि उपज मंडी के स्थानांतरण उपरांत रिक्त हुई भूमि को संगठित बाजार केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

निवेश इकाई-2 में टीलाखेड़ी मार्ग तिराहे के पूर्व में निवेश इकाई स्तर के बाजार केन्द्र हेतु लगभग 4.00 हे. भूमि विकास योजना में उपदर्शित की गई है।

(9) कबाड़ी बाजार

इस गतिविधि को सागर मार्ग पर प्रस्तावित यातायात नगर से संलग्न प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थानांतरित एवं स्थापित करना प्रस्तावित है। इस हेतु एक हेक्टर भूमि पर्याप्त होगी।

(10) वृत्त खंड स्तरीय बाजार केन्द्र

आवासीय वृत्त खंडों को परिपूर्ण इकाईयों के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक आवासीय वृत्त खंड में 15.20 हजार की जनसंख्या रहेगी। निवासियों की आवश्यकताओं के अनुरूप दुकानों एवं अन्य सुविधा की दृष्टि से यह आवासीय वृत्त खण्ड इकाई के रूप में रहेंगे। वृत्त खंडों में प्रस्तावित गतिविधि केन्द्रों (दुकान एवं अन्य सुविधाओं) से यहां के रहवासियों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। विकास योजना में प्रस्तावित 6 नए वृत्त खंडों में इस प्रयोजन हेतु 9.00 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त उपवृत्त खंडों में भी सुविधा की दृष्टि से 3 से 4 हजार जनसंख्या के पीछे 15.20 स्थानीय दुकानों का प्रावधान रखा गया है।

(11) तेल एवं पेट्रोल डिपो

वर्तमान में ज्वलनशील पदार्थों के संग्रहण हेतु नगर में कोई व्यवस्था नहीं है। अतः भविष्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना में सागर मार्ग पर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में एवं प्रस्तावित आबादी क्षेत्र से उपयुक्त दूरी पर कृषि भूमि में ऐसी गतिविधियों के भंडारण हेतु डिपो स्थापित किये जा सकेंगे। इनके स्थल का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार तरल पेट्रोलियम गैस भंडारण केन्द्र भी कृषि क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर स्थापित किए जा सकते हैं।

(12) अन्य

(अ) सागर मार्ग पर प्रस्तावित यातायात नगर एवं प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के मध्य प्रस्तावित वृत्तीय मार्ग के दोनों ओर लगभग 12 हेक्टर भूमि वाणिज्यिक उपयोग हेतु विकास योजना में उपदर्शित की गई। इसमें भवन निर्माण सामग्री बाजार की स्थापना हेतु लगभग 4.00 हेक्टर भूमि का छोड़कर शेष भूमि पर यातायात नगर एवं औद्योगिक क्षेत्र आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वाणिज्यिक गतिविधियां स्थापित की जा सकेंगी। यह बाजार सागर मार्ग के उत्तर में प्रस्तावित कृषि उपज मंडी की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

(ब) सुमेर मार्ग पर प्रस्तावित बस स्टेण्ड स्थल से संलग्न लगभग 6.00 हेक्टर भूमि वाणिज्यिक उपयोग अंतर्गत प्रस्तावित की गई है। इस स्थल पर खण्ड स्तरीय संगठित बाजार केन्द्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है जो प्रस्तावित बस स्टेण्ड, प्रस्तावित प्रशासकीय क्षेत्र तथा प्रस्तावित यातायात नगर की वाणिज्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

4.9.3 औद्योगिक

विदिशा जिला कृषि प्रधान होने के कारण यहां विशेषकर कृषि आधारित उद्योगों की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना में कुल 73 हेक्टर क्षेत्र औद्योगिक वर्ग अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित विकास क्षेत्र का 516 प्रतिशत है। इसके अंतर्गत सागर मार्ग पर लगभग 33 हेक्टर भूमि का नवीन औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है जबकि पीतल मिल चौराहे के निकट तथा वर्तमान स्टेण्ड के निकट स्थित औद्योगिक क्षेत्र के निकट अतिरिक्त औद्योगिक विकास के प्रस्ताव विकास योजना में उपदर्शित किए गए हैं।

प्रस्तावित नवीन औद्योगिक प्रक्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों के अलावा अन्य गैर प्रदूषणकारी लघु एवं मध्यम आकार की औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की जा सकेंगी। असंगत एवं अकार्यक्षम औद्योगिक इकाईयां भी इसी प्रक्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। ईट भट्टे वर्तमान में प्रस्तावित विकास क्षेत्र से काफी दूर स्थित है। अतः वे यथावत कार्यरत रह सकेंगे। रैदास पथ पर स्थित चर्मशोधन केन्द्र, चिरोड़िया ग्राम में स्थानांतरित हो गया है। अतः इससे रिक्त हुई भूमि का उपयोग सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग अंतर्गत रहेगा। वर्तमान एवं प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों में चारों ओर न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी पट्टी पर सघन वृक्षारोपण एवं उसका विकास व संरक्षण प्रस्तावित है। विकास योजना मानचित्र में जहां अधिक चौड़ी पट्टी वृक्षारोपण हेतु उपदर्शित की गई है वह तदनुसार ही मानी जावेगी तथा इसकी गणना औद्योगिक क्षेत्र के साथ की जावेगी।

घरेलू एवं सेवा उद्योग

घरेलू एवं सेवा उद्योगों से नगरवासियों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ऐसी औद्योगिक इकाईयों को नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों एवं आवासीय क्षेत्रों में सुगम यातायात एवं आवागमन की सुविधा प्राप्त होना आवश्यक है। इन उद्योगों का व्यवसायिक क्षेत्रों में बहुमंजिले भवनों में स्थापित किया जा सकता है।

4.9.4 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक तथा सेवा सुविधाएं

इस भूमि उपयोग के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाएं एवं जन सेवा-सुविधाओं का समावेश होता है। विकास योजना में नगर स्तरीय सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक गतिविधियों हेतु भूमि का प्रावधान किया गया है। स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु निवेश इकाई स्तर पर वृत्तखंड स्तर पर भी सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक तथा सेवा-सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। जल प्रदाय एवं भूमिगत जल-मल निकासी हेतु अतिरिक्त भूमि का प्रावधान नहीं रखा गया है, क्योंकि इनका क्षेत्र नगर की परिभ्रमण संरचना में ही सम्मिलित रहता है। इस उपयोग के अंतर्गत कुल 146 हेक्टेयर भूमि उपदर्शित की गई है, जो कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का 10.38 प्रतिशत है। सभी प्रशासनिक कार्यालय एवं अर्द्ध शासकीय विकास कार्यालय/संस्थाओं को एक ही परिसर में स्थापित करना प्रस्तावित है। इस हेतु विकास योजना में निवेश इकाई-1 में लगभग 19 हेक्टेयर भूमि उपदर्शित की गई है।

राजीव नगर एवं वर्तमान प्रशासकीय परिसर के कार्यालय स्थानांतरिक किए जाने पर इस परिक्षेत्र में स्थापित किए जाना प्रस्तावित है। वर्तमान प्रशासकीय परिसर स्थित कार्यालयों के स्थानांतरित होने पर यहां नगर में यत्र-तत्र संचालित कार्यालय स्थापित किए जावेंगे।

नगर स्थित शा. कन्या महाविद्यालय, बी.एम. डिग्री महाविद्यालय, इन्द्रा काम्प्लेक्स डिग्री महाविद्यालय, रामकृष्ण मेमोरियल महाविद्यालयों को उनके वर्तमान स्थल से स्थानांतरित कर निवेश इकाई क्रमांक-2 में प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक हेतु उपदर्शित भूमि पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जबकि अहमदपुर मार्ग से संलग्न लगभग 10 हेक्टर भूमि चिकित्सा महाविद्यालय सह विशेषीकृत चिकित्सालय हेतु प्रस्तावित की गई है। इस भूमि पर अन्य विशेषीकृत उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्था भी स्थापित की जा सकती है।

इस उपयोग अंतर्गत अतिरिक्त प्रस्तावित क्षेत्र का मोटे तौर पर विभाजन निम्नानुसार किया जाता है -

शैक्षणिक	-	30.0 हेक्टर
स्वास्थ्य	-	20.0 हेक्टर
कार्यालय	-	28.0 हेक्टर
सामाजिक सांस्कृतिक इत्यादि	-	18.4 हेक्टर
सार्वजनिक उपयोगिता सुविधाएं	-	17.7 हेक्टर
योग		114.1 हेक्टर

सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाओं के अंतर्गत विकास योजना में कुल 24 हेक्टर क्षेत्र उपदर्शित किया है। जिसमें वर्तमान 7.3 हेक्टर क्षेत्र भी शामिल है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से दो नवीन शमशान तथा शा. बेतवा उद्यान के निकट जल-मल शुद्धिकरण संयंत्र के प्रस्ताव दिए गए हैं। इस वर्ग के अंतर्गत शमशान, कब्रिस्तान, अग्निशमन संयंत्र, जल-मल निकास, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति इत्यादि अंतर्गत के क्षेत्र आते हैं।

4.9.5 आमोद-प्रमोद

इस वर्ग के अंतर्गत वर्तमान में उपलब्ध 15.3 हेक्टर भूमि के विरुद्ध कुल 109 हेक्टर भूमि प्रस्तावित की गई है। जो कुल विकास हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का 7.7 प्रतिशत है। इसके अंतर्गत उद्यान, खेल मैदान, मेला मैदान, स्टेडियम इत्यादि आमोद-प्रमोद गतिविधियाँ आती हैं। हसनाबाद मार्ग पर निवेश इकाई-2 में लगभग 10 हेक्टर की भूमि नगर उद्यान हेतु प्रस्तावित है। इस स्थल की तीनों दिशाओं में दुकानों हेतु वाणिज्यिक उपयोग प्रस्तावित किया गया है। यहां नगर उद्यान के साथ-साथ स्टेडियम भी विकसित किया जा सकेगा। विकास योजना में नगर स्तर एवं निवेश इकाई स्तर की आमोद-प्रमोद गतिविधियों हेतु प्रस्ताव दिए गए हैं। उक्त के अलावा वृत्त खंड एवं उपवृत्त खंड स्तर के उद्यान, खेल मैदान आदि भी प्रस्तावित है। निवेश इकाई-1 में वर्तमान मेला मैदान से संलग्न लगभग 15 हेक्टर भूमि, मेला मैदान के रूप में उपर्युक्त की गई है। उक्त के अलावा विभिन्न स्थलों पर वृक्षारोपण के प्रस्ताव भी विकास योजना में प्रस्तावित है।

(क) जल स्रोत संरक्षण एवं पर्यावरण उन्नयन

(1) तालाब

नगर स्थित नीम तालाब का संरक्षण, संवर्धन किया जाकर इसके निकट के क्षेत्र का भूदृष्टीकरण किया जाना प्रस्तावित है। ताकि तालाब का क्षेत्र एक सशक्त आमोद-प्रमोद स्थल के रूप में विकसित हो सके। हाजीब अली तालाब, चारों ओर से आवासीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप तालाब का जल प्रदूषित होता रहता है। अतः इस तालाब की साफ-सफाई करते हुए संरक्षण एवं संवर्धन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही तालाब के चारों ओर कम से कम तीन मीटर चौड़ी पट्टी वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। इसी प्रकार नीम तालाब एवं इससे संलग्न बसाहट के मध्य तीन मीटर चौड़ी पट्टी वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। दोनों तालाबों के किनारे वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित तीन मीटर चौड़ी पट्टी में स्थित बसाहट को असंगत भू उपयोग मानते हुए तत्काल अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। निवेश क्षेत्र में स्थित अन्य तालाबों जलग्रहण क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ी पट्टी पर वृक्षारोपण करते हुए इन तालाबों का संरक्षण किया एवं संवर्धन किया जाना प्रस्तावित है।

(2) बेतवा नदी एवं इसकी शाखाएं

बेतवा नदी एवं इसकी शाखाओं के किनारे नगर वन, उद्यान, आमोद-प्रमोद स्थल तथा वृक्षारोपण के क्षेत्र विकास योजना में प्रस्तावित किए गए हैं। बेतवा नदी के किनारे कम से कम 30 मीटर चौड़ी तथा इसकी शाखाओं के दोनों ओर कम से कम 10 मीटर चौड़ी पट्टी वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है।

(3) लोहांगी पहाड़ी

वर्तमान कृषि उपज मंडी क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र में घिरी लोहांगी पहाड़ी भूस्खलन की संभावना से ग्रसित है। अतः इसकी तलहटी से चारों ओर 50 मीटर के घेरे में आने वाली बसाहट को असंगत भू उपयोग के रूप में शामिल करते हुए तालाब स्थानांतरित करना प्रस्तावित है ताकि संभावित भूस्खलन की प्राकृतिक आपदा से बचने की पूर्व तैयारी की जा सके। इस पहाड़ी का भूदृष्टीकरण तथा चारों ओर 50 मीटर चौड़ी पट्टी पर वृक्षारोपण किया जाना भी प्रस्तावित है।

(ख) पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन

बेतवा नदी के पूर्वी किनारे के घाट, चरण तीर्थ, रेल्वे ओवर ह्रिज के पास नदी के बंधान से लगा क्षेत्र, छोटी बेतवा (बेतवा नदी की शाखा) तथा विदिशा-रायसेन मार्ग के बीच का क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के अंतर्गत लिया जाकर वृक्षारोपण, भूदृष्टीकरण हेतु प्रस्तावित किया जाता है।

नगर स्थित अन्य बड़े-छोटे उद्यानों का भी उचित रख-रखाव एवं संरक्षण किया जाना आवश्यक है।

4.96 यातायात एवं परिवहन

इस उपयोग के अंतर्गत मार्ग, यातायात अवसान केन्द्र, वाहन विराम स्थल, बस स्थानक, बस डिपो तथा परिवहन संबंधी सेवा-सुविधाओं का समावेश होता है। विकास योजना में इस उपयोग हेतु 250 हेक्टर भूमि का प्रावधान किया गया है जो कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का 17.68 प्रतिशत आता है।

4.10 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

नगर में विद्यमान असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों का विवरण अध्याय-2 में दिया गया है। ये भूमि उपयोग वर्तमान परिपेक्ष्य में यातायात, पर्यावरण, स्थान की कमी, आसपास की भूमि उपयोग से असंगतता की दृष्टि से इस श्रेणी में लिए गए हैं। इन भूमि उपयोगों को स्थानांतरित कर पुनर्स्थापना तथा रिक्त हुए स्थान को अधिक सक्षम रूप से प्रस्तावित किया गया है। जिसका विवरण निम्न सारणी में दिया गया है। इन भू-उपयोगों की पुनर्स्थापना हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 25 के अनुसार युक्तिसंगत अवधि उपलब्ध होगी। असंगत भूमि उपयोगों को तत्काल स्थानांतरित करना प्रस्तावित है जबकि अकार्यक्षम भूमि का तत्काल स्थानांतरण आवश्यक नहीं है। अकार्यक्षम भूमि उपयोग उनके वर्तमान स्थल पर आवश्यक सुधार सहित कार्यरत रह सकेंगे किन्तु इन्हें वर्तमान स्थल पर वृद्धि एवं विकास की अनुज्ञा नहीं होगी।

विदिशा : भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का विकास

4-सा-5

क्र.	भूमि उपयोग	प्रस्तावित स्थल	रिक्त होने पर भूमि का प्रस्तावित उपयोग
1	2	3	4
(अ) असंगत भूमि उपयोग			
1.	पशुवधगृह एवं मांस बाजार	निवेश इकाई-1 एवं 2	आवासीय
2.	दुग्ध डेयरियां	ग्राम बरखेड़ी जेतू (निवेश क्षेत्र के बाहर)	आवासीय
3.	भवन निर्माण सामग्री एवं लोहा बाजार	निवेश इकाई-2	वाणिज्यिक/मार्ग/वाहन विराम स्थल
4.	गोदाम	निवेश इकाई-1 एवं 2 (यातायात नगर)	वृक्षारोपण

5.	कबाड़ी बाजार	निवेश इकाई-2	वाणिज्यिक मार्ग
6.	अग्रेषण अभिकरण	निवेश इकाई-2	वाणिज्यिक/मार्ग वाहन विराम स्थल
7.	आरा मशीनें	निवेश इकाई-2	आवासीय
8.	फल/सब्जी मंडी	निवेश इकाई-1	मार्ग/वाहन विराम स्थल
9.	कृषि उपज मण्डी	निवेश इकाई-2	वाणिज्यिक/वाहन विराम स्थल
10.	काष्ठ भंडार	निवेश इकाई-2	आवासीय
11.	दाल मिल	निवेश इकाई-2	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक
12.	यूनियन पेस्टीसाइड्स	निवेश क्षेत्र के बाहर	आवासीय
13.	लाहांग्री पहाड़ी के चारों ओर	निवेश इकाई-1	वृक्षारोपण/आमोद-प्रमोद
14.	शा. कन्य महाविद्यालय	निवेश इकाई-2	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक
15.	बी.एम. डिग्री कॉलेज	निवेश इकाई-2	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक
16.	इन्द्रा काम्पलेक्स डिग्री महाविद्यालय	निवेश इकाई-2	आवासीय
17.	रामकृष्ण मेमोरियल महाविद्यालय	निवेश इकाई-2	आवासीय
18.	राजकमल बड़जात्या हाईस्कूल	निवेश इकाई-2	उद्यान (आमोद-प्रमोद)
19.	शासकीय कार्यालय (राजीव नगर)	निवेश इकाई-1	आवासीय
20.	शासकीय कार्यालय (वर्तमान प्रशासकीय क्षेत्र)	निवेश इकाई-1	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक
21.	नीम तालाब एवं हाजीब अली तालाब के चारों ओर 10 मीटर के घेरे में स्थित बसाहट	निकटस्थ प्रवाहित आवासीय क्षेत्र	वृक्षारोपण
(ब)	अकार्यक्षम भूमि उपयोग	निवेश इकाई-2	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक
1.	प्रभात दाल मिल		

टीप : उपरोक्त गतिविधि के वर्तमान स्थल सारणी 2-सा-14 के कॉलम-3 के अनुरूप है।

4.11 ग्राम विकास

विदिशा निवेश क्षेत्र में स्थित जो ग्राम आबादी, विकास योजना में प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में शामिल दर्शाई गई है उनका विकास, विकास योजना में दर्शित उपयोग अनुरूप ही किया जावेगा। किन्तु जो ग्राम आबादी प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में शामिल नहीं हुई है उनका विस्तार वर्तमान आबादी के आसपास 200 मीटर की परिधि में किया जा सकेगा तथा इसका स्वरूप वर्तमान ग्राम आबादी के समान ही रहेगा। यह विस्तार सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से ग्राम विकास के रूप में ही हो सकेगा।

प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना

प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना नगर के भावी स्वरूप एवं आकार का निर्धारण करती है। दक्ष यातायात एवं परिभ्रमण व्यवस्था के माध्यम से यात्रा का समय, दूरी तथा वाहन चालन व्यय आदि कम किया जा सकता है। अतः विदिशा नगर की वर्तमान यातायात समस्याओं एवं भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित मार्ग संरचना निम्न अवधारणा पर आधारित है।

- (अ) क्षेत्रीय यातायात एवं नगर यातायात का पृथक्करण।
- (ब) मिश्रित यातायात के अनुरूप सुसंगठित मार्ग संरचना।
- (स) नगर कार्य केन्द्रों के मध्य संपर्क स्थापित करना।
- (द) सीधे गुजरने वाले यातायात हेतु बायपास एवं वृत्तीय मार्ग का प्रस्ताव।
- (इ) भावी यातायात के अनुमान के आधार पर, मार्गों का श्रेणीक्रम निर्धारण करना।

5.1 प्रस्तावित क्षेत्रीय परिभ्रमण संरचना (रेल एवं मार्ग)

नगर से गुजरने वाले एवं प्रारंभ होने वाले क्षेत्रीय यातायात का सर्वेक्षण करने से यह परिलक्षित होता है कि सागर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग-86 के नगर से गुजरने के कारण यहां अधिकतम क्षेत्रीय यातायात सङ्केत मार्ग द्वारा होता है। क्षेत्रीय सङ्केत यातायात की बहुलता के कारण उक्त मार्गों पर क्षमता से अधिक दबाव पड़ता है जो नगर के सुगम यातायात को प्रभावित कर यातायात संबंधी विभिन्न समस्याओं में बढ़ोत्तरी करता है। वर्तमान बस स्टेंड, ओवर ब्रिज तथा पीतल मिल चौराहे पर ये समस्याएं अधिक परिलक्षित होती हैं। अहमदपुर, हसनाबाद, सुमेर, शमशाबाद एवं टीलाखेड़ी मार्ग पर यातायात का परिमाण कम रहता है। अतः नगर में बिना अवसान किये सीधे गुजरने वाले क्षेत्रीय यातायात हेतु, लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव अनुरूप बेतवा पुल से प्रारंभ होकर टीलाखेड़ी एवं गुरारिया हवेली ग्रामों से होता हुआ मिर्जापुर एवं डाबर ग्राम की सीमा पर सागर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-86) से मिलने वाला 60 मीटर चौड़ा बायपास मार्ग प्रस्तावित किया जाता है। इस मार्ग की कुल लंबाई लगभग 12 कि.मी. तथा अनुमानित लागत 278 लाख है। उक्त के अलावा एक वृत्तीय मार्ग भी प्रस्तावित किया गया है जो ग्राम आमखेड़ा एवं टीलाखेड़ी की सीमा से गुजरने वाले प्रस्तावित बाईपास मार्ग से प्रारंभ होकर टीलाखेड़ी मार्ग, अहमदपुर मार्ग, डाबर मार्ग से मिलते हुए वर्तमान सागर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-86) से मिलता है। इस वृत्तीय मार्ग के निर्माण से क्षेत्रीय बसों को भी राष्ट्रीय राजमार्ग-86 के नगर मध्य से गुजरने वाले खंड से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी।

क्षेत्रीय परिभ्रमण की दृष्टि से विदिशा मध्य रेल्वे का महत्वपूर्ण स्टेशन है। यह मुम्बई-दिल्ली एवं चैन्नई-दिल्ली मुख्य रेल्वे लाइन पर स्थित होकर देश एवं प्रदेश के विभिन्न छोटे-बड़े नगरों से जुड़ा हुआ है।

5.2 प्रस्तावित नगरीय परिभ्रमण संरचना

नगर की वर्तमान परिभ्रमण संरचना में राष्ट्रीय राजमार्ग-86 यातायात की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अतः इस मार्ग पर क्षेत्रीय यातायात के वर्तमान दबाव को कम करने हेतु नगर के दक्षिण में वृत्तीय मार्ग एवं बायपास

मार्ग प्रस्तावित किया गया है। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग-86 के नगर से गुजरने वाले खण्ड का उपयोग नगरीय यातायात हेतु सुगमता से हो सकेगा। रेल्वे लाइन, नगर को लगभग दो भागों में विभक्त करती है। नगर का मध्य भाग एवं किले अंदर का क्षेत्र विभिन्न मार्गों द्वारा अन्य मार्गों से जुड़ा हुआ है जो वर्तमान बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, व्यापारिक केन्द्रों तथा अन्य प्रमुख कार्य केन्द्रों को जोड़ते हैं। नगर के प्रस्तावित क्षेत्रों को आपस में युक्तियुक्त मार्ग संरचना द्वारा जोड़ने हेतु विकास योजना में प्रस्ताव दिये गये हैं।

5.2.1 मार्गों का कार्यात्मक श्रेणी क्रम

नगर में विभिन्न आठ प्रकार के मार्गों का मार्गानुक्रम निम्नानुसार है -

1. बायपास मार्ग
2. क्षेत्रीय मार्ग
3. वृत्तीय मार्ग
4. प्रमुख मार्ग (एम.आर.)
5. खण्ड स्तरीय मार्ग
6. उप खण्ड स्तरीय मार्ग
7. स्थानीय मार्ग
8. सायकिलपथ एवं पादचारी

5.3 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

क्रियात्मक महत्व दीर्घकालीन यातायात संरचना, यातायात के प्रकार एवं उनकी विशेषता आदि के आधार पर ही मार्गों की चौड़ाई निर्धारित की जाती है। सारणी 5-सा-1 में नगर के विकास हेतु विभिन्न वर्तमान क्षेत्रीय एवं प्रस्तावित मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई एवं सारणी 5-सा-2 में विद्यमान मार्गों की वर्तमान एवं प्रस्तावित चौड़ाई दर्शाई गई है।

विदिशा : मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

5-सा-1

क्रमांक	मार्ग का नाम	प्रस्तावित मार्गाधिकार (मीटर में)	उद्देश्य
1	2	3	4
1.	बायपास मार्ग	60	क्षेत्रीय सीधा यातायाता
2.	क्षेत्रीय मार्ग (अ) राष्ट्रीय राजमार्ग-86		
	(I) गुलाब वाटिका तिराहे से प्रस्तावित पिक अप स्टेशन तक	36	नगर यातायात
	(II) शेष मार्ग		

1	2	3	4
	(ब) विदिशा-टीलाखेड़ी मार्ग		
	(I) रा. राज मार्ग से तिराहे तक	24	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	(II) तिराहे से आगे शेष मार्ग	36	क्षेत्रीय यातायात
	(स) विदिशा-अहमदपुर मार्ग		
	(I) रा. राज मार्ग से यांत्रिकी महाविद्यालय सीमा तक	24	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	(II) शेष मार्ग	36	क्षेत्रीय यातायात
	(द) विदिशा-हसनाबाद		
	(I) रा. राज मार्ग से एम.आर. 3 तक	24	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	(II) शेष मार्ग	36	क्षेत्रीय यातायात
	(इ) विदिशा-डाबर मार्ग	36	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	(फ) विदिशा-सुमेर मार्ग		
	(I) रा. राज मार्ग से बेतवा उद्धान तक (वर्तमान बायपास मार्ग)	24	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	(II) शेष मार्ग	36	क्षेत्रीय यातायात
	(छ) विदिशा-शमशाबाद		
	(I) नगर से मेला मैदान तक	24	नगर/क्षेत्रीय यातायात
	(II) मेला मैदान से आगे	36	क्षेत्रीय यातायात
3.	वृत्तीय मार्ग	45	क्षेत्रीय यातायात
4.	मुख्य मार्ग (एम.आर.)		
	क्रमांक-1	30	नगर यातायात
	क्रमांक-2	30	नगर यातायात
	क्रमांक-3	24	नगर यातायात
	क्रमांक-4	24	नगर यातायात
	क्रमांक-5	24	नगर यातायात
	क्रमांक-6	45	नगर यातायात
	क्रमांक-7	24	नगर यातायात
	क्रमांक-8	24	नगर यातायात
	क्रमांक-9	24	नगर यातायात
5.	खण्ड स्तरीय मार्ग	18	खण्ड स्तरीय यातायात
6.	उप खण्ड स्तरीय मार्ग	12/18	उपखण्ड स्तरीय यातायात
7.	स्थानीय मार्ग	9/12	स्थानीय यातायात
8.	सायकिल/पादचारी मार्ग	-	

विदिशा : वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई (नगर मार्ग)

5-सा-2


क्रमांक	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1.	2.	3.	4.
1.	महारानी लक्ष्मीबाई मार्ग	9.0	12.0
2.	विश्वकर्मा गली	6.0	9.0
3.	राजेन्द्र नगर मार्ग	6.0	7.5
4.	रसखान मार्ग	6.0	9.0
5.	वैत्रवती मार्ग	7.5	12-18
6.	संत तुलसीदास मार्ग	6.0	9.0
7.	स्वामी महावीर मार्ग	6.0	9.0
8.	हरीपुरा मार्ग	13.5	24.0
9.	कारागार पथ	13.5	18.0
10.	स्वामी दयानंद मार्ग	10.5	18.0
11.	नेताजी सुभाष मार्ग	13.5	18.0
12.	वीर सावरकर मार्ग	18.0	18.0
13.	विजय मंदिर मार्ग	6.0	9.0
14.	बालाजी मंदिर मार्ग	6.0	9.0
15.	चाणक्य मार्ग	5.5	7.5
16.	तिलक मार्ग	6.0	9.0
17.	हरिजनपुरा मार्ग	7.5	9.0
18.	बंदा वैरागी मार्ग	9.0	9.0
19.	वीर हकीकतराय मार्ग	6.0	12.0
20.	गणेश गंज मार्ग	9.0	12.0
21.	गाड़ी अड्डा मार्ग	10.5	18.0
22.	दत्ता मंदिर मार्ग	7.5	9.0
23.	नाना साहेब पेशवा मार्ग	13.5	18.0
24.	महाकवि कालीदास मार्ग	13.5	18.0
25.	रैदास पथ	4.5	9.0
26.	स्वामी श्रद्धानंद मार्ग	7.5	9.0
27.	राजेन्द्र गिरि मार्ग	6.0	12.0
28.	युवराज क्लब मार्ग	18.0	24.0
29.	स्वर्णकार मार्ग	6.0	6.0
30.	कारागार पथ से टीलाखेड़ी मार्ग तिराहा	18.0	18.0

स्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश का सर्वेक्षण




विदिशा

5.1 प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना



राज्य मार्ग	
प्रस्तावित बाय-पास मार्ग	
वृत्तीय मार्ग	
मुख्य मार्ग	
खड़ स्तरीय मार्ग	
उपखड़ स्तरीय मार्ग	
बस स्टेंड	
रेलवे स्टेशन	
पिक-अप स्टेशन	



टीप : 1. वर्तमान मार्गों की उपलब्ध चौड़ाई जिस खंड में प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध होगी उसे कम न करते हुए भूमि का उपयोग वाहन विराम हेतु सुरक्षित रखा जावेगा।

2. प्रस्तावित चौड़ाई का क्रियान्वयन भूमि के उपलब्ध होने अथवा आवासों के पुनर्निर्माण अथवा नवीनीकरण के समय किया जावेगा।

5.4 यातायात अवसान केन्द्र

नगर के मुख्य अवसान केन्द्र बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, कृषि उपज मंडी, अग्रेषण अभिकरण क्षेत्र, गोदामों एवं उद्योगों के निकट के क्षेत्र हैं जहां बस, ट्रक, मिनी बस, ट्रैक्टर-ट्राली एवं अन्य माल वाहक वान अवसान किये जाते हैं।

(अ) बस स्टेण्ड

वर्तमान बस स्टेण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग-86 पर इन्द्रा काम्पलेक्स के निकट लगभग 1.5 हेक्टर भूमि पर संचालित है। साथ ही साथ यह बढ़ते हुए यात्री यातायात की आवश्यकता की पूर्ति के लिये अपर्याप्त है। अतः नवीन बस स्टेण्ड हेतु वर्तमान बाईपास मार्ग (सुमेर मार्ग) पर 5.00 हेक्टर भूमि प्रस्तावित की गई है। नवीन बस स्टेण्ड म.प्र. राज्य परिवहन निगम तथा निजी बसों द्वारा संयुक्त रूप से प्रयुक्त हो सकेगा।

(ब) बस डिपो

म.प्र. राज्य परिवहन निगम के वर्तमान बस डिपो को उसके वर्तमान स्थल, वर्तमान बायपास मार्ग पर कार्यरत रखना प्रस्तावित है।

(स) उप बस स्थानक

राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-86 पर स्थित कान्वेन्ट स्कूल के पास लगभग 1.5 हेक्टर भूमि क्षेत्रीय उपबस स्थानक-सह-पिक अप स्टेशन हेतु उपर्युक्त की गई है। इससे नगर के पूर्वी क्षेत्र की आबादी को सुविधा हो सकेगी।

(द) रेल्वे स्टेशन एवं माल गोदाम

वर्तमान रेल्वे स्टेशन एवं यहां उपलब्ध सेवा सुविधाएं वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त हैं किन्तु भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु रेल्वे स्टेशन के दो-मुखी विकास के साथ-साथ यात्रियों हेतु सेवा-सुविधाओं एवं वाहन-विराम स्थल का विकास प्रस्तावित है। माल गोदाम के साथ-साथ माल उतारने एवं लदान के लिये वर्तमान उपलब्ध क्षेत्र में भी वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इसका क्रियान्वयन रेल्वे प्रशासन द्वारा किया जावेगा।

(इ) ट्रक स्थानक

नगर में निश्चित ट्रक स्थानक अथवा यातायात नगर नहीं है। अतः कृषि उपज मण्डी, औद्योगिक क्षेत्र, यातायात नगर भारतीय खाद्य निगम तथा वेयर हाऊसिंग निगम इत्यादि यातायात उदित केन्द्रों पर ट्रक अवसान

हेतु स्थान प्रावधानित किये गये हैं। भोपाल एवं सागर मार्ग पर क्रमशः निवेश इकाई क्र.-1 एवं 2 में दो यातायात नगर 13 एवं 15 हेक्टर क्षेत्र पर प्रस्तावित है जिसमें समस्त अग्रेषण अभिकरण भी स्थापित हो सकेंगे।

5.5 यातायात प्रणाली में सुधार

5.5.1 मार्ग संगमों का सुधार

कंडिका 3.44 में उल्लेखित आठ मार्ग संगमों का विशेष रूप से सुधार एवं विकास के साथ नगर स्थित अन्य मार्ग संगमों (तिराहे एवं चौराहे) का भी सुगम यातायात प्रवाह के दृष्टिकोण से सुधार एवं विकास किया जाना प्रस्तावित है।

5.5.2 वाहन विराम स्थल

नगर में उपयुक्त एवं पर्याप्त वाहन विराम स्थल का सर्वथा अभाव है। लगभग प्रत्येक जगह बेतरतीब, मार्गाधिकार क्षेत्र में वाहन विराम किये जाते हैं। अतः समस्त कार्य केन्द्रों, अवसान केन्द्रों वाणिज्यिक केन्द्रों, औद्योगिक केन्द्रों आमोद-प्रमोद स्थलों के निकट उपयुक्त एवं पर्याप्त स्थल वाहन विराम हेतु निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान सघन नगरीय क्षेत्रों में समुचित स्थल उपलब्ध न होने की दशा में ऑफ स्ट्रीट पार्किंग हेतु स्थल नियत किया जाना प्रस्तावित है। इनके स्थल का निर्धारण स्थानीय प्रशासन के सहयोग से किया जावेगा। वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान गोदामों की मार्ग के ओर की 30 मीटर भूमि में वाहन विराम हेतु रिक्त रखी जावेगी।

5.5.3 रेल्वे ओवरर ब्रिज एवं समतल पारण

वर्तमान में एक रेल्वे ओवरर ब्रिज, तथा दो रेल्वे समतल पारण नगर में उपलब्ध है, जो रेल्वे लाइन के दोनों ओर स्थित क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं। विकास योजना में प्रस्तावित वृत्तीय मार्ग, प्रस्तावित कृषि उपज मण्डी के निकट रेल्वे लाइन को पारण कर प्रस्तावित मुख्य मार्ग क्र.-6 से मिलाता है। इस प्रकार वृत्तीय मार्ग पर 45 मीटर चौड़ा रेल्वे ओवरर ब्रिज प्रस्तावित है। इससे सुमेर, शमशाबाद, गंज बासौदा, अशोक नगर इत्यादि से आने वाले माल एवं यात्री यातायात प्रवाह में सुगमता हो सकेगी।

उपरोक्त के अलावा सागर पुलिया के निकट एक रेल्वे अण्डर पास की रुपये 28.00 लाख की योजना लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई है। जिसका क्रियान्वयन रेल्वे प्रशासन की सहमति उपरान्त किया जाना है। उक्त योजना को विकास योजना में भी प्रस्तावित किया गया है जो राष्ट्रीय राजमार्ग-86 को 18 मीटर चौड़े खण्ड स्तरीय मार्ग से मुख्य मार्ग क्र.-6 को जोड़ेगा।

इस अण्डर पास का निर्माण इस प्रकार से किया जाना होगा कि वर्षा ऋतु में यहां जल प्रवाह अवरुद्ध न हो अतः तदनुसार उपयुक्त जल निकास की व्यवस्था किया जाना भी प्रस्तावित है। प्रस्तावित मार्ग संरचना के रेखांकन पर स्थित बेतवा नदी श्रंखलाओं पर पुलिया निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है। सोठिया रेल्वे समतल पारण तथा खारी रेल्वे समतल पारण का विकास एवं उन्नयन किया जाना भी प्रस्तावित है।

5.5.4 मार्गों का उन्नयन

नगर के पुराने, सघन एवं संकीर्ण क्षेत्रों में सुगम पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तथा यात्रा, समय, दूरी एवं ईंधन मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे क्षेत्रों के मार्गों का उपलब्धता के आधार पर चौड़ीकरण एवं उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। इनमें निम्न मार्गों अथवा मार्ग खण्डों का उन्नयन विशेष रूप से किया जाना प्रस्तावित है।

1. रैदास पथ
2. चाणक्य मार्ग
3. बालाजी मंदिर मार्ग
4. रसखान मार्ग
5. विश्वकर्मा गली
6. संत तुलसीदास मार्ग
7. स्वामी महावीर मार्ग
8. विजय मंदिर मार्ग
9. बालाजी मंदिर मार्ग
10. तिलक मार्ग
11. हरिजनपुरा मार्ग
12. दत्त मंदिर मार्ग

5.6 नगरीय अधोसंरचना

5.6.1 जल आपूर्ति

विदिशा नगर की वर्तमान जल आपूर्ति व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। अतः वर्ष 2011 में नगर की अनुमानित जनसंख्या 2.00 लाख हेतु 40 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 80 लाख गैलन प्रतिदिन जल की आवश्कता होगी। इस हेतु एक एनीकेट का निर्माण, बैस नदी पर इनटेक वेल, रा वाटर पाईप लाइन फिल्टर प्लांट, 10 लाख गैलन क्षमता के 3 ओवर हेड टैंक तथा 2 पंप सेट के प्रावधान नगरपालिका द्वारा किए जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त हेतु रुपये 4.15 करोड़ की परियोजना तैयार की गई है। इसमें अतिरिक्त आवश्यकता हेतु नेवन नदी से भी जल आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। जो विदिशा नगर से लगभग 10 कि.मी. दूरी से प्रवाहित होती है।

5.6.2 जल-मल-निकास

नगर में वर्तमान में जल-मल निकास की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। विकास योजना में वर्तमान आबादी वाले क्षेत्रों के साथ-साथ भविष्य में विकसित किए जाने वाले क्षेत्रों हेतु समग्र रूप से संगठित जल-मल-निकास व्यवस्था की योजना तैयार कर शीघ्र क्रियान्वयन करना प्रस्तावित है। जल-मल-निकास की प्रक्रिया में नदी एवं नालों का जल प्रदूषित न हो इसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। अतः जल-मल-उपचार संयंत्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तथा उपचारित जल का उपयोग कृषि उपयोग तथा वृक्षारोपण में सिंचाई के उपयोग में लाया जावेगा।

वर्तमान में जलरापुरा चौराहे के निकट उत्तर पश्चिम की ओर स्थित शासकीय बेतवा उद्यान से संस्पर्शी भूमि पर जल-मल शुद्धिकरण संयंत्र कार्यरत है। नगर के जल-मल निस्तार हेतु पांच मुख्य लाइनों के बिछाने का कार्य प्रगति पर है। उपरोक्त व्यवस्था से जल-मल निकासी सुलभ होगी। भावी आवश्यकता हेतु उक्त भूमि से लगी 10.00 हेक्टेयर भूमि इसी उपयोग हेतु अधिग्रहित किए जाने के प्रस्ताव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैं, अतः तदनुसार उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा अंतर्गत विकास योजना में उपदर्शित की गई है। साथ ही निवेश इकाई क्रमांक-2 में विकास योजना प्रस्तावों से हटकर कृषि प्रक्षेत्र में 5.00 हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। जिसका स्थल चयन स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय संस्था के परामर्श से किया जावेगा।

5.6.3 ठोस अवशिष्ट प्रबंधन

वर्तमान में नगर में ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। नगर पालिका द्वारा मुख्यतः गंजबासौदा मार्ग पर एक गड्ढे में ठोस अवशिष्ट संग्रहण एवं निस्सारण किया जाता है, जो पर्यावरण, बेतवा नदी व भूमिगत जल को प्रदूषित करता है तथा वर्तमान एवं भावी आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं करता है। अतः सुमेर मार्ग पर शिव शक्ति पेपर मिल से लगभग 5.00 कि.मी. दूर ट्रेचिंग ग्राउण्ड हेतु नगरपालिका, विदिशा द्वारा स्थल चयन किया गया है, जिसे विकास योजना में भी यथा प्रस्तावित किया जाता है। उक्त के अलावा निवेश इकाई क्रमांक-1 में भी प्रस्तावित विकास क्षेत्र से दूरी पर कृषि प्रक्षेत्र में ट्रेचिंग ग्राउण्ड का स्थल स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय निकाय के परामर्श से सक्षम अधिकारी चयन कर सकते हैं।

ठोस अवशिष्ट के मुख्य स्रोत घरेलू, व्यवसायिक, व्यापारिक, अस्पताल एवं नर्सिंग होम, फल एवं सब्जी बाजार, औद्योगिक क्षेत्र आदि होते हैं। जिसकी मात्रा का आंकलन नगर में निवास करने वाली जनसंख्या, व्यवसायिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक स्थापनाएं आदि के साथ-साथ नगर के आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप के आधार पर निर्धारित करना आवश्यक होगा। औसतन विभिन्न स्रोतों के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निकलने वाली कचरे की मात्रा लगभग 800 ग्राम के आधार पर आंकलन किया जा सकता है।

प्रबंध तंत्र/प्रणाली के अंतर्गत पुनर्चक्रीकरण प्रणाली अपनायी जा सकती है। जो स्थानीय संस्थाओं के प्रबंध में होने वाले व्यय को पूरा कर, आय का स्रोत एवं भविष्य में एक उपलब्धि सिद्ध होगी। इससे छोटे उद्योगों की स्थापनाओं की संभावना सुदृढ़ होगी, साथ ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ठोस अवशिष्ट का उपयोग ऊर्जा एवं जैविक खाद उत्पादों में किया जा सकता है जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे।

5.6.4 विद्युत प्रदाय

वर्तमान में नगर की विद्युत प्रदाय व्यवस्था संतोषजनक कही जा सकती है किन्तु भावी जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विद्युत प्रदाय क्षमता में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल विकास योजना में प्रस्तावित प्रमुख मार्ग संरचना को दृष्टिगत रखते हुए तथा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक आवश्यकता हेतु विस्तृत वितरण संबंधी व्यवस्था करेगा। इस हेतु विद्युत उप केन्द्रों हेतु भी विकास योजना में भूमि आरक्षित की गई है तथा म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल ने पावर हाऊस, अहमदपुर मार्ग तथा रामलीला मैदान के निकट स्थित उप विद्युत केन्द्रों की क्षमता बढ़ाकर 2×5 एम.डब्ली.ए. किए जाने की लगभग रु. 2.00 करोड़ की योजना तैयार की है। अतः इसका शीघ्र क्रियान्वयन किया जाना भी प्रस्तावित है।

5.6.5 शमशान एवं कब्रिस्तान

वर्तमान में उपलब्ध कब्रिस्तान एवं शमशान के अलावा निवेश इकाई-2 में टीलाखेड़ी मार्ग के पूर्व में तथा प्रस्तावित मुख्य मार्ग -8 के निकट दो शमशान छोटी बेतवा (बेतवा नदी की शाखा) के निकट प्रस्तावित है। इस हेतु विकास योजना में लगभग 3.0 हेक्टर भूमि उपदर्शित की गई। उक्त के अलावा जो कब्रिस्तान आबादी क्षेत्र के मध्य अथवा निकट होते जायेंगे, उन्हें रहवासियों की मांग होने पर इस उपयोग हेतु बंद किया जा सकेगा तथा नवीन स्थल का निर्धारण जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय के परामर्श से विकास हेतु प्रस्तावित क्षेत्र से दूरी पर कृषि क्षेत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

5.6.6 धोबी घाट

नगर में धोबी घाट हेतु कोई स्थान नियत नहीं है। धोबी कार्य, बेतवा नदी एवं इसकी शाखाओं के तट पर किया जाता है जिससे इसके जल प्रदूषित होता है। अतः लोक स्वास्थ्य एवं अन्य पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उचित स्थानों पर धोबी घाट विकसित किया जाना तथा अन्य स्थलों पर यह कार्य प्रतिबंधित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु स्थल का चयन स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय संस्था के परामर्श किया जावेगा। अपितु बेतवा नदी की मुख्य जल धारा में यह गतिविधि प्रतिबंधित किया जाना प्रस्तावित है।

5.6.7 अग्निशमन सेवा

नगर पालिका परिषद के वर्तमान अग्निशमन केन्द्र को अधिक सशक्त, आधुनिक एवं क्रियाशील बनाना प्रस्तावित है। उक्त के अलावा एक नवीन आधुनिक अग्निशमन हेतु अहमदपुर मार्ग पर वर्तमान विद्युत उपकेन्द्र के निकट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। विकास योजना में इस हेतु लगभग 1.00 हेक्टर भूमि उपदर्शित की गई है। यह केन्द्र सागर मार्ग पर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति भी करेगा।

5.6.8 बेतवा नदी के घाट

शमशाबाद मार्ग के निकट बेतवा नदी तट पर स्थित स्नान घाटों की स्थिति दयनीय है। अतः इनका सुधार, संरक्षण एवं पुनर्उत्थान किया जाना प्रस्तावित है। इन स्नान घाटों के साथ-साथ नदी की मुख्य धारा में धोबी कार्य प्रतिबंधित किया जाता है।

5.6.9 तरल पेट्रोलियम गैस

वर्तमान एवं प्रस्तावित आबादी क्षेत्र में स्थित तरल पेट्रोलियम गोदामों को कृषि क्षेत्र में स्थानांतरित करना प्रस्तावित है। वर्ष 2011 तक की गैस कनेक्शनों की आवश्यकता के मान से निर्धारित नियमनों के अनुरूप एल.पी.जी. सुविधाओं का निर्धारण आवश्यक होगा। कृषि उपयोग में एल.पी.जी. गोदाम स्थापना नियमानुसार स्वीकार्य होगी।

5.7 अन्य सेवाएं

डाक-तार घर, दूरभाष केन्द्र, आरक्षी/उपआरक्षी केन्द्र, विद्युत उपकेन्द्र, जल वितरण केन्द्र इत्यादि की क्षमता एवं संख्या में भावी जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वृद्धि करनी होगी। इस हेतु विकास योजना में उपयुक्त भूमि प्रस्तावित की गई है।

अध्याय-6

विकास नियमन

6.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमों को उद्देश्य विदिशा नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे-

1. निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास।
2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उपविभाजन शामिल है तथा भूमि के व्यवसायिक उपयोग के परिपेक्ष्य में भूमि उपयोग।
3. समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास।
4. किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊंचाई सम्मिलित हो।
5. ऐसे क्षेत्र में जो नगर पालिका सीमा से बाहर है, किन्तु निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर है, भूमि का विकास, भवनों का निर्माण/परिवर्तन एवं तोड़ना।

6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23, सन् 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत गठित विदिशा निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं वे म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।
2. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाएगा। यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों को क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में संशोधित करना पड़े, ऐसे संशोधनों के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा, जो कि योजना प्रस्तावों का एक भाग माना जाएगा।
3. विकास योजना मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं तथा उक्त प्रस्ताव मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किए गए हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित है। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाये गए हैं।

4. झुगियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं। यदि झुगी-झोपड़ी को किसी स्थान पर व्यवस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है तो उस दशा में सिर्फ तालाबों/जल स्रोतों का जलग्रहण क्षेत्र आमोद-प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुगी-झोपड़ी का व्यवस्थापन ग्राह्य होगा।
5. विकास योजना मानचित्र जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई-चौड़ाई नापी जाये, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये। लंबाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने की कार्यवाही सर्व मानचित्र जो 1:4000 की माप पर हो, उसके आधार पर किया जाये।
6. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विकास नियमन/परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जाएगी।
7. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमाएं स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जाएगा।
8. जिन अभिन्यासों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई है, अर्थात् मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत अथवा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 172 के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृति दी गई है एवं उसकी समयावधि विकास योजना प्रारूप प्रकाशन की तिथि पर वैध है, उस दशा में यह माना जाएगा कि वह अभिन्यास विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुरूप है।
9. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य एवं नगर स्तर की गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है।
10. निवेश क्षेत्र स्थित कृषि प्रधान ग्रामों में स्थित शासकीय भूमि विकास योजना 2011 के प्रस्तावों के परिपेक्ष्य में म.प्र. भू-राजस्व संहित 1959 की धारा 237 के अनुसार नियंत्रित होगी।
11. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता, अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप तथा उपयुक्त अधोसंरचना नियोजित एवं रूपांकन के द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकृत होंगे।

6.3 परिभाषाएं

उपयोग-परिक्षेत्र

मुख्य भू-उपयोग में संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र।

उपयोग-परिसर

उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन

अभिन्यास	का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो।
भूमि-उपयोग मानचित्र	अभिन्यास में तात्पर्य उपविभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हैं।
परिक्षेत्रिक योजना	सभी उपयोग उपक्षेत्रों को दर्शने वाला मानचित्र भूमि उपयोग मानचित्र कहलाएगा।
नगरीय ग्राम	निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधित हो।
नगरीय विरासत	भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण आबादी नगरीय ग्राम कहलाएंगे।
एकल/संयुक्त परिवार	नगरीय विरासत से तात्पर्य ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो।
हेतु भू-खण्डीय विकास	अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखंडीय विकास से तात्पर्य एक भूमि के टुकड़े (अभिन्यास) का भूखंडों में उपविभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो। ऐसे परिसर में गैरेज/गैरेजों हेतु अतिरिक्त संलग्न ब्लाक का प्रावधान हो।
6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र	अन्य परिभाषाएं म.प्र. भूमि विकास नियम- 1984 में वर्णित अनुरूप है।

विदिशा निवेश क्षेत्र को 8 उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किए गए हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है का प्रतिबंध विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना के भू-उपयोग/प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा।

निर्धारित मुख्य आठ भू-उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिता, आमोद-प्रमोद, यातायात एवं परिवहन एवं कृषि।

क्रमांक	उपयोग श्रेणियां	उपयोग परिक्षेत्र
1	2	3
1	आवासीय	ग्राम आबादी को सम्मिलित करते हुए आवासीय परिक्षेत्र
2	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक परिक्षेत्र
3	औद्योगिक	औद्योगिक परिक्षेत्र
4	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र
5	सार्वजनिक उपयोगिता	सार्वजनिक उपयोगिता परिक्षेत्र
6	आमोद-प्रमोद	आमोद-प्रमोद परिक्षेत्र
7	यातायात एवं परिवहन	यातायात एवं परिवहन परिक्षेत्र
8	कृषि	कृषि परिक्षेत्र

6.5 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

- इस नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने के मार्गदर्शन देना है। इन नियमनों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनाएं, जल प्रदाय, जल-मल निकास आदि नगर पालिका, उपनियमनों के अनुरूप होंगे।
- सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1:1.5 से 1:3 होना चाहिए।
- भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार फर्शी क्षेत्रानुपात, भूतल आच्छादन, भवन की ऊंचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाइयों के मानकों की आवश्यकता होती है। सारणी 6-सा-2 में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमांत खुला क्षेत्र वर्णित है। सारणी में दर्शाये भू-खण्ड आकार स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है तथा भवन अनुज्ञा हेतु यह पूर्ण विकसित होना चाहिए।
- एक भूखण्ड में चार इकाईयों से अधिक को समाहित करने हेतु प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में तैयार किए गए अभिन्यास की स्वीकृति तभी दी जाएगी, जब आवश्यक प्रावधान जैसे जलप्रपाय, जल-मल निकास तथा वाहन विराम सुविधा का प्रावधान किया हो तथा भवन-निर्माण की अनुमति देने के पूर्व उक्त सेवाएं एवं सुविधाएं प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। ऐसे भूखण्डों का आकार 288 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा तथा म.प्र. भूमि विकास नियम-1984 के नियम 82 के अनुरूप परिवारों को समाहित करने हेतु विशिष्ट रूप से रूपांकित किए जाएंगे।
- म.प्र. नगर पालिका कालोनाइजर रजिस्ट्रेशन निर्वधन एवं शर्तें अधिनियम 1998 के प्रावधानों के अनुरूप कमजोर आय वर्ग हेतु भूमि/भवन आरक्षित की जाएगी।
- मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-1984 के परिशिष्ट एम (नियम 94) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिए।

6.5.1 आवासीय भूखण्ड विकास :

भवन निर्माता को अभिन्यास तैयार करने एवं भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्र, अनुपात, भूतल अच्छादन से संबंधित मानकों की आवश्यकता होती है। उक्त के मापदण्ड निम्न सारणी में दिए गए हैं।

विदिशा : आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

6-सा-2

क्र.	भूखण्ड का आकार (मीटर में)	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	विकास का प्रकार	भूतल पर निर्मित क्षेत्र (प्रतिशत)	सीमांत खुला क्षेत्र (मीटर में)	फर्शी अग्र पृष्ठ आजू बाजू अनुपात			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	4.0x8.0	32	पंक्ति	60	3.0	0.0	0.0	0.0	1.50
2.	4.0x12.0	48	पंक्ति	60	3.0	1.5	0.0	0.0	1.50
3.	5.0x15.0	75	पंक्ति	60	3.0	1.5	0.0	0.0	1.50
4.	7.0x15.0	105	पंक्ति	50	3.0	1.5	0.0	0.0	1.50
5.	9.0x15.0	135	अर्द्धपृथकृत	50	3.0	1.5	2.5	0.0	1.50
6.	11.10x18.0	200	अर्द्धपृथकृत	50	3.0	2.5	2.5	0.0	1.50
7.	12.0x18.0	216	अर्द्धपृथकृत	50	3.5	2.5	3.0	0.0	1.25
8.	12.0x24.0	288	पृथकृत	40	4.5	2.5	3.0	1.5	1.25
9.	15.0x24.0	360	पृथकृत	35	6.0	2.5	3.0	3.0	1.25
10.	15.0x27.0	405	पृथकृत	33	7.5	3.0	3.5	3.0	1.00
11.	18.0x30.0	540	पृथकृत	33	8.0	3.0	4.0	3.0	1.00
12.	20.0x30.0	600	पृथकृत	33	9.0	3.0	4.5	3.0	1.00
13.	25.0x30.0	750	पृथकृत	30	12.0	4.5	4.5	4.5	1.00

- टीप :**
1. उपरोक्त सारणी एकल परिवार संयुक्त परिवार हेतु भूखण्डीय विकास हेतु प्रस्तावित है।
 2. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 13 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु-इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है। ऐसे भूखण्डों पर स्वीकार्य आवासीय इकाईयों की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 82 द्वारा अधिशासित होंगे।
 3. ऐसे भूखण्ड जिसका क्षेत्र नियमित अथवा अनियमित जो सारणी से दर्शाई श्रेणियों के मध्य के आकार के हों, को इसके पूर्व की श्रेणी में सीमांत खुला क्षेत्र, आच्छादित क्षेत्र, फर्शी क्षेत्रानुपात के साथ नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए।
 4. समूह आवास में स्वीकार्य भूतल आच्छादन क्षेत्र में यदि आच्छादित वाहन विराम व्यवस्था की गई हो तो उसकी गणना फर्शी क्षेत्रानुपात में न की जाये।

5. भवन की अधिकतम ऊँचाई म.प्र. भूमि विकास नियम-1984 के प्रावधानों के अनुरूप होगी।
6. एकल/संयुक्त परिवार के भूखण्ड पर 4 आवासीय इकाईयों से अधिक स्वीकार्य नहीं होगी।
7. घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में 5 व्यक्ति तथा घरेलू नौकर आवास में 2.4 का रहवास माना जाएगा।
8. 288 वर्गमीटर से अधिक के भूखंडों में स्वीकार्य निर्मित फर्शी क्षेत्र के प्रति 240 वर्गमीटर पर एक कार पार्किंग स्थल प्रावधानित होना चाहिए।
9. झुग्गियों के पुनर्स्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे।

अल्पघनत्वीय आवासीय विकास (10 इकाई/हेक्टर)

अल्पघनत्वीय आवासीय विकास हेतु प्रस्तावित लगभग 12 हेक्टर भूमि के विकास मानक निम्नानुसार है-

- (अ) अधिकतम स्वीकार्य सकल घनत्व 50 व्यक्ति प्रति हेक्टर रहेगा।
- (ब) भूखण्ड का आकार 1000 वर्गमीटर या अधिक होना चाहिए।
- (स) अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात 0.06 होगा।
- (द) भू-आच्छादन अधिकतम 6.00 प्रतिशत होगा।
- (इ) भवन की अधिकतम ऊँचाई 6 मीटर तक अनुज्ञेय होगी।
- (फ) उक्त क्षेत्र में विकास केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञेय होगा।

6.5.2 बहुविध बहु मंजिली इकाई निर्माण

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-6 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।

अन्य नियंत्रण

(क) भवन की ऊँचाई 12 मीटर से अधिक एवं 18 मीटर तक

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| भूखण्ड का आकार | - 1000 वर्गमीटर (न्यूनतम) |
| भूखण्ड के मुख भाग की लम्बाई | - 18 मीटर (न्यूनतम) |
| भूखण्ड/भवन के मुख की ओर मार्ग चौड़ाई | - 12 मीटर (न्यूनतम) |

(ख) भवन की ऊँचाई 18 मीटर से अधिक एवं 24 मीटर तक

भूखण्ड का आकार

भूखण्ड के मुख भाग की लम्बाई

भूखण्ड/भवन के मुख की ओर मार्ग चौड़ाई

(ग) भवन की ऊँचाई 24 मीटर से अधिक

भूखण्ड का आकार

भूखण्ड के मुख भाग की लम्बाई

भूखण्ड/भवन के मुख की ओर मार्ग चौड़ाई

- 1500 वर्गमीटर (न्यूनतम)

- 24 मीटर (न्यूनतम)

- 18 मीटर (न्यूनतम)

- 2000 वर्गमीटर (न्यूनतम)

- 30 मीटर (न्यूनतम)

- 30 मीटर (न्यूनतम)

6.6 फार्म हाउस

विकास योजना में प्रस्तावित विकसित क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र सीमा के मध्य कृषि क्षेत्र के कृषक के निजी रहवास हेतु निर्मित क्षेत्र एवं फार्म संबंधी अन्य गतिविधियां आच्छादित क्षेत्र आदि फार्म हाउस के अंतर्गत निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है। इसके मापदण्ड निम्नानुसार होंगे-

1. भूखण्ड का न्यूनतम आकार 4045 वर्गमीटर होगा।
2. अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात 0.10 अनुज्ञेय होगा।
3. ढलुआ छत सहित संरचना (निर्माण) की अधिकतम ऊँचाई 6.5 मीटर होगी।
4. फार्म हाउस के भूखण्ड में न्यूनतम 200 जीवित वृक्ष प्रति 4045 वर्गमीटर में प्राधिकारी को भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक द्वारा वृक्षारोपण करना होगा। जिनका विकास एवं संरक्षण का दायित्व आवेदक का होगा।
5. फार्म हाउस केवल उसी भूमि पर अनुज्ञेय होगा, जिसके लिए सार्वजनिक मार्ग (सड़क) द्वारा पहुँच उपलब्ध हो अथवा क्षेत्र का अभिन्यास संचालक द्वारा अनुमोदित हो।
6. फार्म हाउस में सभी ओर से न्यूनतम 10 मीटर सीमांत खुला क्षेत्र होगा।
7. फार्म हाउस से जल स्रोत प्रभावित अथवा प्रदूषित नहीं होना चाहिए।
8. फार्म हाउस में भवन/आच्छादित क्षेत्र/मार्ग आदि की संख्या तथा आवश्यकतानुसार समन्वित योजना नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा तैयार/अनुमोदित की जावेगी।
9. किसी भी कृषि भूमि का भू-स्वामी उक्त मापदण्डों के अनुसूप फार्म हाउस के रूप में विकसित करने के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश से अनुज्ञा प्राप्त करेगा।
10. कृषि भूमि उपयोग में फार्म हाउस निर्माण हेतु 0.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कम की भूमि उप-विभाजन हेतु स्वीकार्य नहीं होगी।

6.7 वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका

निवेश इकाई केन्द्र में निम्न घटक होंगे-

- | | |
|------------------|--|
| फुटकर दुकानें | - वाणिज्यिक कार्यालय |
| सेवा केन्द्र | - सुविधाएं |
| संस्कृति परिसर | - होटल |
| भू-दृश्यीकरण घटक | - थोक व्यापार (जहां उपलब्ध कराया गया हो) |

कुछ परिस्थिति में उपरोक्त सभी घटकों के लिए एकीकृत योजना बनाना संभव हो सकता है। अन्य परिस्थितियों में भूमि विकास एवं उसके विकाने, कार्यविधि अथवा कतिपय रूपांकन संबंधी आवश्यकताओं के कारण इस समाधान की संभावना नहीं हो सकती है। सुविधाओं, होटलों तथा थोक व्यापार के घटकों के विकास को अलग से अंकित किए जाने की आवश्यकता हो सकती है। संभवतः अन्य समूह यथा खेरची, कार्यालय, संस्कृति परिसर तथा आवासीय उपयोग को भू-दृश्य एवं परिभ्रमण के माध्यम से उसी भवन स्थल या क्षेत्र में ज्यादा सरलता से एकीकृत किया जा सकता है। सभी घटकों को या कुल घटकों को शामिल करते हुए एकीकृत योजना तैयार करने का कार्य रूपांकनकार के ऊपर छोड़ देना उचित होगा। नगर/निवेश इकाई केन्द्र के भाग के रूप में भू-दृश्यीकरण क्षेत्रों को नगर स्तरीय आमोद-प्रमोद क्षेत्रों से जोड़कर सुखद पर्यावरण उत्पन्न करना चाहिए।

नगर निवेश इकाई केन्द्र के चारों ओर आवासीय क्षेत्रों का पादचारी, पहुँच या उपमार्गों द्वारा निर्धारित होना चाहिए।

विदिशा : वाणिज्यिक विकास हेतु मापदंड

6-सा-3

क्र. वर्ग	स्थिति	भूखंड निर्मित क्षेत्र (भूखंडीय विकास)	निर्मित क्षेत्र (निगमित विकास)	फर्शी क्षेत्र अनुपात
1. नगर केन्द्र	नवीन केन्द्र	80 प्रतिशत	25 प्रतिशत	1.25
2. निवेश इकाई केन्द्र	सभी निवेश इकाई केन्द्र के वाणिज्यिक क्षेत्र	80 प्रतिशत	25 प्रतिशत	1.00
3. वृत्त खंड स्तर केन्द्र/सामुदायिक	परिक्षेत्रिक योजना	80 प्रतिशत	30 प्रतिशत	1.00
4. स्थानीय केन्द्र	-तदैव-	80 प्रतिशत	40 प्रतिशत	0.60
5. सुविधाजनक दुकानें	अभिन्यास प्रस्ताव के अनुसार	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत	0.60
6. गोदाम एवं भंडार	-	70 प्रतिशत	40 प्रतिशत	1.00
7. थोक बाजार	-	70 प्रतिशत	25 प्रतिशत	1.00

* परिसरों का प्रतिशत भूमि उप विभाजन से असंबद्ध होगा।

** संगठित बाजार केन्द्रों की अनुज्ञा केवल उपदर्शित, वाणिज्यिक क्षेत्रों में ही दी जाएगी।

- टीप :-**
- (1) नियोजन एवं विकास के लिए सारणी 6-सा-3 के प्रावधान लागू होंगे तथा अभिन्यास अनुमोदन आदि के लिए सारणी 6-सा-4 के प्रावधान लागू होंगे।
 - (2) उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में तलघर, म.प्र. भूमि विकास नियम-1984 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञय होगा।
 - (3) किसी भूखंड के स्वामी द्वारा अपने भूखंडों में मार्ग, फुटपाथ, वाहन विराम इत्यादि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भूखंड पर निर्माण किए जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि पर निर्धारित फर्शी क्षेत्रानुपात का दुगुना, फर्शी क्षेत्र अनुपात स्वीकार्य होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।
 - (4) समाट अशोक तकनीकी संस्थान की पूर्वी सीमा से संलग्न भूमि पर प्रस्तावित वाणिज्यिक पट्टी पर विकास के निम्न मापदण्ड लागू होंगे।

सीमान्त खुला क्षेत्र

अग्र	- 9.00 मीटर न्यूनतम (6.00 मीटर वाहन विराम क्षेत्र तथा 3.00 मीटर कारीडोर)
पृष्ठ	- 3.00 मीटर (न्यूनतम)
ऊँचाई	- 6.50 मीटर (अधिकतम)

विदिशा : वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

6-सा-4

क्र.	वर्ग	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3
1.	भूखंडों का क्षेत्र	अधिकतम 50 प्रतिशत
2.	परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र	अधिकतम 40 प्रतिशत
3.	खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र	न्यूनतम 10 प्रतिशत (8%+2%)
4.	मार्गों की चौड़ाई	
	- बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर	
	- दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े होने एवं मुड़ने के लिये न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर	
	- दुकानों के सामने पादचारी की न्यूनतम चौड़ाई 3 मीटर	
5.	दुकानों के आकार	
	- दुकानों के आकार माँग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर	
	- नीलामी चबूतरा 10x30 मीटर (उपयुक्त)	
	- खंड लंबाई 100 से 200 मीटर के मध्य	
6.	विराम स्थल	1.50 कार स्पेस प्रति 100 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र के

6.7.1 ईंधन विराम एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र

पेट्रोल सेवा केन्द्रों के लिये निम्न नियमन अनुशासित है :

1. मार्ग संगम से न्यूनतम दूरी
 - (अ) 30 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्ग 150 मीटर
 - (ब) 30 मीटर अथवा इससे अधिक मार्गाधिकार (चौड़ाई) 250 मीटर
2. मार्गों के मध्य से पेट्रोल पंप पेडस्ट्रल की दूरी भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुसार होना आवश्यक है।
3. न्यूनतम भूखंड आकार
 - (अ) केवल ईंधन भराव केन्द्र - 30x17 मीटर
 - (ब) ईंधन भराव सह सेवा केन्द्र - न्यूनतम 36x30 मीटर एवं अधिकतम 45x33 मीटर
 - (स) भूखंड का अग्रभाग 30 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
 - (द) भूखंड का लंबा एवं मार्ग से लगा भाग अग्र भाग होगा।
4. 24 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्गों पर नये पेट्रोल पंप निषिद्ध होंगे। अन्य प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम-1984 के अनुसार होंगे।

6.7.2 छविगृहों के लिये मापदंड

मार्ग चौड़ाई	छविगृह का भूखंड जिस मार्ग पर स्थित होगा, उसकी चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी।
वाहन विराम स्थल (पार्किंग)	सीमांत खुला क्षेत्र के अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र का 1.67 ई.सी.एस. प्रति 100 वर्गमीटर अथवा एक ई.सी.एस. प्रति 150 कुसियों के लिये, इनमें जो भी कम हो।
आवश्यक क्षेत्र	2.3 वर्गमीटर प्रति कुर्सी की दर से आवश्यक क्षेत्र की गणना की आवे।
भूखंड का निर्मित क्षेत्र	बैठक क्षमता 800 सीट तक के लिए अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत, स्वीकार्य होगा, एवं उससे अधिक क्षमता के छविगृहों के लिए अधिकतम 33 प्रतिशत।
सीमान्त खुला क्षेत्र	न्यूनतम 15 मीटर
आजू/बाजू	न्यूनतम 4.5 मीटर/4.5 मीटर
पीछे	न्यूनतम 4.5 मीटर

6.7.3 उपाहार गृह (होटल) हेतु मापदंड (नगर केन्द्र एवं वर्तमान वाणिज्यिक मार्गों को छोड़कर)

1. भूतल पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 33 प्रतिशत
2. अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.00
3. अधिकतम ऊँचाई 12 मीटर

- फर्शी क्षेत्र अनुपात 5 प्रतिशत होटल गतिविधि से संबंधित वाणिज्यिक उपयोग में लाया जा सकेगा।
- अधिकतम तलघर का क्षेत्रफल भूतल पर निर्मित क्षेत्र के बराबर हो सकेगा।
- यह परिसर किसी भी अन्य भू-उपयोग में लिए जाने की दशा में नियम केवल उपाहार गृह हेतु हीलागू होंगे।
- वाहन विराम स्थल 6-सा-14 अनुसार होंगे।

6.7.4 अल्पाहार गृह (रेस्टोरेंट) हेतु मापदंड (नगर केन्द्र एवं वर्तमान वाणिज्यिक मार्गों को छोड़कर)

1.	भूतल पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	33 प्रतिशत
2.	अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात	0.75
3.	अधिकतम ऊँचाई	12 मीटर

यह फर्शी क्षेत्र अनुपात, भूखंड का उपयोग केवल अल्पाहार गृह हेतु होने पर ही लागू होगा। वाहन विराम स्थल 6-सा-14 अनुसार होंगे।

6.7.5 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए निम्न सारणी में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

विदिशा : अनौपचारिक वर्ग के लिए योजना प्रावधान

6-सा-5

क्र. विवरण	मानक
1. फुटपाथ व्यापार	
- वृत्त खंड केन्द्र	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
- उपवृत्त खंड केन्द्र	
- सुलभ शॉपिंग	
2. शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय	5 से 6 इकाई प्रति एक हजार कर्मकार
3. थोक व्यापार एवं मालभाड़ा काम्पलेक्स	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
4. चिकित्सालय	3 से 4 इकाई प्रति 100 विस्तर
5. विद्यालय	
- प्राथमिक	3 से 4 इकाई
- माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक	5 से 6 इकाई
6. उद्यान	
- नगर उद्यान	8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार
- पासवर्ती उद्यान	2 से 3 इकाई

7. आवासीय	1 इकाई प्रति 1000 जनसंख्या
8. औद्योगिक	5 से 6 इकाई प्रति 1000 कर्मकार
9. रेल्वे स्टेशन/बस स्थानक	परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा।

टीप : प्रत्येक इकाई से वर्गमीटर के आकार की नियत होगी।

6.8 यातायात नगर के मानक

यातायात नगर/मैकेनिक नगर के अभिन्यास हेतु निम्नलिखित मानक होंगे :-

विदिशा : यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक

6-सा-6

क्र. कार्य का प्रकार	इकाईयां प्रति 100 ट्रक	अनुशंसित क्षेत्रफल की सीमा प्रति इकाई वर्गमीटर
1. माल बुकिंग कार्यालय एवं गोदाम	30-40	29-450
2. कलपुर्जों की दुकानें	10-15	9-72
3. यांत्रिक एवं विद्युत वर्कशॉप	15-25	7.5-13.5
4. टायर-ट्यूब बिक्री दुकानें	12-20	7.5-90
5. ढाबा	5-7	30-90
6. चाय-नाश्ता दुकान	8-19	9-14
7. पान-सिगरेट दुकान	10-14	2-5
8. नाई सिलाई दुकान	1	10-15

टीप : सकल क्षेत्र 1.1 से 1.5 हेक्टेयर के लगभग प्रति 100 ट्रक की आवश्यकता होती है।

सुविधाएं

निम्न मानकों के अनुरूप हों -

विदिशा : यातायात नगर में सुविधाओं के मापदंड

6-सा-7

क्र. सुविधा	क्षेत्रफल प्रति इकाई वर्गमीटर	टिप्पणी
1. बैंक	100	200 ट्रक पर कम से कम एक
2. डाक घर	100	प्रत्येक अवसान बिंदु पर एक
3. पेट्रोल पंप	800	निर्गम/आगमन बिंदु पर
4. होटल, लाज (भोजनालय)	600	ऊपरी मंजिल पर
5. चौकी	200	सामरिक स्थानों पर
6. उपचार गृह	200	-

7. अग्निशमन केन्द्र	200	-
8. धर्मकांटा	300	निर्गम/आगमन बिन्दु पर

टीप : 1. सकल क्षेत्र 0.25 हेक्टेयर प्रति 100 ट्रक (व्यस्ततम समय) अथवा अभिन्यास का लगभग 67 प्रतिशत क्षेत्र।

2. परिभ्रमण तंत्र

अभिन्यास में प्रमुख मार्ग

- 18 मीटर चौड़े

द्वितीयक मार्ग

- 9-12 मीटर चौड़े

खुले क्षेत्रों की ओर के मार्ग

- 12-18 मीटर चौड़े

3. पार्किंग एवं खुले स्थान

36 वर्गमीटर प्रति ट्रक जो मार्ग के समानान्तर पार्किंग वे या खुले यार्ड के रूप में।

6.9 औद्योगिक विकास मानक

अभिन्यास के मानक

औद्योगिक क्षेत्रों के अभिन्यास के मानक निम्नानुसार हैं :-

1. भूखंड का क्षेत्र - अधिकतम 60 प्रतिशत
2. मार्गों, वाहन विराम स्थल एवं खुले क्षेत्र - अधिकतम 30 प्रतिशत
3. दुकानें एवं अन्य सेवा-सुविधाएं - न्यूनतम 10 प्रतिशत

विदिशा : औद्योगिक क्षेत्रों हेतु विकास मापदंड

6-सा-8

क्र.	भूखंड का आकार	अधिकतम निर्मित (क्षेत्र प्रतिशत)	न्यूनतम सीमांत खुला क्षेत्र (मीटर में)			अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात
			सामने	आजू/बाजू	पीछे	
1	2	3	4	5	6	7
1.	0.05 हेक्टेयर	60	3	3/2.5	2.5	1.00
2.	0.05 से अधिक 0.1 हेक्टेयर तक	55	5	4/2.5	2.5	0.80
3.	0.1 से अधिक 0.2 हेक्टेयर तक	50	9	3/4.5	3.0	0.75
4.	0.2 से अधिक 1.0 हेक्टेयर तक	45	10	4.5/6	3.0	0.75
5.	1.0 से अधिक 2.0 हेक्टेयर तक	45	12	6/6	4.5	0.75
6.	2.0 हेक्टेयर से अधिक	33	15	6/6	4.5	0.75

6.9.1 फ्लेटेड फैक्ट्रियाँ

न्यूनतम भूखंड आकार	1000 वर्गमीटर
निर्मित क्षेत्र	50 प्रतिशत अधिकतम
फर्शी क्षेत्र	1.50 अधिकतम
सीमान्त खुला क्षेत्र	स्थल स्थिति/वाहन विराम सुविधा सहित अभिन्यास के मानक अनुसार

6.10 सामाजिक अधोसंरचना हेतु मानक

सामाजिक अधोसंरचना के मानक निम्नानुसार हैं-

विदिशा : सेवा-सुविधाओं हेतु मापदण्ड

6-सा-9

क्र.	प्रकार	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्र अनुपात
1.	शैक्षणिक		
	अ. पूर्व माध्यमिक शाल	40 प्रतिशत	1.00
	ब. प्राथमिक शाला	33 प्रतिशत	1.00
	स. उच्चतर माध्यमिक शाल	30 प्रतिशत	1.00
	द. महाविद्यालय	25 प्रतिशत	1.00
	ई. शैक्षणिक एवं अनुसंधान केन्द्र	20 प्रतिशत	0.80
2.	स्वास्थ्य		
	अ. स्वास्थ्य केन्द्र/नर्सिंग होम	33 प्रतिशत	1.00
	ब. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	33 प्रतिशत	1.00
	स. अस्पताल	33 प्रतिशत	1.00
3.	सेवा एवं सुविधाएं		
	अ. आरक्षी चौकी	35 प्रतिशत	0.70
	ब. आरक्षी केन्द्र आवास सुविधा सहित	25 प्रतिशत	1.00
	स. सामुदायिक भवन	30 प्रतिशत	1.00
	द. उप अग्निशमन केन्द्र	25 प्रतिशत	0.75
	ई. अग्निशमन केन्द्र	25 प्रतिशत	0.75
	फ. डाक एवं तार	30 प्रतिशत	1.00
	ग. विद्युत भवन	30 प्रतिशत	1.00
4.	धार्मिक भवन	30 प्रतिशत	1.00
5.	शासकीय/अर्द्धशासकीय भवन	25 प्रतिशत	1.50
6.	आध्यात्मिक/योगा केन्द्र	25 प्रतिशत	0.75

टीप : उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं, उनका अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.00 से अधिक नहीं होगा।

विदिशा : सामुदायिक सेवा सुविधाओं के मापदण्ड

6-सा-10

सेवा/सुविधाएं	जनसंख्या	प्रति सुविधा के लिए अनुशंसित क्षेत्र (हैक्टेयर)
1	2	3
शैक्षणिक		
नर्सरी, पूर्व प्राथमिक, क्रेच	2500-3000	0.08-0.1
प्राथमिक शाला	3000-4000	0.40-0.60
उच्चतर माध्यमिक शाला	7500-10000	1.60-2.0
महाविद्यालय	0.80 लाख	4.0
विविध शिल्प कला मंदिर	1-2 लाख	0.2-0.5
विशेषीकृत महाविद्यालय	2.00 लाख	5.0-10.0
स्वास्थ्य		
स्वास्थ्य केन्द्र	15000	0.08 से 0.2
नर्सिंग होम	45000	0.2 से 0.5
इंटरमीडिएट चिकित्सालय	1 लाख	1.0 से 3.0
सामान्य चिकित्सालय	1 लाख	1.0 3.0
सामाजिक एवं सांस्कृतिक		
कला वीथिका एवं संग्रहालय	नगर	0.5 से 1.0
आडीटोरियम (नाट्यगृह)	1 से 2 लाख	0.5 से 1.0
केन्द्रीय पुस्तकालय	नगर	0.5 से 1.0
कल्ब	1 से 2 लाख	0.5 से 1.0
सामुदायिक भवन एवं पुस्तकालय	15000	0.2 से 0.4
धार्मिक भवन/आध्यात्मिक केन्द्र	5000	0.04 से 0.05
सुरक्षा		
आरक्षी चौकी	40000 से 50000	0.16
आरक्षी केन्द्र	0.75 से 0.90	1.15 से 1.50
जिला पुलिस कार्यालय	नगर	2.0 से 5.0
जिला जेल	नगर	8.0-10.0
अग्निशमन केन्द्र	नगर	0.5-2.00
अन्य		
दुग्ध वितरण केन्द्र	5000	0.002
दूरभाष केन्द्र	1 से 2 लाख	0.8 से 1.0
तार कार्यालय	नगर	0.2 से 0.5
मुख्य डाक घर	नगर	0.06 से 0.1
तरल पेट्रोलियम गैस गोदाम	40000 से 50000	0.5 से 0.6
टैक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थल	1500	0.05
कब्रिस्तान/शमशान घाट	1 लाख	2.0
विद्युत उपकेन्द्र (66 कि.वा.)	1 लाख	1.0
विद्युत उपकेन्द्र (11 कि.वा.)	7500 से 10000	0.05

टीप : निम्न मूल्यों स्थलों के लिए उच्च तथा उच्च मूल्यों के लिए निम्न मूल्य प्रभावशील होंगे।

1. शैक्षणिक एवं अनुसंधान केन्द्र (आठ हेक्टर से अधिक क्षेत्र के बड़े परिसर)

इनके अंतर्गत चिकित्सा, यांत्रिकी महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्था के बड़े परिसर शामिल किये गये हैं। परिसर को तीन भागों में विभक्त किया गया है तथा नियमन निम्नानुसार होंगे :

(अ) शैक्षणिक एवं प्रशासन सहित	(कुल भूमि का 45 प्रतिशत मार्गों सहित)
अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	अकादमी एवं प्रशासकीय क्षेत्र का 20 प्रतिशत
अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात	0.80

अधिकतम भूतल पर निर्मित क्षेत्र के बराबर एवं ठीक नीचे तलघर स्वीकार्य होगा। यदि तलघर का उपयोग वाहन विराम एवं सेवाओं के अंतर्गत किया जायेगा तो इसकी गणना फर्शी क्षेत्रानुपात के साथ नहीं की जावेगी।

(ब) आवासीय	(कुल भूमि का 25 प्रतिशत मार्गों सहित)
------------	---------------------------------------

यह क्षेत्रफल 400 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर की कुल संघनता के साथ विकसित किया जायेगा। आवासीय से संबद्ध सुविधाओं हेतु 9.2 वर्गमीटर प्रति व्यक्ति की दर से भूमि आरक्षित की जायेगी। समूह आवास हेतु उप विभाजन नियमन लागू होंगे।

(स) खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां	(कुल क्षेत्र का 15 प्रतिशत)
अधिकतम भूतल पर निर्मित क्षेत्र	खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र का 10 प्रतिशत
अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात	0.15

(द) उद्यान एवं भू-दृश्यीकरण	(कुल भूमि का 15 प्रतिशत)
-----------------------------	--------------------------

क्षेत्र के लिए उपयुक्त भू-दृश्यीकरण योजना तैयार की जाएगी।

(इ) जहां विशेष नियमन नहीं दिए हो वहां सार्वजनिक अर्ढसार्वजनिक गतिविधि परिसरों के लिए निम्न मापदण्ड लागू होंगे-	
--	--

अधिकतम भूतल निर्मित क्षेत्र	25 प्रतिशत
अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात	1.00

अन्य नियंत्रण

अधिकतम भूतल पर निर्मित क्षेत्र के बराबर एवं ठीक नीचे तलघर स्वीकार्य होगा। यदि तलघर का उपयोग वाहन विराम एवं सेवाओं के अंतर्गत किया जाता है तो इसकी फर्शी क्षेत्र अनुपात में गणना नहीं होगी।

2. खुले क्षेत्र एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्रों के मापदण्ड

खुले क्षेत्रों एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्रों के मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :

विदिशा : खुले स्थलों एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्रों के मापदण्ड

6-सा-11

सुविधायें प्रति हजार व्यक्ति	निम्नतम भूमि क्षेत्र (हेक्टर)	निम्नतम भूमि इकाई (हेक्टर)	निम्नतम प्रति इकाई की चौड़ाई (मीटर)	सेवा हेतु सामान्य जनसंख्या	सेवा क्षेत्र की अधिकृत त्रिया (कि.मी.)
1	2	3	4	5	6
टाटलाट	0.03	0.03	15	1000	0.15
क्रीड़ा क्षेत्र	0.06	0.30	45	5000	0.30
क्रीड़ा मैदान	0.10	1.50	138	15000	0.50
नेवरहुड पार्क	0.20	0.75	60	5000	0.30
वृत्त खंड उद्यान	0.20	1.50	100	15000	0.30
जिला क्रीड़ा केन्द्र	0.04	4.00	175	1 से 3 लाख	-
नगर उद्यान	0.30	4.00	150	1 से 3 लाख	-
क्षेत्रीय उद्यान	0.02	20.00	300	1 से 3 लाख	5.00
अन्य*	0.10	20.00	300	-	5.00

टीप : टाटलाट क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ागांगन तथा दो स्तरों के स्थानीय उद्यानों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में परिभ्रमण एवं वाहन विराम की आवश्यकतायें शामिल हैं।

*अन्य सुविधाओं के अंतर्गत परेड मैदान, बनस्पति उद्यान, प्रदर्शनी क्षेत्र आदि शामिल हैं।

6.11 अन्य उपयोग गतिविधियों के नियमन

छात्रावास-

निर्मित	- 33.33 प्रतिशत	अधिकतम
फर्शी क्षेत्र अनुपात	- 1.00	अधिकतम
ऊँचाई	- 12 मीटर	अधिकतम

अन्य नियंत्रण

(1) सामने सड़क की चौड़ाई (मार्गाधिकार) - 12 मीटर

अतिथिगृह, बोर्डिंग गृह, लॉजिंग गृह

भूखंड आकार	500 वर्गमीटर	न्यूनतम
------------	--------------	---------

भू-आच्छादन	33.33 प्रतिशत	अधिकतम
ऊँचाई	12 मीटर	अधिकतम
फर्शी क्षेत्र अनुपात	1.00	अधिकतम

अन्य नियंत्रण

सामने की सड़क की चौड़ाई - (मार्गाधिकार) 12 मीटर

धर्मशाला, मंगल भवन एवं रात्रि विश्राम गृह

न्यूनतम भूखंड आकार	800 मीटर
अधिकतम भू-आच्छादन	33.33 प्रतिशत
अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात	1.00
अधिकतम ऊँचाई	12 मीटर

अन्य नियंत्रण

सामने की सड़क की चौड़ाई (मार्गाधिकार) - 12 मीटर

6.12 यातायात एवं परिवहन

(अ) मार्गों/गलियों की अनुशंसित चौड़ाई

आवासीय क्षेत्रों में कलडीसेक या लूप गतियों की चौड़ाई सात से नौ मीटर अनुशंसित है। उच्च आय समूह के आवासीय क्षेत्र, जहां निजी वाहनों की संख्या अधिक होती है, में मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर रखी जा सकती है।

विदिशा : निकास मार्गों की निम्नतम चौड़ाई

6-सा-12

मार्ग वर्गीकरण	अनुशंसित मार्ग चौड़ाई ^(मार्गाधिकार) मीटर में	अभियुक्ति
1	2	3
लूप मार्ग	9.0	अधिकतम लम्बाई 500 मीटर
कलडी सेक	7.5	अधिकतम लम्बाई 150 मीटर घूर्णन वृत्त की त्रिज्या 9 मीटर
गली सामान्य (आवासीय क्षेत्रों में)	6.0	अधिकतम लम्बाई 100 मीटर
निम्न वर्ग आवासीय क्षेत्र	3.0	अधिकतम लम्बाई 100 मीटर
गंदी बस्तियों में पादचारी मार्ग	0.9 1 से 1.5	अधिकतम लम्बाई 5 मीटर से 20 मीटर
साइकल पथ	2.0 से 5.0	-
पादचारी मार्ग	1.5 से 4.5	-

(ब) कार एवं बसों के सड़कों पर पार्किंग हेतु मानक

बस स्थानक का आकार

मार्ग संगम से निम्नतम दूरी	75 मीटर
प्रत्येक बस स्थानक स्थल की लम्बाई	15 मीटर
टेपर-वांछनीय	1:8
न्यूनतम	1:6

विश्राम स्थल की गहराई

एक बस स्थानक	4.5 मीटर
दोहरा बस स्थानक	7.0 मीटर
जनसुविधाओं के निकट बस बे के मापदंड (आईआरसी) निम्नानुसार होंगे, इन्हें मार्ग संगम से दूर स्थापित किया जावेगा।	
चौड़ाई	3 मीटर
लंबाई	30 मीटर
अंतिम टेपर	15 मीटर

सड़कों के किनारे कार पार्किंग

कोणीय विराम का क्रियान्वयन तभी किया जाना चाहिए जबकि मार्ग की चौड़ाई कम से कम 20 मीटर हो तथा यातायात का आयतन बहुत अधिक न हो। कार विराम के लिए सामान्यतः 2.5 मीटर से 5 मीटर तथा ट्रक के लिए 3.75 मीटर से 7.5 मीटर का स्थल सामान्य आकार के रूप में रखा जा सकता है।

विदिशा : सड़कों के किनारे कार पार्किंग हेतु स्थल का आकार

6-सा-13

विराम का प्रकार	कर्व से वास्तविक चौड़ाई	कर्व लाईन से समानान्तर नापी गई प्रत्येक कार के लिए लंबाई की आवश्यकता (मीटर में.)
1	2	3
समानांतर	2.5	5.90
30°	4.66	5.00
45°	5.31	3.54
60°	5.58	2.89
90°	5.00	2.50

(स) परिसरों में वाहन विराम के मापदण्ड

विभिन्न परिसरों में वाहन विराम स्थल के मापदण्ड निम्नानुसार नियंत्रित होंगे।

विदिशा : वाहन विराम मापदण्ड

6-सा-14

क्र. उपयोग/उपयोग परिक्षेत्र

* ई.सी.एस. प्रति 100 वर्गमीटर
फर्शी क्षेत्रफल पर

1 2

3

1.	आवासीय	
	समूह आवासीय, भूखण्डीय विकास (250 वर्ग मीटर से बड़े) एवं मिश्रित उपयोग	0.50-1.50
2.	वाणिज्यिक	
	(अ) थोक व्यापार एवं परिसर (लोडिंग एवं अन-लोडिंग हेतु वाहन विराम की आवश्यकता सहित)।	1.50-2.50
	(ब) नगर केन्द्र, उप-नगर केन्द्र, उपाहार गृह, सिनेमा एवं अन्य	1.00-2.00
	(स) सामुदायिक केन्द्र, स्थानीय दुकानें, सुविधाजनक दुकानें, अल्पाहार गृह।	0.50-1.50
3.	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं	
	(अ) नर्सिंग होम, चिकित्सालय (शासकीय को छोड़कर) सामाजिक, सांस्कृति एवं अन्य संस्थाएं, शासकीय एवं अर्ध शासकीय कार्यालय	0.50-1.50
	(ब) विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शासकीय चिकित्सालय	0.25-0.75
4.	औद्योगिक	
	छोटे एवं सेवा उद्योग, फ्लेटेड ग्रुप फेक्ट्री, वृहद उद्योग	0.50-1.00

टीप : 1. कार विराम के प्रावधान हेतु निम्नानुसार मानक होंगे -

- (अ) खुले क्षेत्र में वाहन विराम हेतु 18.0 वर्गमीटर प्रति कार।
- (ब) भूतल पर आच्छादित वाहन विराम 23.0 वर्गमीटर प्रति कार।
- (स) तलघर की वाहन विराम 28.0 वर्गमीटर प्रति कार।
- 2. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में उपरोक्त मानकों के आधार पर भूतल एवं तलघर में वाहर विराम का प्रावधान किया जा सकता है।
- 3. नगर केन्द्र अथवा उपनगर केन्द्र में उपरोक्त मानकों के आधार पर वाहन विराम की आवश्यकता के अनुसार तल के अलावा और अतिरिक्त भूमिगत वाहन विराम की व्यवस्था की जा सकती है। यह व्यवस्था नगर चौक, पदयात्रापथ, खुले क्षेत्रों के नीचे की जा सकती है, परंतु यह व्यवस्था सीमांत खुले क्षेत्र की सीमा रेखा के अंदर ही होगी।
- 4. ई.सी.एस. - कार क्षेत्र तुल्यांक (कार स्पेस इक्विलेंट)

स्रोत : यू.डी.पी.एफ.आई., मार्गदर्शिका।

6.13 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति

वे उपयोग जो 7 प्रमुख परिक्षेत्रों के अंतर्गत है तथा जो सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने पर स्वीकार्य है, वे निम्नानुसार है :-

विदिशा : स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

6-सा-15

क्र.	भूमि उपयोग	परिक्षेत्र में स्वीकृत उपयोग	सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग
1	2	3	4
1.	आवासीय	आवासगृह, छात्रावास, अतिथि गृह, लाजिंग एवं बोडिंग हाऊस, धर्मशाला, बारात घर, सामुदायिक हाल, आश्रम गृह, बालक यातायात पार्क, प्रयोगशालाएं, शिशु सदन बाल विहार, पाठशालाएं, धार्मिक स्थान, आमोद-प्रमोद उपयोग क्लब, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं, ट्रैक्सी व स्कूटर स्टेंड, बस स्टॉप।	व्यवसायिक कार्यालय या घरेलू व्यवसायिक इकाई, नर्सिंग होम, कार्यालय, होटल, आटा चक्की, पेट्रोल पंप, हल्के वाहनों की मरम्मत से संबंधित दुकानें, छविगृह, संग्रहालय, पेकिंग इकाई, गैस बुकिंग केन्द्र, सहकारी उपभोक्ता भंडार, सामुदायिक भवन तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 38(1) परिशिष्ट-जे भाग-1 एवं 2 में सम्मिलित उद्योग।
2.	वाणिज्यिक	फुटकर दुकानें, उपाहार गृह, लाजिंग तथा बोडिंग गृह, सुविधा दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय छविगृह, बस टर्मिनल, नर्सिंग होम, धार्मिक परिसर, सेवाएं तथा सुविधाएं, छविगृह, थोक बाजार, भंडारण, सेवा केन्द्र, बस टर्मिनल, मोटर गैरेज, कबाड़खाना, मंडी, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, सेवाएं।	धर्मशाला, सभागृह, सांस्कृतिक प्रचार केन्द्र, प्रदर्शनी केन्द्र, कला केन्द्र, संग्रहालय, संगीत नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय एवं कर्मशाला, आवासीय फ्लेट, सेवा उद्योग, प्रेस परिसर, कर्मशाला तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 38(1) परिशिष्ट जे में सम्मिलित उद्योग।
3.	औद्योगिक		
(अ)	सेवा उद्योग	हल्के उद्योग जैसे दाल तथा तेल मिल, दूध डिब्बे में भरना, डिब्बे में भरना, डिब्बे बनाना, मरम्मत कर्मशाला, सेवा केन्द्र, सार्वजनिक सेवा भवन।	पेट्रोल पंप, परिवहन संस्थाएं, कूड़ा करकट स्थान (जंक यार्ड) शोरूम, दुकानें, उपाहार गृह, माल गोदाम, अग्रेषण अभिकरण। म.प्र. भूमि विकास नियम-1984 के नियम 38 में वर्णित उद्योग तथा सूचना तकनीक से संबंधित उद्योग।
(ब)	अन्य उद्योग	सामान्य, भारी एवं मध्यम उद्योग, गैस भंडारण, शीतगृह, एल.पी.जी., रिफिलिंग प्लांट, रसायनिक उद्योग, चमड़े के उद्योग, मद्य निर्माण शाला एवं अन्य उद्योग।	आवश्यक श्रमिक आवास, बस डिपो कर्मशाला, बस टर्मिनल, गृह, रेलवे, माल गोदाम सेवा कर्मशाला, गोदाम, म.प्र. भूमि विकास नियम-1984 के 38 में वर्णित उद्योग तथा सूचना तकनीक से संबंधित उद्योग।

1	2	3	4
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	केन्द्र एवं राज्य शासन के कार्यालय, शासकीय व अन्य कार्यालय, वाणिज्यिक कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, परिचर्चा हॉल, व्याख्यालय, फुटकर एवं मरम्मत दुकानें, औषधालय, ग्रंथालय, संग्रहालय, सांस्कृतिक प्रचार केन्द्र, सभागृह पुलिस पोस्ट, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संस्थाएं, कला वीथिका, कला प्रदर्शन कक्ष, शैक्षणिक संस्थाएँ जैसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय विविध शिल्प कला मंदिर, तकनीकी संस्थाएं, शोध प्रयोगशालाएं, साधारण एवं विशिष्ट चिकित्सालय, चिकित्सा प्रयोगशाला स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक सेवाएं।	धर्मशाला, आश्रम गृह, क्लब, फुटकर एवं मरम्मत की दुकानें, आवश्यक आवासगृह, उपाहार गृह एवं खेल मैदान, कला केन्द्र।
5.	आमोद-प्रमोद	समस्त आमोद-प्रमोद स्थल, जैसे क्रीड़ा स्थल, क्रीड़ागण, तरण पुष्कर, मेला एवं प्रदर्शनी स्थल, पिकनिक स्थल, उद्यान, शूटिंग रेंज, पक्षी अभ्यारण्य।	पौध शाला, स्टडफार्म, आवास, अल्पाहार गृह, योग केन्द्र, मनोरंजन उद्यान।
6.	यातायात एवं परिवहन	रेलवे स्टेशन, माल प्रांगण, सभागार प्रांगण नगरीय बस यात्रा-आरंभ एवं समाप्ति केन्द्र, बस कर्मशाला, ट्रक स्टैंड, यात्रा समाप्ति केन्द्र, गोदाम।	अग्रेषण अभिकरण, शीतगृह, पेट्रोल पंप एवं सेवा केन्द्र, मरम्मत की दुकानें, उपकरणों की दुकानें, उपाहार गृह, भोजनालय।
7.	कृषि	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो कि कृषि की परिभाषा में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत आते हैं। कृषि संबंधी अनुसंधान केन्द्र, प्रदर्शन एवं प्रयोगात्मक कार्य, कृषि, फार्म, हेलीपेड, विद्युत/ दूरदर्शन/रेडियो केन्द्र, खुले डिपो।	पेट्रोल पंप, कब्रिस्तान, शमशान, मल-शोधन केन्द्र खांती स्थान, ईट-भट्टे एवं कुम्हारी कार्य पत्थर तोड़ने का कार्य, दुग्ध एवं कुकुट पालन, माल गोदाम, चारागाह एवं वृक्षारोपण एल.पी.जी. गोदाम, ट्रक पार्किंग, दुग्ध शीतजन केन्द्र सेवाएं, कृषि यांत्रिकी एवं सुधार प्रतिष्ठान, शीत गृह खाद एवं बीज संग्रह केन्द्र।

टीप : विकास योजना में उपदर्शित मुख्य भू-उपयोग वर्ग में उपरोक्त सारणी के क्रमांक 1 से 6 अंतर्गत उल्लेखित समस्त स्वीकार्य गतिविधियों का संयुक्त कुल क्षेत्र उस मुख्य भू-उपयोग के विकसित/विकासशील क्षेत्र का अधिकतम 20 प्रतिशत तक अनुज्ञेय हो सकेगा।

- प्रत्येक विरासत भवन का प्रतिबंधित क्षेत्र उसके समीपवर्ती से 100 मीटर क्षेत्र में व्याप्त होगा।
- शासन द्वारा स्वीकृत निजी या अन्य किसी संस्था के माध्यम से मूल स्वरूपीकरण स्वीकार्य होगा।
- चयनित एवं सूचीबद्ध विरासत भवनों को गिराने की अनुमति नहीं होगी चाहे वे निजी आधिपत्य में ही क्यों न हों।
- प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली संरचना नगर में प्रभावशील सामान्य मापदण्ड से संचालित नहीं होंगे।
- प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित भवनों की ऊंचाई एवं रूपांकन विरासत भवनों के वास्तुकला के समान होना चाहिए।
- मार्ग, नगरीय स्थल, चौराहे, आंगन जो कि नगर के प्रमुख तत्व हैं, को संरक्षित रखा जाना चाहिए एवं किसी नगरीय नवीनीकरण एवं पूर्ण विकास के माध्यम से यथास्थिति दिए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- प्रतिबंधित क्षेत्र में भू-दृश्यीकरण विकास स्वीकार्य होगा। जिसमें परिवेश से मिला-जुला वृक्षारोपण, पहुंच परिभ्रमण एवं भवन के चारों ओर पार्किंग स्वीकार्य होगा, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथोचित रूपांकन अनुसार स्वीकृत की जावेगी।

6.17 विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया

विकास योजना प्रस्तावों के अंतर्गत आवेदन कर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज/जानकारी संलग्नित की जाना आवश्यक है-

1. अधिनियम की धारा 29 उपधारा (1) तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के अंतर्गत निर्धारित अनुज्ञा प्रपत्र में अनुज्ञा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
2. स्वामित्व संबंधी प्रमाणः खसरा पंचाला, खसरा खतौनी, पंजीयन नामा, प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण।
3. म.प्र. विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 के प्रावधानों के अनुरूप जानकारी।
4. भूमि का विवरण (स्थान के साथ सड़क/सड़कों के नाम जिस पर या जिसके सामने संपदा स्थित हो एवं भू-सीमाएं)
5. मूल खसरा मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन-भूमि के क्रमांक अंकित हो, साथ ही प्रश्नाधीन भूमि की बाहरी सीमा से 200 मीटर के अंतर्गत निहित पास के खसरा क्रमांक दर्शाय हो, प्रश्नाधीन भूमि खसरा मानचित्र पर लाल रंग से चिह्नित की जाए।
6. विकसित क्षेत्र के प्रकरण में भूखण्ड क्रमांक तथा स्वीकृत अभिन्यास के विस्तृत विवरण सहित।

7. स्थल मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि चिन्हित हो, साथ ही मुख्य पहुंच मार्ग, भूमि के आसपास वर्तमान भू-उपयोग एवं महत्वपूर्ण भवन।
8. 1:500/1000/2000 की स्केल पर सर्वे प्लान जिसमें प्रश्नाधीन भूमि की सीमा, प्राकृति स्वरूप जैसे नाले, गढ़े, पहाड़ियां, वृक्ष, यदि भूमि समतल न हो तो कंटूर प्लान, प्रश्नाधीन भूमि में से या 200 मीटर तक की समीपस्थ भूमि से जा रही उच्च दाब विद्युत लाइन, राइट ऑफ वे दर्शाते वर्तमान मार्ग। विद्युत एवं टेलीफोन के खंभे, वृक्ष एवं अन्य सभी संबंधित स्वरूप जो समीपस्थ क्षेत्रों में सामंजस्य करने हेतु आवश्यक हो।
9. सामान्य प्रतिवेदन के साथ प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित सभी विकासीय प्रस्ताव दर्शाता प्लान/मानचित्र।
10. प्रस्तावों के यथोचित परीक्षण हेतु भवन के वास्तुविदीय विवरण प्रस्तुत करना होंगे।
11. विकास प्रस्ताव के प्रकार जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि पर एक प्रतिवेदन।
12. म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप विकास/ निपटूवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा। अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिए।
13. अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण/जानकारी या अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप प्रमाण/जानकारी एवं प्रश्नाधीन भूमि के विकास प्रस्ताव आवेदन के साथ संलग्नित होना चाहिए।
14. म.प्र. भूमि विकास नियम- 1984 की धारा 49 (3) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करें।
15. अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत सामान्य मानचित्रों के अतिरिक्त अपने प्राधिकृत वास्तुविद/यंत्री/नियोजक द्वारा हस्ताक्षरित यथोचित भू-दृश्यीकरण प्लान, जहां आवश्यक हो, वहां की परिवहन प्लान जिसमें वाहन एवं नगरीय रुपांकन योजना दर्शायी गयी हो, को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होंगे।

- टीप :-**
1. आवेदक द्वारा प्रस्तुतयोजना प्रस्ताव के परीक्षण करते समय राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रसारित निर्देशों एवं मार्गदर्शन का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
 2. भूमि विकास/निवेश अनुज्ञा संबंधी म.प्र. भूमि विकास नियम- 1984 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना होगा।

6.18 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया (प्रस्तावित-भू-उपयोग)

1. परिशिष्ट 1 (द) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र।
2. प्रश्नाधीन भूमि का मूल खसरा मानचित्र जिसमें इस भूमि तथा 200 मीटर तक के समीपस्थ खसरा क्रमांक दर्शित हों।
3. अद्यतन खसरा पंचसाला एवं खसरा खतौनी।
4. आवेदन केवल भू-स्वामी द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा।
5. जब आवश्यक हो, भूमि का पंजीकरण प्रमाण तथा नामांतरण प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत हो।

विकास योजना क्रियान्वयन

विकास योजना प्रस्तावों को संभव प्रयासों द्वारा निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित किया जावे तभी इसके तैयार करने की सार्थकता सिद्ध होगी। यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुर्ननिर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि विकास करके योगदान करना होगा। इसलिए ये आवश्यक होगा कि ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, निवेश सलाह देकर किया जावे जिससे कि प्रस्तावित निर्माण एवं विकास, अनुमोदित विकास योजना के उपबन्धों के अनुरूप हो। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा जबकि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर किया जावे। भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी अनेक प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम-1984 एवं अधिनियम, 1973 में निहित है।

विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः विदिशा नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा इसके गठन होने तक यह दायित्व नगर पालिका, विदिशा द्वारा वहन किया जावेगा। इसके अतिरिक्त म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, नगर पालिका विदिशा इत्यादि द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है, इससे विकास योजना के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। इसलिए यह अपेक्षित होगा कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु अनेक शासकीय अर्द्धशासकीय निकाय, विकास योजना के कार्यान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें।

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2011 तक की अवधि के लिये है। वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव कार्यान्वित करने में लगभग 228 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। इसमें विभिन्न भूमि उपयोग हेतु 885.2 हेक्टर भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं 60 प्रतिशत भूमि के विकास पर व्यय, नये मार्गों ओवर ब्रिज का निर्माण आदि शामिल हैं। भूमि अर्जन की औसत दर 1.60 लाख रुपए प्रति हेक्टर मानी गई है।

उक्त उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है :-

- (अ) पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम।
 - (ब) नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधि कार्यक्रम।
 - (स) राज्य आवास नीति, 1995 के अंतर्गत भूमि विकास।
7. मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू-उपयोग के विकास हेतु अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जावेगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय संस्था को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।
8. किसी भी तरह के स्वीकार्य भू-उपयोग 9 मीटर चौड़ाई से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर विकसित नहीं किये जा सकेंगे।
9. प्रत्येक अभिन्यास के खुले क्षेत्र में प्रत्येक 100 आवासीय इकाईयों के लिए एक बालवाड़ी एक झूलाघर हेतु क्षेत्र आरक्षित रखना होगा। इसके अतिरिक्त उपयुक्त स्थान पर बंद कचराघर हेतु कम से कम 20×20 फीट स्थान आरक्षित रखना होगा। जहां से स्थानीय संस्थायें सुविधापूर्वक कचरे का उठान करा सकें। जिससे की पर्यावरणीय दुष्प्रभाव न पड़े।
10. ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में भूखण्ड का आकार मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम-53 (1) एवं (2) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार, जहां कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा।

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंध एवं संरक्षण से तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है जो जल स्रोतों के संरक्षण, इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट भू-स्वरूप जल स्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्रों के संबंधित हैं।

अन्य पर्यावरण समस्याएं, जैसे नगरीय अविशिष्ट के उपचार, निराकरण, इसके पुनर्वर्कीकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या के व्यवस्थापन से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित हैं।

7.4 पर्यावरण प्रबंध एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिपेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय हैं :-

1. जल स्रोतों में जलमल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम।
2. जल फैलाव क्षेत्रों में स्टाप डेम द्वारा भूमि रक्षण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक उपयोग निषेध।

3. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण।
4. सभी जल स्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था।

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना :

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा

- संस्था का गठन।
- विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन।
- भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकता के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग।
- नगरवासियों, दर्शनार्थियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्ति युक्त प्रावधान।

नगर अधोसंरचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्व

1. नियंत्रित विकास।
2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन।
3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना।
4. विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण।
5. समयबद्ध विकास अनुज्ञा प्रक्रिया हेतु तंत्र उपलब्ध कराना।

7.4.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भू-स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जावेगा। यहां समन्वयक संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थाएं, प्रमुख सेवाएं तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी। परिसीमन विकास आवास नीति-1995 में उल्लेखनीय संस्थाएं उल्लेखित विकास संस्थाओं द्वारा किया जावेगा। इस प्रकार विकसित बड़े क्षेत्र का आवंटन परिसीमन अधोसंरचना की सुगमता के अनुकूल राज्य आवास नीति- 1995 के परिपेक्ष्य में गृह निर्माण संस्थाओं, को आवास संघों एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा दिया जायेगा। उक्त व्यवस्था पर राज्य शासन द्वारा परीक्षण कर अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से आनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा। वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। जिसमें पाँच वर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सकेगा। मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम होगा, जो कंडिका 7.6 के संदर्भ में रहेगा।

नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण लक्ष्य भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्तखण्ड एवं उपवृत्तखण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शाएगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किए जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि का समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका सुविधादायक के रूप में होगी।

योजना क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका सुविधादायक के रूप में होनी चाहिए। इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना उपयुक्त होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्रोतों को एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जाएगा। एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है :-

1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान।
2. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान।
3. विकास योजनाओं का प्राथमिकता निर्धारण।
4. एकीकृत नगरीय विकास योजनाएं तैयार करना।
5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास में समन्वित विकास का दृष्टिकोण रखते हो।

6. समन्वय प्राधिकारियों और अन्य वृत्त खण्डीय/एजेंसियों की क्रियान्वयन में भूमिका को परिभाषित करना।

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भूमि उपयोग के अंतर्गत लगभग 306 हेक्टरभूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग रुपये 70.77 करोड़ होगी।

7.5 योजना एवं कार्यक्रम

- (अ) आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए दो चरणों में प्रावधान है प्रथम चरण सन 2005 तक की आवश्यकताओं तथा द्वितीय में 2006 से 2011 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।
- (ब) योजना प्रस्तावों में क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है।
- (स) योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिए नीति सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जाएगा।
1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना।
 2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारित करना जो नगर के अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्य स्थप दे सकें।
 3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं को साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी भूमि कार्यक्रम की नितियां तैयार करना।
 4. परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधान के साथ-साथ लगभग 5 से 10 हेक्टेयर आकार के अर्द्धविकसित भूखंडों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु भूमि विकास कार्यक्रम को मूर्तरूप देना।
 5. योजना के दोनों चरणों की आवश्यक जल पूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्रोत का विकास।
 6. नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु अधोसंरचना, पावर ग्रिड, जल निकास व्यवस्था का विकास।
 7. भूमि विकास कार्यक्रम नगरीय विकास परियोजनाएं साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास के क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुज्ञा प्रणाली तैयार करना चाहिए।
 8. एक विशेष परिणाम मूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि वृत्तखंडों के विकास तथा सभी सहभागियों के संसाधन में गतिशीलता लायी जा सके।
 9. मुख्य जल स्रोत में वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना।

7.5.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धांत निम्नानुसार हैं।

- यह सुनिश्चित करना कि उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरुद्ध न हो।
- उपलब्ध व्यवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
- बिखरे हुए नगरीय विकास के लिए पहुंच मार्ग उपलब्ध करना।
- अर्द्धविकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।
- भू-स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

7.6 प्रथम चरण कार्यक्रम :

7.6.1 प्रथम चरण के घटक

1. आवासीय - लोहांगी पहाड़ी के चारों और की बसाहट की पुर्णस्थापना निवेश इकाई क्रमांक-1 एवं 2 में सामान्य आवासीय।
2. वाणिज्यिक - प्रस्तावित बस स्टैण्ड से संलग्न क्षेत्र, यातायात नगर, कृषि उपज मंडी, सम्राट अशोक तकनीकी संस्थान परिसर से संलग्न क्षेत्र, सागर पुलिया के निकट, इत्यादि।
3. औद्योगिक- सागर मार्ग एवं नीमताल के निकट।
4. सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं सार्व. उपयोगिता- नवीन प्रशासकीय क्षेत्र, मैदा मिल क्षेत्र निवेश इकाई-2 में एवं सुमेर मार्ग पर जल शोध संयंत्र एवं टीला खेड़ी मार्ग पर शासन।
5. आमोद-प्रमोद- मेला मैदान, वृक्षारोपण, डाबर मार्ग एवं हसनाबाद मार्ग से संलग्न प्रस्तावित उद्यान इत्यादि।
6. यातायात एवं परिवहन- उप बस स्थानक, अण्डर पास एवं मार्गों का विकास।

विदिशा: प्रथम चरण लागत

7-सा-2


(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र. कार्य का विवरण	भू-अर्जन भौतिक लक्ष्य (क्षेत्रफल)	60 प्रतिशत का विकास व्यय			कुल लागत (4+6) (रु. लाख में)
		लागत (रु. लाख में)	भौतिक लक्ष्य (क्षेत्रफल)	व्यय (रु. लाख में)	
		3	4	5	
1. आवासीय	100	160.0	60.0	2400.0	2560.0
2. वाणिज्यिक	40.3	64.4	24.18	1209.0	1273.4
3. औद्योगिक	18	28.80	10.8	540.0	568.8
4. सार्वजनिक/अर्ध. सार्व. एवं सार्व. उपयोगिता	58.83	94.1	35.30	1412.0	1506.1
5. आमोद-प्रमोद	40.0	64.0	24.0	120.0	184.0
7. यातायात एवं परिवहन मार्ग					
(अ) उप बस स्थानक	1.5	2.4	0.9	27.0	29.4
(स) मार्ग	34.5	55.2	20.7	600.0	655.2
योग	293	468.9	175.88	6308	67769

7.7 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है :-

- पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना।
- आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण।
- प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिह्नित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना।
- वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं अधोसंरचना एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश निर्धारण।
- आलोच्य क्षेत्रों के सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका निर्धारण।
- समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना।
- वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।




विदेशी

7.1 प्रस्तावित प्रथम
वरण

प्रस्तावित की रुप संवर्धन

साल



- आवासीय
- बाणिज्यिक
- औद्योगिक
- सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
- सार्वजनिक सेवाएँ
- एवं सुविधाएँ
- परिवहन एवं संवहन
- आमोद प्रमोद

8. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रमों का परियोजनाओं तथा उप-परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना।

योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य की पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है :

1. स्थानीय स्तर पर नियोजना पर्यवेक्षण समिति।
2. नगर विकास प्राधिकरण अथवा नगर पालिका द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना।
3. नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन।
4. समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन करना।

विकास योजना की सफलता, विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारण समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करता है। यह योजना क्रियान्वयन एवं पुनर्विलोकन के साथ-साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरांत तदनुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करती है।

7.8 पर्यवेक्षण समिति का गठन

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायित्व मूलतः विदिशा विकास प्राधिकरण का होगा। अपितु इनके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएं एवं विभाग भी सहभागी होंगे, अतः क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. एफ- 3/3130/32/ 97 दिनांक 20.01.1998 एवं संशोधन आदेश क्रमांक एफ 3/55/32/98 दिनांक 12.08.1998 द्वारा जिलाध्यक्ष विदिशा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जो संचालक नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. के आदेश क्रमांक- 2876 दिनांक 15.05.1998 में उल्लेखित कार्यपद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी। विदिशा नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के गठन होने तक यह दायित्व विदिशा नगर पालिका वहन करेगी।

7.8.1 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण

विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिंदु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचाले द्वारा अनुशंसिक कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

7.9 योजना की व्याख्या

विदिशा विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैं-

(1) विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषय वस्तु में साथ-साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।

(2) परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग, सारणी एवं विकास नियमन के अध्याय 6 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगा। नेवरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखंड स्तर तथा खंड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।

(3) ऐसे भूमि उपयोग, गतिविधियां जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (मेजर लैंड यूज जोन) में परिभाषित नहीं हैं वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जाएंगी, किन्तु जो स्वीकार्य भूमि उपयोग सूची में शामिल है वे भू-उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आएंगे।

(4) विकास प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक परिवर्तन अपरिहार्य होता है। स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जाएगा।

परिशिष्ट

प्रारूप सात (नियम 12 देखिए)

भूमि के विकास के लिये धारा 29 के अधीन अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रेषक :

.....
.....
.....

प्रति,

सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
विदिशा

तारीख

महोदय,

मैं/हम नीचे वर्णित भूमि के विकास को हाथ में लेने/क्रियान्वित करने की अनुज्ञा के लिये आवेदन करता हूँ/
करते हैं-

1. (क) भूमि का वर्णन (उन मार्गों के जिन पर/ जिसमें कुछ फासले पर, उस संपत्ति का छोर है, नाम बतलाते हुए स्थिति)
 - (ख) क्षेत्रफल वर्गफुट/वर्गमीटर एकड़/हेक्टर में
2. मैं/हम एतद् द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज तीन प्रतियों में संलग्न करता/करते हैं, अर्थात्-
 - (एक) भूमि का वर्णन (उन भागों के जिन पर/जिसमें कुछ फासले पर उस सम्पत्ति की छोर हो, नाम बतलाते हुए तथा सीमाएं बतलाते हुए स्थिति)
 - (दो) प्रश्नगत भूमि का क्रमांक दर्शाते हुए खसरा योजना और भूमि की बाहरी सीमा में 200 मीटर के भीतर पड़ने वाले निकटवर्ती खसरा/आवेदित भूमि खसरा मानचित्रों में लाल रंग से दर्शायी गयी है।
 - (तीन) प्रश्नगत भूमि मुख्य पहुंच मार्ग, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों जैसे चिकित्सालय, विद्यालय या सिनेमा, पेट्रोल पंप तथा भूमि के इर्द-गिर्द वर्तमान उपयोगों को उपर्दर्शित करते हुए रेखांक।
 - (चार) भूमि के वर्तमान उपयोग (आवासीय, वाणिज्यिक औद्योगिक, लोक प्रयोजन/खुले स्थानांतरित भूमि के रूप में)

- (पाँच) 1:500, 1/1000, $41^{1/4}$ फुट अथवा $82\frac{1}{2}$ फुट = 1 इंच के मान से एक सर्वेक्षण रेखांक दिया जायेगा। रेखांक प्रश्नगत भूमि की सीमाएं, प्राकृतिक विशिष्टताएं, जैसे नाला, जलाशय, ढलान समोच्च रेखांक 5 अथवा 10 के अंतर में 200 मीटर तक की दूरी तक भूमि की समीपस्थ भूमि से होकर जाने वाली उच्च वोल्टता लाईन (हाईटेन्शन लाईन) मार्गाधिकार दर्शने वाले विद्यमान मार्ग तथा रेलवे लाईनें उनके विशेष विवरण तथा सीमाओं सहित विद्युत तथा दूरभाष खंभों की स्थिति और अन्य ऐसी समस्त बातें जिनका कि समीपस्थ क्षेत्रों से समन्वय किये जाने की आवश्यकता हो, दर्शायेगा।
- (छ:) प्रश्नगत भूमि के संबंध में समस्त विकास प्रस्थापनाओं को दर्शाते हुए एक रिपोर्ट।
- (सात) उपयोगी कार्यों तथा सेवाओं जैसे जलप्रदाय, जल निकास और विद्युत प्रदाय तथा मलाशय (सेप्टिक टैंक) के ब्यौरे दर्शाते हुए रेखांक में दर्शाते उपबंध किया गया है और उसके साथ उसमें मोरी के बीच जल के निवर्तन को भी दर्शाया गया है।
- (आठ) वास्तुविद संबंधी अन्य ब्यौरे।
- (नौ) प्रस्थापित विकास कार्य का प्रकार अर्थात् आवास विषयक, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपर्युक्त करने वाला एक टिप्पण।
3. रेखांक (रजिस्ट्रीकृत योजनानुसार, वास्तुविद/सर्वेक्षण के नाम) द्वारा तैयार किये गये हैं।
- रजिस्ट्रीकरण क्रमांक
पता
-
मैंने विहित किये मान के अनुसार रुपये फीस निष्क्रिप्त कर दी है।

भवदीय

आवेदन के हस्ताक्षर एवं पता

प्रारूप सात (नियम 12 देखिए)

भूमि के विकास के लिये धारा 29 के अधीन अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रेषक :

.....
.....
.....

प्रति,

सहायक संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

विदिशा

तारीख

महोदय,

मैं/हम नीचे वर्णित भूमि के विकास को हाथ में लेने/क्रियान्वित करने की अनुज्ञा के लिये आवेदन करता हूँ/
करते हैं-

1. (क) भूमि का वर्णन (उन मार्गों के जिन पर/ जिसमें कुछ फासले पर, उस सम्पत्ति का छोर है, नाम बतलाते हुए स्थिति)
 - (ख) क्षेत्रफल वर्गफुट/वर्गमीटर एकड़ि/हेक्टर में
2. मैं/हम एतद् द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज तीन प्रतियों में संलग्न करता/करते हैं, अर्थात्-
 - (एक) भूमि का वर्णन (उन भागों के जिन पर/जिसमें कुछ फासले पर उस सम्पत्ति की छोर हो, नाम बतलाते हुए तथा सीमाएं बतलाते हुए स्थिति)
 - (दो) प्रश्नगत भूमि का क्रमांक दर्शाते हुए खसरा योजना और भूमि की बाहरी सीमा में 200 मीटर के भीतर पड़ने वाले निकटवर्ती खसरा/आवेदित भूमि खसरा मानचित्रों में लाल रंग से दर्शायी गयी है।
 - (तीन) प्रश्नगत भूमि मुख्य पहुंच मार्ग, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों जैसे चिकित्सालय, विद्यालय या सिनेमा, पेट्रोल पंप तथा भूमि के इर्द-गिर्द वर्तमान उपयोगों को उपदर्शित करते हुए रेखांक।
 - (चार) भूमि के वर्तमान उपयोग (आवासीय, वाणिज्यिक औद्योगिक, लोक प्रयोजन/खुले स्थानांतरित भूमि के रूप में)

प्रारूप आठ

(नियम 12 देखिए)

भूमि के विकास के लिये धारा 29 की उपधारा (i)के अधीन अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रेषक :

.....
.....
.....

प्रति,

सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
विदिशा

तारीख

महोदय,

मैं/हम उस भूमि के जिस पर मैं/हम आवश्यक स्वामित्व अधिकार रखता हूँ/रखते हैं, जो
सड़क/मार्ग वार्ड क्रमांक खंड क्रमांक भूखण्ड क्रमांक पर
स्थित स्कीम का नाम (यदि कोई हो) है वर्ग गज/मीटर माप के भू-भाग पर
भू-भाग पर भवन बनाने/पुनः बनाने या/और परिवर्तित करने/उसकी मरम्मत कराने हेतु अनुज्ञा के लिये आवेदन
करता हूँ/करते हैं।

1. मैं/हम निम्नलिखित की प्रतियाँ प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं :-
 (क) संलग्न अनुसूची में कथित किये गये अनुसार रेखांकों, उन्नतांशी तथा अनुभोगों के बाबत् पत्रक।
 (ख) प्रस्तावित भवन का विहित प्रारूप में विशेष विवरण।
2. रेखांक रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद/सर्वेक्षक का नाम रजिस्ट्रीकरण क्रमांक पता द्वारा तैयार किये गये है।
3. मैंने अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन बनाये गये नियम में विहित किये गये मान के अनुसार रूपये फीस का निक्षेप कर दिया है।

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर

पता.....

विशेष विवरण पत्रक
प्रस्तावित भवन का विशेष विवरण

1. भूखंड का कुल क्षेत्रफल वर्गफुट/मीटर
2. कुल निर्मित क्षेत्र

विद्यमान निर्मित क्षेत्र	वर्गफुट/मीटर, प्रस्तावित	वर्गफुट/मीटर
विद्यमान प्रथम मंजिल	वर्गफुट/मीटर, प्रस्तावित	वर्गफुट/मीटर
विद्यमान द्वितीय मंजिल	वर्गफुट/मीटर, प्रस्तावित	वर्गफुट/मीटर
3. उद्देश्य कार्य जिसके लिए भवन का उपयोग प्रस्तावित है।
4. विशेष विवरण जो निम्नलिखित के निर्माण में उपयोग में लाया जायेगा-
 - (एक) नीवं
 - (दो) दीवारें
 - (तीन) फर्श
 - (चार) छत
5. भवन में अन्तर्विष्ट होने वाली मंजिलों की संख्या
6. ऐसे व्यक्तियों की लगभग संख्या, जिन्हें कि वास स्थान दिया जाना प्रस्तावित है।
7. उन शौचालयों की संख्या जिनकी कि व्यवस्था की जायेगी।
8. क्या स्थल पर पूर्व में निर्माण हुआ है, यदि ऐसा हुआ है कि तो पूर्ववर्ती भवन रहने के लिए कब से उपयुक्त नहीं रहा
9. भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने वाले जल का स्रोत।

आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट-1 (द)

(नियम-49(3) देखिये)

विकास योजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्रारूप

प्रति,

प्राधिकारी

.....
.....

मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं एतद् द्वारा नगर मोहल्ला/बाजार बस्ती/कॉलोनी/
गली भूखण्ड क्रमांक खसरा क्रमांक
की भूमि के विकास/पुनर्विकास करने का इच्छुक हूँ। क्षेत्र से संबंधित विकास योजना/परिक्षेत्रिक विकास योजना से
संबंधित प्रस्ताव ऊपर उल्लेखित भूमि के लिए उपर्युक्त आयोजना तैयार करने के लिए उपलब्ध किये जा सकेंगे।
विकास योजना/परिक्षेत्रिक विकास योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भुगतान किया जा
चुका है तथा रसीद की अभिप्रामाणित प्रति संलग्न है।

भू-स्वामी के हस्ताक्षर

भू-स्वामी के नाम

.....
(स्पष्ट अक्षरों में)

भू-स्वामी का पता

स्थान

दिनांक

.....नाम

- नगर/नगर निगम/नगर पालिका/ विकास प्राधिकरण/नगर निवेश अधिकारी

नियम-17(1)

किसी भवन के विकास, निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन करने के लिये
प्रथम आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,

.....
.....

महोदय,

मैं एतद् द्वारा यह सूचना देता हूँ कि मैं नगर मोहल्ला, बाजार, सड़क
..... बस्ती मार्ग में भवन
क्रमांक अथवा प्लाट क्रमांक में पर
तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-1984 के नियम-17 के के अनुसार विकास निर्माण
पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन करना चाहता हूँ और मैं इसके साथ मेरे तथा
..... वास्तुविद, इंजीनियर, पर्यवेक्षक, नगर निवेशक, अनुज्ञाप्ति क्रमांक
(नाम स्पष्ट अक्षरों में) जो उस निर्माण कार्य
का पर्यवेक्षण करेगा, द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित निम्नलिखित रेखांक और विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में
अग्रेषित करता हूँ :-

1. मुख्य रेखांक
2. स्थल रेखांक
3. उप विभाग- अभिन्यास योजना
4. भवन नक्शे
5. सेवा आयोजना
6. विशिष्टियां सामान्य तथा विस्तृत
7. स्वामित्व संबंधी हक

मैं निवेदन करता हूँ कि विकास निर्माण को अनुमोदित किया जाये और मुझे कार्य निष्पादित करने की अनुमति
प्रदान की जाये।

स्वामी के हस्ताक्षर
स्वामी का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)
स्वामी का पता

तारीख

प्राधिकारी द्वारा सीधे उपयोग के लिये रूपरेखा तैयार की जा सकती है।

मध्यप्रदेश शासन

नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 19 मई, 1975

क्रमांक/1302/तैंतीस/75, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य सरकार एतद् द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विदिशा निवेश क्षेत्र का गठन करती हैं, सीमायें नीचे दी गई अनुसूची द्वारा परिनिश्चित की गई है।

अनुसूची

विदिशा निवेश क्षेत्र की सीमायें

1. उत्तर में
 - वर्तमान नगर पालिका सीमा, दाऊदपुरा, बरारखेड़ा तथा ग्राम धतुरिया की उत्तरी सीमा तक।
2. पश्चिम में
 - ग्राम सुआर खेड़ी, आमखेड़ा, मदनखेड़ी, दौलतपुर तथा वर्तमान नगरपालिका सीमा की पश्चिमी सीमा तक।
3. दक्षिण में
 - ग्राम घुड़ियाखेड़ी, परसोरा हवेली, पठारी, मुरवारा, सोंठिया तथा सुआ खेड़ी की दक्षिणी सीमा तक।
4. पूर्व में
 - ग्राम धतुरिया, करारखेड़ी, रुसल्ला, मदनखेड़ी, भौरिया तथा घुड़ियाखेड़ी की पूर्वी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

हस्ता/-

(नवलचंद जैन)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगर एवं ग्रामीण नियोजन

कार्यालय संयुक्त संचालक

नगर एवं ग्रामीण नियोजन, भोपाल संभाग भोपाल

क्रमांक/1352/न.ग्रा.नि./भोपाल संभाग/1973

दिनांक 8/6/73

सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 15 (3) के अनुकरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट विदिशा निवेश क्षेत्र में की भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदनुसार संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन मध्यप्रदेश द्वारा सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं। इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुकरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हेतु भेजी जा रही है। जो बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है।

अनुसूची

1. उत्तर में - वर्तमान नगर पालिका सीमा, दाऊदपुरा, बरारखेड़ा तथा ग्राम धतुरिया की उत्तरी सीमा तक।
2. पश्चिम में - ग्राम सुआर खेड़ी, आमखेड़ा, मदनखेड़ी, दौलतपुर तथा वर्तमान नगरपालिका सीमा की पश्चिमी सीमा तक।
3. दक्षिण में - ग्राम घुड़ियाखेड़ी, परसोरा हवेली, पठारी, मुरवारा, सोंठिया तथा सुआ खेड़ी की दक्षिणी सीमा तक।
4. पूर्व में - ग्राम धतुरिया, करारखेड़ी, रुसल्ला, मदनखेड़ी, भौरिया तथा घुड़ियाखेड़ी की पूर्वी सीमा तक।

उक्त अंगीकृत मानचित्र दिनांक 4.6.75 से 10.6.75 तक निम्नलिखित स्थानों पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर उपलब्ध रहेगा।

निरीक्षण स्थल

नगर पालिका कार्यालय

विदिशा, मध्यप्रदेश

हस्ताक्षर/-

(र.श.गट्टानी)

संयुक्त संचालक

नगर एवं ग्रामीण नियोजन

भोपाल संभाग, भोपाल

कार्यालय

जिला योजना समिति

विदिशा

आदेश

क्रमांक- 332

विदिशा, दिनांक 21.1.2000

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-25/99/32 भोपाल, दिनांक 20 मार्च 1999 द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23, सन. 1973 की धारा 75 की उपधारा (1) सहपठित म.प्र. शासन जिला योजना समिति 1995 (क्र. 19सन. 1995) की धारा 17-के अन्तर्गत जिला योजना समिति को प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (संशोधन) 1996 की धारा 17 क्र. (1) के तहत विदिशा विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाना है यह समिति अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी।

अधिनियम की धारा 17 (1) की उपधारा	पद/व्यक्ति का नाम	संस्था/पता
1	2	3
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद विदिशा
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, विदिशा
(ग)	लोकसभा सदस्य	विदिशा
(घ)	विधायक	विदिशा
(ङ)	कोई नहीं	-
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, विदिशा
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, शेरपुर
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, रुसल्ली
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, गुराडिया लक्ष्मपुर
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, डाबर
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत, मिर्जापुर
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत, करारखेड़ी
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत, चिदोरिया
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत, सोठिया
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत, पठारी हवेली

1	2	3
(ज) 1. प्रतिनिधि	श्री एस.सी. गर्ग	विभागाध्यक्ष, आक्रिटेक्ट एंड प्लानिंग, मौलाना आजाद प्रोद्योगिकी महाविद्यालय, भोपाल
2. प्रतिनिधि		डॉ. ए.जी. कृष्णमूर्ति, वाइस प्रिंसिपल एस.
3. प्रतिनिधि		ए.टी. आई विदिशा
4. प्रतिनिधि		कलेक्टर, जिला विदिशा
5. प्रतिनिधि		कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विदिशा
6. प्रतिनिधि		कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विदिशा
कार्यालय, विदिशा		जिला वनमंडल अधिकारी, जिला वन मंडल
7. प्रतिनिधि		अधीक्षक, पुरातत्व विभाग, भारत शासन, भोपाल
समिति का संयोजक		श्री पी.वी. कुलश्रेष्ठ, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता./-

(वी.आर. नायडू)

कलेक्टर एवं सचिव

जिला योजना समिति

जिला विदिशा

कार्यालय

जिला योजना समिति

विदिशा

आदेश

भोपाल, दिनांक 3.8.2000

क्रमांक एफ-1916/क्यू-20/जि.यो.स./2000 जिला योजना समिति विदिशा की बैठक दिनांक 22-7-2000 को सहायक संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश विदिशा द्वारा विदिशा विकास योजना हेतु धारा 17क (1) के अन्तर्गत गठित समिति में संशोधन हेतु संक्षेपिका पर विचारोपरान्त सर्वसमिति से समिति गठन सम्बन्धी आदेश क्रमांक 332 दिनांक 21-1-2000 में निम्न आंशिक संशोधन किया जाता है :-

1. कंडिका (ज) (1) में प्रतिनिधि श्री एस.सी. गर्ग, विभागाध्यक्ष आर्किटेक्ट एण्ड प्लानिंग मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय भोपाल के स्थान पर इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स का प्रतिनिधि किया जाता है।
2. कंडिका (ज) में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थान पर कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, विदिशा किया जाता है।

हस्ता./-

कलेक्टर एवं सचिव

जिला योजना समिति

विदिशा (म.प्र.)

परिशिष्ट-6

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
आदेश

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी, 1998

क्रमांक एफ-3/130/32/97, राज्य शासन एतद द्वारा मध्यप्रदेश के जिन विभिन्न नगरों की विकास योजनायें अनुमोदित हैं, की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए निम्नानुसार “नियोजन एवं पर्यवेक्षण” समिति का गठन करता है-

- | | |
|--|------------|
| 1. संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय
एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2. नगर तथ ग्राम निवेश का संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय अधिकारी | सदस्य |
| 3. म.प्र. गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 4. संबंधित आयुक्त, नगर पालिका निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगरपालिका | सदस्य |
| 5. लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 6. लोक स्वास्थ्य योंत्रिकी विभाग कासंबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 7. म.प्र. विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 8. (अ) संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकारण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित हैं)
(ब) संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी
(जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी स्थापित नहीं है।) | सदस्य सचिव |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार-,

हस्ता./-

(जी.व्ही. उपाध्याय)

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
संशोधन

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त, 1998

क्रमांक एफ-3/55/32/98, राज्य शासन एतद् द्वारा नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं के समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क्र. एफ-3/130/32/97, दिनांक 21.01.98 द्वारा संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित 'नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति' में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है-

(1) समिति में निम्नलिखित भी सदस्य के रूप में शामिल किये जाते हैं-

1. सांसद, संबंधित क्षेत्र
2. अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण
3. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत
4. महापौर, संबंधित नगरपालिक निगम
5. अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका
6. अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,-

हस्ता/-

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/2876/नग्रानि/वि.यो./98

भोपाल, दिनांक 15 मई, 1998

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालनअधिकारी
विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
2. आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर निगम/नगर पालिका

विषय- विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की कार्यवाही हेतु रूपरेखा।

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-3/130/32/ 97 दिनांक 20.1.98 द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी गठित की गई “नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति” की कार्य पद्धति की संक्षिप्त रूप रेखा निम्नानुसार है-

- (1) पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन स्थिति का पर्यवेक्षण करेगी।
 - (अ) नगरीय अधोसंरचना का विकास
 - (ब) आवासीय एवं आश्रय योजनाओं का विकास
 - (स) सार्वजनिक सुविधाओं एवं नगरीय केन्द्रों/उपकेन्द्रों का विकास
 - (द) आमोद-प्रमोद क्षेत्रों का विकास
- (2) समिति निम्नलिखित कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु 3 माह में एक बार बैठक करेगी
 - (अ) कार्यक्रम का चयन
 - (ब) परियोजना तैयारीकरण
 - (स) परियोजना क्रियान्वयन एवं वित्तीय व्यवस्था
 - (द) कार्यक्रम क्रियान्वयन के मूल्यांकन के फलस्वरूप वांछित सुधार
- (3) समिति निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश के विचारार्थ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन का अनुमोदन कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

हस्ताक्षर/-
(के.के. सिंह)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल (म.प्र.)

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2003

क्र. एफ-3-80-2001-बत्तीस-राज्य शासन, द्वारा मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन संचालक, नगर तथा ग्राम निवेशद्वारा प्रस्तुत विदिशा विकास योजना 2011 को अनुमोदन प्रदान किया जाता है एवं उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत विदिशा विकास योजना 2011 को 'मध्यप्रदेश राजपत्र' में प्रकाशित किया जाता है।

(2) अनुमोदित विकास योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा :-

- (1) आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल (मध्यप्रदेश)
- (2) कलेक्टर कार्यालय, विदिशा (मध्यप्रदेश)
- (3) सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, विदिशा मध्यप्रदेश
- (4) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् विदिशा मध्यप्रदेश

(3) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, की धारा 19 की उपधारा (5) के अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संतोष मिश्र, उपसचिव

